चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 06 नवंबर– 12 नवंबर 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

सेना को आमंत्रण मत दीजिए

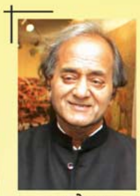

कमल मोरारका

एक साल पहले, यानि अक्टूबर 2016 में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक साल के भीतर देश की स्थिति में इतना बदलाव आ जाएगा. इसका कोई कारण नहीं था क्योंकि मई 2014 में सरकार पूर्ण बहुमत से आई थी. अस्थिरता का कोई सवाल ही नहीं था और आर्थिक स्थिति भी इनके पक्ष में थी. विश्व में तेल के दाम काफी घट गए थे. उससे बजट में कई लाख करोड़ का फायदा हो गया और मुद्रास्फीति वगैरह भी करीब-करीब सामान्य थी. प्रधानमंत्री ने बड़े-बड़े एलान किए जिससे लगा कि नए उद्योग लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा. कुल मिलाकर ऐसा लगा कि देश धीरे-धीरे प्रगति की ओर बढ़ेगा.

दुर्भाग्यवश एक साल में स्थिति पूरी तरह से बदल गई. क्यों? प्रधानमंत्री ने विमुद्रीकरण का एक कदम उठाया, बिना किसी अर्थशास्त्री से पूछे, बिना कोई स्टडी किए, बिना किसी समझ के कि इसका क्या असर होगा, अच्छा या बुरा. इसके क्या नतीजे होंगे, बिना किसी कैलकुलेशन के, प्रधानमंत्री ने एक तरह से इतिहास रचने के लिए स्वयं एक कदम की घोषणा कर दी, विमुद्रीकरण. 8 नवंबर 2016 को उन्होंने घोषणा की और 31 दिसंबर तक का समय दिया कि आप नए नोटों की जगह पुराने नोट बदल लीजिए. बैंकों में जो रुपए जमा नहीं करेंगे, वो रुपए बाद में खारिज हो जाएंगे. उस समय लोगों को यह समझ में नहीं आया कि इसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं. अफरा-तफरी मच गयी. छोटे लोग, किसान, गरीब, मजदूर, जिनकी आदत ही रोकड़े में रोज का काम करने की थी, वो असमंजस में पड़ गए कि क्या करें? नए नोट उपलब्ध नहीं थे, एटीएम खाली थे, लोगों में अफरातफरी मच गयी. कई लोग कतार में खड़े होकर बेहोश हो गए, कई हादसे हुए.

खैर किसी तरह वो समय धीरे-धीरे निकल गया. यह भारत है, 5000 साल पुराना देश है. यहां गुलामी का लंबा दौर रहा. 1947 में महात्मा गांधी के अथक प्रयासों से आजादी मिली और स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, पंडित नेहरू, सरदार पटेल सब मिलकर आजादी लाए. वैसे देखा जाए तो आजादी का इतिहास अपना सिर्फ 70 साल पुराना है, लेकिन देश बहुत पुराना है. इन दोनों बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जो देश का व्यक्तित्व है, जो यहां के लोगों की मानसिकता है, जो सोच है, वो पांच हजार साल पुरानी है. हमारा पांच हजार साल पुराना इतिहास रामायण, महाभारत, भगवद्गीता, कुरान, बाइबिल, गुरुग्रंथ साहेब का सम्मिश्रण है. कोई ये समझे कि 1947 से यहां का इतिहास शुरू हुआ, तो यह एक माखौल है. 1947 में आजादी मिली, 1950 में संविधान मिला, 1952 से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, ये सब ठीक है, लेकिन देश उससे पुराना है.

ज़िंदा रहने और आज़ादी का हक़ हमें पहले से है

इंदिरा गांधी ने 1975 में इमर्जेंसी लाकर एक गलती की थी. इमरजेंसी के तहत उन्होंने लोगों के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए थे. लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते थे, कारण भी नहीं बताते थे. सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया, तो उस समय के अटॉर्नी जनरल नीरेन डे से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये बताइए कि जिंदा रहने और आजाद रहने का जो हक है, वो आप सस्पेंड कैसे कर सकते हो? जो जनता के वकील थे, उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार कोई चीज वापस भी ले सकती है. लेकिन वही ले सकती है, जो उन्होंने दी है. जिंदा रहने और आजाद घूमने का हक तो हमें पहले भी था. 1950 का संविधान आया, उसमें आपने ये अधिकार लिखे. लेकिन, उसके पहले भी हम आजाद थे, जिंदा थे, सांस लेते थे. आप कौन होते हैं हक वापस लेने वाले? खैर सुप्रीम कोर्ट कुछ ज्यादा कर नहीं पाई. 19 महीने के उस अंधेरे के बाद जनता ने फैसला कर दिया. जब चुनाव हुआ, तब जनता ने कहा कि आपने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है.

एक दिन में इतिहास नहीं बदलता

नरेंद्र मोदी को हमने इसलिए नहीं चुना था. आप अपनी सीमाओं में रहकर हमारे लिए जो भला कर सकते थे, करिए, नहीं कर सकते तो पांच साल के बाद नई सरकार आएगी. शायद आपको वापस चुन लिया जाएगा. पांच हजार साल पुराना देश है, आप समझते हैं कि पांच साल में इसे बदल देंगे, तो यह नहीं हो सकता. यह तर्कसंगत बात नहीं है. इंदिरा जी ने वो भूल की, उसकी उनको सजा मिल गयी. 1977 में जनता ने दूसरी सरकार चुन ली. उन्होंने माफी मांगी. 1980 में वो फिर चुन कर आ गयीं. अब इन प्रधानमंत्री को किसी ने यह नहीं बताया कि आप एक दिन में इतिहास नहीं बदल सकते. इस पूरे देश में सवा सौ करोड़ लोग हैं. इनकम टैक्स पेयर हैं ढाई करोड़. यानि दो प्रतिशत. ये समझना चाहिए कि यह एक गरीब देश है. किसानों की इनकम, इनकम टैक्स फ्री है. ये जो आप ब्लैक मनी और करप्शन की बात करते हैं, जो विदशों में रुपया पड़ा है, किसका पड़ा है? इन दो प्रतिशत लोगों का ही पड़ा है और दो प्रतिशत में से 10 प्रतिशत का ही पड़ा होगा. इसके लिए आप पूरे देश में गरीबों, मजदूरों और मजलूमों की रोज की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दें, सिर्फ इसलिए कि हम चोर पकड़ेंगे, इसलिए तो आपको नहीं चुना था. लोगों ने जब आपको वोट दिया था तो आपको ये सोच कर वोट दिया था कि नए रोजगार लाएंगे, आधुनिकीकरण करेंगे, नए रोड बनेंगे, नई रेल की पटरियां बिछेंगी, नए शिक्षण संस्थान खुलेंगे, नए अस्पताल खुलेंगे. आम आदमी रोजमर्रा की जीवन की चीजें उपलब्ध करना चाहता है, उसने उस उम्मीद से आपको बनाया था. मैं तो प्रधानमंत्री को जानता नहीं हूं. एक साल पहले अचानक जो भी हुआ, उन्होंने समझा इससे बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, लेकिन वो उल्टा पड़ गया.

दुर्भाग्यवश एक साल में स्थिति पूरी तरह से बदल गई. क्यों? प्रधानमंत्री ने विमुद्रीकरण का एक कदम उठाया, बिना किसी अर्थशास्त्री से पूछे, बिना कोई स्टडी किए, बिना किसी समझ के कि इसका क्या असर होगा, अच्छा या बुरा. इसके क्या नतीजे होंगे, बिना किसी कैलकुलेशन के, प्रधानमंत्री ने एक तरह से इतिहास रचने के लिए स्वयं एक कदम की घोषणा कर दी, विमुद्रीकरण. 8 नवंबर 2016 को उन्होंने घोषणा की और 31 दिसंबर तक का समय दिया कि आप नए नोटों की जगह पुराने नोट बदल लीजिए.

पुराने टैक्स का सुधार मात्र है जीएसटी

एक त्रुटि और है इस सरकार में कि वे अपनी गलती जल्दी मानते नहीं हैं. यह सब सरकारों में है. उस गलती को सुधारने की भी कोशिश नहीं करते हैं. एक पुराना टैक्स का सुधार है जीएसटी. इस देश में बीस साल से इस पर चर्चा हो रही है. उसको एक जुलाई से अचानक लागू कर दिया. यह दूसरी भूल थी. होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस ढंग से, जिस जल्दबाजी में, बिना उसके परिणाम सोचे-समझे लागू कर दिया, तो वो जले पर नमक छिड़कने की बात हो गयी. आम आदमी जो पहले विमुद्रीकरण से त्रस्त था, आम आदमी से मेरा मतलब है जो किराना दुकान, छोटा उद्योग या बहुत छोटा व्यवसाय करता है, अचानक उसपर ये मुसीबत और आ पड़ी. बड़े कारखानों की बात मैं नहीं कर रहा हूं. उनको कोई असर नहीं है. इसलिए नहीं है, क्योंकि उनके पास कंप्यूटर है, सब सुविधाएं हैं. लेकिन जो एक किराने की दुकान चला रहा है, अगर उसको भी आप 37 फॉर्म भरने के लिए कहें, तो पांच हजार रुपया महीना तो उसको कंप्यूटर का खर्चा लगेगा. अगर वह अपना कंप्यूटर न खरीदे, तो भी वो नहीं कर सकता. शायद उतनी क्षमता उसकी नहीं है, एक मुसीबत और आ गयी. कुल मिलाकर एक साल में आर्थिक स्थिति बेवजह चरमरा सी गयी है. इस बीच कोई ऐसी बात नहीं हुयी है. कोई विश्व में तेल के दाम नहीं बढ़े, कोई घाटे का कारण नहीं पैदा हुआ, सिर्फ सरकार की दूरगामी सोच नहीं होने के कारण उन्होंने जल्दबाजी में कदम उठा लिए और उसके परिणामों को वो नियंत्रित नहीं कर सके. अब हालत इतनी खराब हो गयी है कि विजयादशमी के दिन आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी अपने भाषण में कह दिया कि छोटे व्यापारियों के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते. अब आरएसएस इनकी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और उनकी बात को वे नजरअंदाज नहीं कर सकते. उन्होंने कुछ सही कदम उठाए. छोटे उद्योगों और छोटी व्यवसायों के लिए रिटर्न के फॉर्म कम कर दिए, कुछ सीमा भी बढ़ा दी, लेकिन ये बहुत छोटे कदम हैं. बीमारी बहुत गहरी हो गयी (शेष पृष्ठ 2 पर)

सेना को आमंत्रण मत दीजिए

पृष्ठ 1 का शेष

है, कदम बहुत छोटे हैं. उसका हल कम समय में नहीं निकल सकता है.

सरकार वो ग़लतियां कर रही, जिससे अब तक बची थी

इनसे एक और जल्दी हो गयी, गुजरात इलेक्शन आ गया. सूबे के इलेक्शन तो होते रहते हैं. इतना बड़ा देश है 29-30 स्टेट हैं, लेकिन गुजरात इनके लिए महत्वपूर्ण है. क्योंकि ये जो अभी प्रधानमंत्री हैं, कभी वहां के मुख्यमंत्री थे. आरएसएस ने कोई आंतरिक सर्वे कराया है, जिसमें यह आया कि उनको शायद बहुमत न मिले, इससे उनको थोड़ी चिंता और हो गयी है. लेकिन ये सब करने से मामला हल नहीं होगा. पहले दो साल यानि मई 2014 से अक्टूबर 2016 तक जो मैं कह रहा था, मुझे कभी नहीं लगा था कि देश में इस तरह से कोई बदलाव आ जाएगा. अब ये दो कदम उल्टे पड़ गए. उसका परिणाम देखिए, अब उन्होंने वो गलतियां करनी शुरू कर दीं, जिससे वो अब तक बचकर चले. राजनीतिक तौर पर कोई मापदंड तोड़ने की जरूरत नहीं थी. अब इलेक्शन कमीशन जो कम से कम 20-25 साल से अपने अधिकार का भरपूर इस्तेमाल कर रही थी, जिससे पॉलिटिकल पार्टी को भी डर लगने लगा. अधिक खर्च करने से कैंडिडेट भी डरने लगे. अचानक उस इलेक्शन कमीशन को क्या हो गया? गुजरात में राज्यसभा का इलेक्शन था. सिर्फ दो वोटों की बात थी. उसके लिए छह कैबिनेट मंत्री अपने पक्ष में ऑर्डर दिलाने के लिए रात भर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास बैठे रहे. लेकिन मैं कहूंगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बुद्धिमत्ता दिखायी. उन्होंने उनकी नहीं सुनी और फैसला उनके खिलाफ चला गया. उसके बाद ये थोड़ा डर गए. इनको थोड़ा और गुस्सा आ गया. इसके बाद तीसरा इलेक्शन कमिश्नर जो इन्होंने चुना, वो काफी सोच-समझकर ऐसे आदमी को चुना, जो 2019 चुनाव के समय में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा. पहले तो 2014 से शुरू हुए थे कि हम देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाएंगे. कांग्रेस ने करप्शन किया, स्कैम किया, हम नहीं करेंगे. दो ढाई साल तक एकदम ठीक चला. उस पर बहस हो सकती है कि आपने कितनी प्रगति की, कितनी नहीं की. लेकिन कोई आक्षेप नहीं लगा पा रहा है कि इन्होंने कोई स्कैम किया, कोई गलत काम किया. दो स्टेप उल्टे पड़ने से अब राजनीतिक तौर पर भी हर काम गलत कर रहे हैं. इलेक्शन कमीशन से छेड़खानी करने से तो लोगों का चुनाव प्रक्रिया से ही भरोसा उठ जाएगा, फिर क्या होगा?

डेमोक्रेसी से छेड़खानी मत करिए

2019 के इलेक्शन का जो भी नतीजा आए, लेकिन पब्लिक को अगर ये बात लग गयी कि फेयर इलेक्शन नहीं था, तो यह उचित नहीं होगा. अफ्रीका का एक देश है. वहां 25 साल से एक आदमी राज कर रहा है. हर पांच साल में

वहां इलेक्शन होते हैं. इलेक्शन का रिजल्ट उनके खिलाफ जाता है, तब भी वे राज करते रहते हैं, क्यों? क्योंकि वे एनाउंस करवा देते हैं कि मैं जीत गया. यूएन और फॉरेन से जो भी आते हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन विश्वसनीय नहीं था, लेकिन वहां की सरकार कहती है कि विश्वसनीय था. आर्मी भी उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि वहां आर्मी सिविलियन अथॉरिटी के अंडर में है. असल में वहां जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, वो नॉन रिप्रजेंटेटिव सरकार वहां चल रही है. वहां तो नाम के वास्ते लोकतंत्र है, यह ढकोसला है. यह सरकार को समझना चाहिए. मैंने पहले कहा कि हमारा पांच हजार साल पुराना देश है. यहां 70 साल से डेमोक्रेसी है, छेड़खानी मत करिए. इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे. पाकिस्तान और हम एक ही दिन आजाद हुए थे. पाकिस्तान में 1947 से 1958 के बीच 11 साल में सात प्रधानमंत्री बदल गए. लोकतांत्रिक व्यवस्था जम नहीं पायी. जनरल अयूब खान ने 1958 में टेक ओवर कर लिया, आर्मी रूल ले आए. पाकिस्तान आज तक उसका परिणाम भुगत रहा है. डेमोक्रेसी आती है, जाती है, उनके प्रशासन में आर्मी का बड़ा दखल है. लोग तो यहां तक कहते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी उनसे प्रभावित है. मैं नहीं जानता और मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है पाकिस्तान, कुछ भी करे. सवाल है कि हमको पाकिस्तान बनना है क्या? हमें पाकिस्तान बनने से बचना है कि नहीं. चाहे ये जवाहरलाल नेहरू को जितना बुरा बोलें. पहले सत्रह साल उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्थापित कर दिया. चाहे वो आर्मी हो जो सिविलियन रूल के अंडर में रहेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सरकार सुप्रीम कोर्ट की सुनेगी, चाहे वो प्रेस हो जिससे कोई छेड़खानी नहीं करेगा. जैसा मैंने कहा कि इंदिरा जी उसके बाद आयीं, वो भी रहीं. उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ किया. उसका जवाब जनता ने तुरंत दे दिया. उसके बाद ईश्वर की कृपा से सब ठीक चल रहा है.

आर्थिक सुधारों के लिए इंजेक्शन ज़रूरी था

1991 में नरसिम्हा राव जी के दौरान मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे. देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गयी थी. उन्होंने आर्थिक नीतियों में एक बड़ा बदलाव किया. समाजवादी लोग उससे सहमत नहीं हैं, लेकिन उस समय यह जरूरी था. एक इंजेक्शन जरूरी था. 1991 से 2014 तक 23 साल में पांच साल नरसिम्हा राव, एक साल देवेगौड़ा, एक साल गुजराल, छह साल अटलबिहारी वाजपेयी और दस साल मनमोहन सिंह, तेईस साल करीब-करीब देश की व्यवस्था ठीक चल रही थी. ऐसा नहीं कि देश बहुत तरक्की कर रहा था. गरीबी थी, विश्व में तेल की कीमत भी बहुत ऊंची थी, लेकिन उस स्थिति में भी कोई ऐसी बात नहीं आयी कि कुछ अस्त-व्यस्त हो जाएगा. 2010 और 2013 के बीच कांग्रेस के खिलाफ बहुत शिकायतें आ गयी थीं, कई स्कैम आ गए. एक सीएजी साहब ने एक रिपोर्ट दे दी, हालांकि जिसकी विश्वसनीयता शक के दायरे में है. एक स्थिति पैदा हो गयी, जब जनता को लगा कि ये सरकार हमसे ठीक व्यवहार नहीं कर रही है. उसमें बड़े उत्साह और उम्मीद के साथ नरेन्द्र मोदी को जनता ने बहुमत दे दिया. तीन साल में जो उत्साह, पॉपुलैरिटी और विश्वास उन्होंने पैदा किया था, वो तीन साल में इतनी जल्दी गिर जाएगा, ये पता नहीं था. ये बहुत अफसोस की बात है. पहले भी एक बार ये हुआ है. जब राजीव गांधी 1985 के चुनाव में 400 सीट जीत गए. हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ. इंदिरा जी की हत्या हो गयी थी, चलिए जीत गए. ढाई साल लगा उनको अपनी गुडविल, अपनी सद्भावना खत्म करने में. एक बोफोर्स का छोटा सा सौदा, मैं कहूंगा पूरे भारत के इतिहास में वो कुछ मायने नहीं रखता, इससे उनकी इमेज खत्म हो गयी. आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है

2014 में, जिस सद्भावना से मोदी का चुनाव हुआ था, लोगों ने उनको गले लगाया था, आज वो स्थिति नहीं है. अब चिंता की बात यह है कि वे और गलत कदम उठा रहे हैं, जो उनको नहीं उठाने चाहिए. गुजरात का इलेक्शन उनको फेयर कराना चाहिए, हारें या जीतें. इलेक्शन हर पांच साल में होता है. हिमाचल और गुजरात का इलेक्शन साथ में एनाउंस करना था. इलेक्शन कमीशन की ये हालत कर दी कि उन्होंने केवल हिमाचल की तारीख एनाउंस की और गुजरात की उसके साथ नहीं की, क्यों? क्योंकि मोदी जी को और पांच प्रोजेक्ट एनाउंस करने थे. ये तो जनता का अपमान है. आप क्या समझते हैं, जनता आपको इसलिए वोट देती है कि आप एक पुल और बना देंगे, एक और डैम बना देंगे. यह गलत है, मिथ्या है. जो भी मोदी जी को गाइड कर रहा है, दरअसल वो मिसगाइड कर रहा है.

सेना को निमंत्रण दे रहे हैं!

देश का तो ये जितना अभी नुकसान कर रहे हैं, वो डरावना है. सेना भी सोचती है, आर्मी में मशीनें तो नहीं हैं, इंसान हैं वहां. पाकिस्तान में जो हुआ, आप धीरे-धीरे भारत में उसी चीज को निमंत्रण दे रहे हैं. आर्मी को ये संदेश दे रहे हैं कि हम जो देश के नेता हैं, अलग-अलग पार्टियों के राजनेता हैं, अब हमारी क्षमता खत्म हो रही है. अब हम सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके विपक्ष को दबाएंगे. चाहे वो सीबीआई हो, चाहे इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे लोकल पुलिस हो, ये अच्छा ट्रेंड नहीं है. राजस्थान ने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया कि बिना सरकार के परमिशन के आप इन्क्वायरी नहीं कर सकते, इनवेस्टिगेशन नहीं कर सकते. कोर्ट को उसे खारिज करने में पांच मिनट का समय नहीं लगेगा. ये अच्छा हुआ कि जनता के दबाव में सरकार ने अब इसे सेलेक्ट कमिटी को सौंप दिया है. सवाल है कि इस तरह का बिल लाने की हिमाकत कैसे की भाजपा ने? एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस में नहीं हूं. एक मानसिकता इन लोगों की है कि जो इनके खिलाफ बोले तो समझते हैं कि वो कांग्रेसी है. मैं समाजवादी आंदोलन का हिस्सा हूं. कांग्रेस जीते, उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है. भाजपा रहे या हारे, उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन देश की अस्मिता रहनी चाहिए. आपने देश की जो संस्थाएं बनाई हैं, उनकी विश्वसनीयता अक्षुण्ण रहनी चाहिए. इलेक्शन कमीशन में यदि आपने सेंध लगा दी, तो इस देश के लिए यह सबसे खराब काम होगा. इलेक्शन कमीशन को बचाइए. उन्होंने हिमाचल और गुजरात की तारीख एक साथ क्यों एनाउंस नहीं की. यह बहुत गलत किया. यह तो उनपर एक कलंक है.

15-20 साल राज करने के लिए धैर्य चाहिए

पांच साल के लिए इतनी गुडविल के साथ आप पावर में आए हैं. 15-20 साल आपको राज करना चाहिए. लेकिन 15-20 साल राज करने के लिए बहुत धैर्य चाहिए. बहुत समझ-बूझ चाहिए. उतावलापना नहीं चलेगा. एक दिन में दुनिया बदलने का आपका इरादा है, एक दिन में तो सरकार ही बदलती है, दुनिया नहीं बदलती. आप समझते हैं कि एक दिन में सब लोग हिन्दुत्व में ढल जाएंगे. ये मैं स्पष्ट कर दूं, हिन्दुत्व एक सांस्कृतिक शब्द है. सावरकर जी ने कहा था कि कल्चरल नेशनलिज्म. उसका धर्म, मजहब और सनातन धर्म से कोई वास्ता नहीं था. अब आज जो आपके समर्थक हैं, वो अल्पसंख्यकों के प्रति व्यवहार की बात पर कहते हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिन्दुओं के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है? कहीं न कहीं उनके मन में है कि हमें पाकिस्तान का अनुसरण करना है. हमको पाकिस्तान बनना है. पाकिस्तान बनने में बड़े खतरे हैं. कानून-व्यवस्था अपनी जगह है. वहां मौलवी हैं, यहां पंडित होंगे. वहां सेना है, यहां भी सेना होगी. सवाल है, जो हमने बनाया है, संजोया है, गलतियों या त्रुटियों के साथ, उसका नाश करना है क्या? अगर हां, तब तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जो भाषण देते हैं कि यहां सब समान हैं, प्रगति होगी, नौकरी मिलेगी, तब फिर यह आचरण नहीं चलेगा. इलेक्शन कमीशन से तुरंत बात कर उनको स्वतंत्रता दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए. ये चिंता मत करिए कि 2019 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा? इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में क्या है? वो पब्लिक को तो नहीं बता सकता कि इसको वोट दो या न दो. छोटी-छोटी मदद से सरकार को कोई खास फायदा होने वाला नहीं है. इससे सरकार और इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता कम होती है और जनता में भी रोष पैदा होता है. एक आम आदमी कबड्डी या क्रिकेट के खेल में गड़बड़ी होने पर तुरंत कहता है कि यह अनफेयर हुआ. एलबीडब्ल्यू गलत दे दिया या ये बॉल गलत फेंक दी. आज आम जनता समझ गयी है कि हिमाचल के साथ गुजरात चुनाव की तारीख एनाउंस नहीं करने का मतलब यह है कि आप कमजोर विकेट पर हैं.

अर्थशास्त्रियों का काम उनके ऊपर छोड़ दीजिए

राजस्थान सरकार के ऑर्डिनेंस लाने का मतलब भी यही है कि इनको कहीं न कहीं कोई डर है, कोई न कोई इनक्वायरी फिर उनके खिलाफ चली जाएगी. जय अमित शाह का जो मामला है, वो तो पार्टी के मेंबर नहीं हैं, जैसे रॉबर्ट वाड्रा नहीं थे. कांग्रेस ने कभी रॉबर्ट वाड्रा का पक्ष नहीं लिया. वे तो बिजनेसमैन हैं, अपना खुद देखेंगे. यहां तो अमित भाई शाह बयान दे रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कह रहे हैं कि जय अमित शाह की कोई गलती नहीं है. अरे भाई, तुम सरकार हो, ये क्यों भूल रहे हो? ऑल इन ऑल मोदी जी के लिए ये अलार्म बेल है. आप अपना मामला साफ करिए, आप जिस सद्भावना के साथ पावर में आए हैं, उसको बरकरार रखिए. इंडिविजुअल्स की परवाह मत करिए. जो आपने प्रॉमिस की थी. उनमें कुछ पूरे हुए, कुछ नहीं हुए. सब वादे पूरे भी नहीं हो सकते. आपने कहा था कि रुपया विदेश से आएगा, लेकिन नहीं आया. वहां के कानून हैं, उसमें आप क्या करेंगे? आपने कोशिश की, आप कोशिश चालू रखिए, लेकिन दुर्भावना फैलाना, लोगों में दुराव बढ़ाना और मजहब के आधार पर हिन्दू-मुसलमान में दुराव बढ़ाना, इससे देश का फायदा नहीं होगा. आज भी मोदी जी इंडिया के लीडर हैं और डेढ़ साल तो हैं ही. जाग जाइए, अर्थशास्त्रियों का काम उनके ऊपर छोड़ दीजिए. आपने फाइनेंस में लीडरशिप दिखाई, जहां जरूरत नहीं थी, वो आपका सब्जेक्ट नहीं है. विमुद्रीकरण हो, चाहे जीएसटी हो, वो अर्थशास्त्रियों का काम है.

आप राजनीतिक लीडरशिप दिखाइए. हार-जीत छोड़िए. जैसे कांग्रेस राज करती आयी है, कभी राज में थी, कभी राज में नहीं थी, फिर आ जाती है. 2004 में किसी ने नहीं सोचा था कि अटल जी हारेंगे और कांग्रेस पावर में आ जाएगी और दस साल रहेगी. हमारे जैसे ऑब्जर्वर ने भी नहीं सोचा था. लेकिन लोकतंत्र में ऐसा होता है. यही डेमोक्रेसी का मज़ा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 09 अंक 36
06 नवंबर- 12 नवंबर 2017
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के - 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय	0120-6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022-65500786
	+91-8451050786
	+91-9266627379
फैक्स न.	0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

पक्के केस्सांग उपचुनाव कराने से क्यों कतरा रहा है चुनाव आयोग

अरुणाचल प्रदेश के चुनाव में पैसे का खेल

शफ़ीक़ आलम

जब पूरा देश गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का उत्सुकता के साथ इंतज़ार कर रहा था और इस घोषणा में हो रही विलम्ब के लिए चुनाव आयोग चौतरफा आलोचनाओं में घिरा हुआ था, ऐसे ही समय में हिमालय की गोद में बसे देश के सुदूर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के कुछ जागरूक नौजवान दिल्ली में चुनाव आयोग के दरवाज़े पर दस्तक दे रहे थे. उनकी मांग थी कि उनके विधानसभा क्षेत्र 12वीं पक्के केस्सांग (सुरक्षित) का उपचुनाव जल्द से जल्द करवाया जाए. पहली नज़र में यह मांग कोई बहुत महत्वपूर्ण मांग नज़र नहीं आती, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली की सियासत में पूर्वोत्तर के राज्यों की बढ़ी हुई अहमियत को देखते हुए इन नौजवानों की मांग पर एक नज़र डालना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा.

क्या है पूरा मामला?

12वीं पक्के केस्सांग विधान सभा सीट गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले के कारण खाली हुई थी. वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से भाजपा उम्मीदवार अतुम वेल्ली ने कथित तौर पर अपना नामांकन वापस ले लिया था. नतीजतन कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व उपमुख्यमंत्री केमांग डोलो निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो गए थे. हालांकि उनके इस दावे पर यहां लोगों को शक है, लेकिन वेल्ली का कहना था कि नामांकन वापसी का आवेदन उनके फर्जी हस्ताक्षर के साथ किसी और ने दिया था. बहरहाल, उन्होंने केमांग डोलो के चुनाव को गुवाहाटी हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसपर सुनावाई के बाद अदालत ने 8 फ़रवरी के अपने फैसले में केमांग डोलो का चुनाव रद्द कर दिया. इस फैसले के खिलाफ केमांग डोलो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने 23 मई के फैसले में गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को बरक़रार रखा.

पिपुल्स फोरम ऑफ12 पक्के केस्सांग असेंबली कॉन्सटीट्यूएंशी के सदस्य

उधर हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही चुनाव आयोग ने डोलो की विधानसभा सदस्यता तत्काल रद्द कर दी थी. ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहां उपचुनाव का ही एक रास्ता बाक़ी था. चुनाव आयोग ने इस सम्बन्ध में जो अधिसूचना जारी की थी, उसके मुताबिक 12 जुलाई को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी और 5 अगस्त तक पूरी चुनावी प्रक्रिया समाप्त होनी थी. लेकिन, 12 जुलाई को चुनाव आयोग ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए यहां का उपचुनाव स्थगित कर दिया.

चुनाव स्थगित करने का कारण

चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी और मुख्य सचिव की अनुशंसा पर 12वीं पक्के केस्सांग का उपचुनाव स्थगित किया था. अरुणाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने अपने 6 और 10 जुलाई के पत्र में कहा था कि भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संचार बाधित हुई है और क्षेत्र के 26 मतदान केन्द्रों में से केवल 9 केन्द्रों तक ही सड़क के जरिए पहुंचा जा सकता है. उसी तरह मुख्य सचिव ने भी अपनी रिपोर्ट में चुनाव आयोग को बताया था कि ख़राब मौसम के चलते निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक चुनाव करा पाना असंभव है, क्योंकि ख़राब मौसम के कारण पोलिंग पार्टियों को मतदान केन्द्रों तक आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. बहरहाल इन दो अधिकारीयों की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए 12 जुलाई को, जब नामांकन दाखिल किये जाने की प्रक्रिया जारी थी, चुनाव आयोग ने पक्के केस्सांग का उपचुनाव स्थगित किये जाने की अधिसूचना जारी कर दी.

क़ानूनी स्थिति

अब एक नज़र उपचुनाव से संबधित कानूनी पहलू पर भी डाल लेते हैं. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, की धारा 151(ए) के मुताबिक किसी भी रिक्त विधानसभा या लोकसभा की सीट को छह महीने के भीतर भरा जाना अनिवार्य है. इसमें दो अपवाद भी शामिल हैं, जिसके तहत चुनाव स्थगित या रद्द किया जा सकता है. पहला, रिक्त सीट की अवधि पूर्ण होने में एक साल से कम का समय शेष हो और दूसरा केंद्र सरकार की अनुशंसा पर चुनाव आयोग को लगे कि किसी रिक्त सीट पर निर्धारित समय के अन्दर उपचुनाव करवाना असंभव है. ज़ाहिर है 12वीं पक्के केस्सांग के सम्बन्ध में चुनाव आयोग ने इसी कानून का सहारा लेते हुए वहां चुनाव स्थगित कर दिया. जबकि वहां के लोगों का कहना था जुलाई महीने में बारिश तो हो रही थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था पक्के केस्सांग विधानसभा का कोई गांव पानी में डूबा हुआ हो. इस विधानसभा से सम्बंधित एक नागरिक समूह ने यह दावा किया कि पूर्वी कामंग जिला जिसमें यह क्षेत्र आता है, वहां बस्तियां आम तौर पर ऊंचे स्थान पर होती हैं और बारिश का पानी फ़ौरन ही उतर जाता है. लिहाज़ा चुनाव आयोग का ख़राब मौसम का बहाना केवल बहाना ही था और चुनाव आयोग ने सरकार के प्रभाव में आ कर यहां चुनाव स्थगित किया. कांग्रेस ने भी फौरन अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और राज्य के कार्यवाहक मुख्य सचिव सत्य गोपाल और मुख्य चुनाव अधिकारी पर चुनाव आयोग को भ्रमित करने का आरोप लगाया. स्थानीय समाचार पत्रों में इसकी रिपोर्टिंग तो हुई लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया.

पीपुल्स फोरम की कोशिशें

बहरहाल पक्के केस्सांग में उपचुनाव स्थगित हो जाने के बाद स्थानीय लोगों को लगने लगा कि सत्ताधारी दल अपने फायदे के लिए मौसम का बहाना बना कर चुनाव को तब तक टालना चाहता है जब तक परिस्थितियां उसके अनुरूप न हो जाएं. ऐसे में कुछ नौजवानों ने पीपुल्स फोरम ऑफ़ 12 पक्के -केस्सांग कांस्टीच्यूएंसी के नाम से एक संस्था गठित कर जल्द से जल्द चुनाव करवाने के लिए संघर्ष शुरू किया. इस फोरम का दावा है कि इनका किसी भी राजनैतिक दल से कोई लेना देना नहीं है. वे कवल क्षेत्र का हित ध्यान में रखते हुए इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं. उनका यह भी कहना है कि निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होने के कारण क्षेत्र का विकास ठप हो गया है. बहरहाल, सबसे पहले फोरम ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर मामले में हस्तक्षेप करने की गुज़ारिश की. बाद में चुनाव आयोग को इस बाबत कई ईमेल भेजे लेकिन किसी का जवाब नहीं आया. थक-हार कर फोरम के प्रतिनिधियों ने दिल्ली आकर चुनाव आयुक्त से मिलने का फैसला किया. वे चुनाव आयुक्त से तो न मिल सके लेकिन चुनाव आयोग के सचिव एसबी जोशी ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके क्षेत्र के लिए जल्द ही उपचुनाव की अधिसूचना जारी की जायेगी.

जैसा कि उपर ज़िक्र किया जा चुका है गुवाहटी हाई कोर्ट ने 8 फरवरी को पक्के केस्सांग विधानसभा का चुनाव रद्द कर दिया था. 8 फरवरी के बाद से अब तक तकरीबन 9 महीने का समय बीत चुका है और इतने समय तक यह विधानसभा अपने निर्वाचित प्रतिनिधि से वंचित रहा है. यदि बारिश चुनाव स्थगित करने का कारण थी और स्थानीय लोगों के शक निराधार थे तो अब बारिश का मौसम गुज़रे हुए भी कम से कम दो महीने बीत चुके हैं. इस दौरान कई राज्यों में उपचुनावों की अधिसूचनाएं भी जारी हुईं, लेकिन उसमें पक्के केस्सांग का नाम कहीं नहीं आया. ऐसे में यहां के लोगों के शक को कैसे निराधार माना जाए कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर जान बूझ कर चुनाव करवाने में देरी कर रही है?

चुनाव में देरी के परिणाम

यह तो सर्वविदित तथ्य है कि भारत में चुनाव इतने महंगे हो गए हैं कि एक-एक सीट के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जाता है. पिछले दिनों पूर्वोत्तर के राज्यों की सियासी अहमियत बढ़ने के बाद यहां हो रहे चुनावों में उम्मीदवार न केवल अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर खर्च कर रहे हैं, बल्कि आम वोटरों को भी पैसे का प्रलोभन देकर वोट हासिल करने की जुगत में हैं. पीपुल्स फोरम का कहना है कि उनके क्षेत्र में भले ही उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावित उम्मीदवारों, खास तौर पर भाजपा के उम्मीदवार, की तरफ से पैसे का खेल पिछले तीन चार महीनों से जारी है. नतीजा यह हो रहा है कि नौजवानों को लुभाने के लिए पार्टियां दी जा रही हैं. शराब की बोतलें खोली जा रही हैं. क्षेत्र का निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होने के कारण क्षेत्र का जो नुकसान हो रहा है वो अलग है. यदि इन आरोपों को सही मान लिया जाए कि विलंब के कारण से सत्ताधारी दल या विपक्ष के संभावित उम्मीदवारों द्वारा पैसे के बल पर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है तो फिर ये धांधली रहित चुनाव कैसे हुआ? यदि इस आरोप को सच मान लिया जाए कि चुनाव आयोग सत्ताधारी सुविधाओं के अनुसार काम कर रहा है तो उससे साफ-सुथरे चुनाव की उम्मीद कैसे की जा सकती है? हालांकि आयोग की प्राथमिकता होनी चाहिए कि उसकी विश्वसनीयता पर किसी तरह का बट्टा न लगे और किसी को भी यह शक करने की गुंजाइश न रहे कि वो एक सियासी दल की तरह व्यवहार कर रहा है.

सामरिक दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है. चीन के साथ सीमा विवाद की वजह से यह राज्य हमेशा सुर्ख़ियों में रहता है. इस राज्य की एक विशेषता यह भी है कि यहां का हर पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छी हिंदी बोल लेता है. यह खासियत इस क्षेत्र के अन्य राज्यों में नहीं मिलती. चकमा शरणार्थियों के पुनर्वास और नागरिकता का मसला भी यहां युवा वर्ग को बेचैन करता है. देश के दो बड़े राजनैतिक दलों की वर्चस्व की लड़ाई में यहां एक मुख्यमंत्री को अपनी जान गंवानी पड़ी है. अब ऐसे में देश के बड़े राजनैतिक दलों को चाहिए कि वे यहां के राजनैतिक मामलों में अधिक दखलअंदाजी न करें और यहां की राजनीति को स्थानीय स्तर तक सीमित रहने दें. अब रहा चुनाव आयोग का सवाल तो उसे 12वीं पक्के केस्सांग जैसी स्थिति से परहेज़ करना चाहिए. क्योंकि चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र की एक विश्वसनीय संस्था है. उसे हर हालत में अपनी साख बचाए बचाए रखना न केवल इस संस्था के लिए आवश्यक है बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है.■

feedback@chauthiduniya.com

अरुणाचल की सियासी उथल-पुथल

जब भाजपा की कांग्रेस मुक्त भारत परियोजना पूर्वोत्तर पहुंची, वहां सियासी उथल-पुथल का खेल शुरू हो गया. इस उथल-पुथल में जो राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ वह है अरुणाचल प्रदेश. पिछले कुछ वर्षों से अरुणाचल प्रदेश दो दलों के सियासी वर्चस्व का अखाड़ा बना हुआ है. वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में कुल 60 सीटों में से 44 सीटें जीत कर कांग्रेस सत्ता में आई, जबकि भाजपा को 11, पीपुल्स पार्टी ऑफ़ अरुणाचल को 5 और अन्य को 2 सीटें मिली थी. कांग्रेस के नाबम तुकी मुख्यमंत्री बने, लेकिन वर्ष 2016 आते-आते पार्टी का अंतर्कलह सतह पर आ गया. उसके 20 विधयाकों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत कर दिया और भाजपा के 11 विधायकों के साथ मिलकर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया. बदले में विधानसभा अध्यक्ष ने उन 20 कांग्रेस विधायकों के खिलाफ दल-बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी. दूसरी तरफ राज्यपाल ने बिना मुख्यमंत्री की सलाह के विधानसभा सत्र को एक महीने तक बढ़ा दिया और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाने का आदेश दिया.

उधर मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र समाप्ति की घोषणा कर दी, लेकिन बागी विधायकों ने दूसरी जगह सदन की कार्रवाई कर विधानसभा अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया. इस तमाम सियासी ड्रामे के बाद कालिखो पुल भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने. गौरतलब है कि ये वही पुल हैं जिन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली थी और अपने सुसाइड नोट में देश के सर्वोच्च पदों पर विराजमान लोगों पर गंभीर आरोप लगाये थे. उस सुसाइड नोट को चौथी दुनिया ने पहली बार बिना किसी संपादन के छापा था. बहरहाल, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने नाबम तुकी की सरकार को बहाल करते हुए उन्हें विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने को कहा. बाद में नाबम तुकी की जगह कांग्रेस के बागी विधायकों में शामिल रहे पेमा खांडू कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने. राज्य की सियासत ने एक और करवट ली और कांग्रेस के 44 विधायकों में से 43 ने मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस छोड़ पीपुल्स पार्टी ऑफ़ अरुणाचल का दामन थाम लिया. यह ड्रामा यहीं समाप्त नहीं हुआ. मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अगुवाई में पीपुल्स पार्टी ऑफ़ अरुणाचल के 33 विधायकों ने एक बार फिर पाला बदला और भाजपा के खेमे में चले गए और राज्य में भाजपा सरकार बनवा दी. फिलहाल अरुणाचल की सियासत में यह अफवाह एक बार फिर गर्दिश कर रही है कि जल्द है सत्ताधारी दल के कुछ विधायक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं.■

कश्मीर में टूरिस्ट का इंतज़ार कर रहे शिकारा

कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हर शख्स के लिए तुमान के चिंता की एक वजह शायद यह भी है कि वो कई वर्षों तक ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं. अज़ीम तुमान वर्षों तक कश्मीर हाऊस बोट ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं. चौथी दुनिया के साथ एक बातचीत में उन्होंने भले दिनों की इन शब्दों में चर्चा की. 'मेरे बचपन में भारत, अंग्रेजों के वर्चस्व से अभी-अभी आजाद हुआ था. कश्मीर विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में गिना जाता था. विश्व भर से पर्यटक आकर यहां हफ्तों रहते थे. कश्मीर की समृद्धि का ये सिलसिला 1990 की शुरुआत में ही खत्म होने लगा.

हारून रेशी

अज़ीम तुमान श्रीनगर के पर्यटन उद्योग से जुड़ा एक जाना पहचाना नाम है. एक शानदार जीवन व्यतीत कर चुके ये अधेड़ उम्र के व्यक्ति इन दिनों बीमार हैं. लेकिन अपने स्वास्थ्य से ज्यादा चिंतित वो इस बात से हैं कि कश्मीर का पर्यटन उद्योग अपना वो नाम और स्थान खो रहा है, जो उसे कभी प्राप्त था. श्रीनगर की प्रसिद्ध निगीन झील में अज़ीम तुमान के तीन हाऊस बोट हैं, लेकिन ये तीनों हाऊस बोट पिछले एक साल से खाली पड़े हैं और पर्यटकों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. हाऊस बोटों के खाली रहने का मतलब उनके मालिकों का लगातार घाटा है, क्योंकि ये होटलों की तरह नहीं होते, जिन्हें ताला बंद करके रखा जा सकता है. एक हाऊस बोट को उसकी शान व शौकत के साथ बहाल रखने के लिए लगातार खर्च करना पड़ता है. अज़ीम तुमान के तीन हाऊस बोटों के उदाहरण से इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है.

हाऊस बोटों की देखरेख और पर्यटकों की खिदमत के लिए कम से कम चार कर्मचारी चौबीस घंटे तैनात रखने पड़ते हैं. ये शख्स केवल अपने घाटे के लिए परेशान नहीं हैं, बल्कि अपने कबीले के लोगों के लिए भी चिंतित हैं. उनका कहना है कि मैं तो जैसे-तैसे ये घाटा लगातार बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन आप उस शिकारा वाले की कल्पना करें जिसने बैंक से कर्जा लेकर इस उम्मीद पर एक शिकारा बनवाया कि वो उसमें पर्यटकों को डल झील की सैर करवाएगा और अपने कुनबे के लिए पैसा कमाएगा. यहां लगातार एक साल से कोई पर्यटक नहीं आ रहा है. कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हर शख्स के लिए तुमान के चिंता की एक वजह शायद यह भी है कि वो कई वर्षों तक ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं. अज़ीम तुमान वर्षों तक कश्मीर हाऊस बोट ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं. चौथी दुनिया के साथ एक बातचीत में उन्होंने भले दिनों की इन शब्दों में चर्चा की. 'मेरे बचपन में भारत, अंग्रेजों के वर्चस्व से अभी-अभी आजाद हुआ था. कश्मीर विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में गिना जाता था. विश्व भर से पर्यटक आकर यहां हफ्तों रहते थे. कश्मीर की समृद्धि का ये सिलसिला 1990 की शुरुआत में ही खत्म होने लगा. जब यहां सशस्त्र आंदोलन हुआ, इसके पश्चात ही पर्यटकों ने कश्मीर से रुख मोड़ना शुरू कर दिया. यहां की हिंसक स्थिति को देखकर अमरीका और यूरोपियन मुल्कों समेत कई देशों ने अपने नागरिकों के नाम एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें कश्मीर के पर्यटन पर न जाने का सुझाव दिया. ये एडवाइजरी यानी कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए मौत का संदेश थीं. हिंसक स्थिति के कारण 1990 से लेकर 2004 तक घाटी की टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह प्रभावित रही है. इसके बाद हालात में सुधार आने शुरू हुए, लेकिन पिछली दशक के दौरान कई घटनाएं घटीं, जिनके कारण टूरिज्म इंडस्ट्री नए सिरे से बहाल होना संभव न हो सका. वर्ष 2008 में घाटी में अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ जमीन के एक मामले पर बड़ा आंदोलन चला, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए. 2009 में दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में दो औरतों के साथ बलात्कार और हत्या की वारदात पर यहां एक बड़ा आंदोलन छिड़ गया.

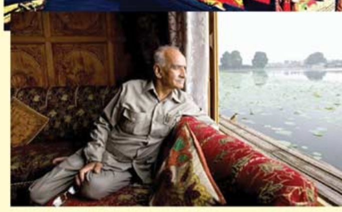

2010 में सरहदी कस्बा कुपवाड़ा में सेना के हाथों तीन निर्दोष कश्मीरियों की हत्या पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, जिस दौरान फोर्सेज के हाथों दर्जनों नई उम्र के बच्चे मारे गए. 2014 में भयानक सैलाब आया, 2016 में बुरहान वानी की हत्या के बाद भयानक आंदोलन छिड़ गया. इस साल भी समय-समय पर हालात खराब रहे. इस लगातार हिंसा और अशांति के कारण ग्रीन वैलियों, सुंदर झीलों, बर्फीले रेगिस्तानों, ऊंची पहाड़ी सड़कों और खूबसूरत मैदानों की ये भूमि बदहाली की जगह बनी नजर आ रही है. लगातार खराब हालत का प्रभाव यहां के व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन तक और सामाजिक से लेकर आर्थिक मामलों तक पड़ रहा है. शायद ही यहां जीवन का कोई क्षेत्र हो, जो हिंसक हालात के नतीजे से प्रभावित नहीं हुआ हो. शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, विकास, सामाजिक, आर्थिक यानी हर क्षेत्र हालात के थपेड़ों का शिकार हो चुका है. अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कृषि के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी है. लेकिन ये इंडस्ट्री पिछले दो साल से पूरी तरह ठप है, जिसके कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोग बेरोजगारी, बेकारी और बदहाली का जीवन गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं.

पिछले साल जुलाई में मिलिटेंट कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद पूरी घाटी भयानक हिंसा की चपेट में आ गई थी. ये वो समय था जब कश्मीर में टूरिज्म शीर्ष पर था. हालात खराब होने के फौरन बाद यहां मौजूद लाखों पर्यटकों ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया. लगातार छह महीने तक कश्मीर में हड़ताल और कर्फ्यू के कारण टूरिज्म इंडस्ट्री जैसे पूरी तरह ही दम तोड़ बैठी. इस दौरान यहां के तमाम व्यावसायिक संस्थान बंद रहे, तमाम होटल और हाऊस बोट खाली रहे, नया साल यानी 2017 आया, लेकिन समय-समय पर हालात की खराबी के कारण इस साल भी पर्यटन क्षेत्र पूरी तरह प्रभावित रहा. साफ जाहिर है कि कश्मीर का मसला यहां की जनता का अमन-चैन और खुशहाली छीन चुका है. अज़ीम तुमान को विश्वास है कि जब तक कश्मीर के मसलों को हल करके यहां मुकम्मल शांति बहाल नहीं की जाती, तबतक यहां की टूरिज्म इंडस्ट्री ही नहीं, बल्कि जीवन के तमाम क्षेत्र बदहाली के शिकार रहेंगे. फिलहाल कश्मीर के मसले के हल की संभावनाएं दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

राजस्थान में सरकार से पूछकर नौकरशाहों व लोकसेवकों पर दर्ज होगा केस

बाबुओं की हिफ़ाज़त, लोकतंत्र की फ़ज़ीहत

इंट्रो-राजस्थान सरकार एक अध्यादेश के जरिए सरकारी अधिकारी, बाबुओं व न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार को संरक्षण देने में जुटी है. इसके तहत अगर कोई व्यक्ति इन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराना चाहता है, तो उसे सरकार से अनुमति लेनी होगी और यह सब कुछ लोकतंत्र की दुहाई देकर की जा रही है. ऐसे में शंका यह उठती है कि कहीं सरकार न्यायाधीशों व बाबुओं की रक्षा कर अपने संरक्षण में पल रहे भ्रष्टाचार को बढ़ावा तो नहीं दे रही है? सवाल ये भी है कि सरकार के मनपसंद अधिकारी व बाबू इस अध्यादेश की आड़ में आखिर कब तक बचे रहेंगे?

चंदन राय

राजस्थान सरकार में अब पूर्व व वर्तमान लोकसेवकों, न्यायाधीशों व सरकारी बाबुओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने से पूर्व सरकार की अनुमति लेनी होगी. इतना ही नहीं, सरकारी अधिकारी व बाबुओं का भ्रष्टाचार सामने आने के बावजूद मीडिया सरकार के परमिशन के बिना उनका नाम, चित्र, पता या उनकी आइडेंटिटी से जुड़े तथ्य प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर सकता है. सरकार से मंजूरी मिलने से पहले अगर मीडिया ने लोकसेवकों की पहचान उजागर की, तो दो साल की सजा का प्रावधान भी है. आपराधिक कानून (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017 के दायरे में अफसर ही नहीं, भ्रष्ट नेताओं को भी रखा गया है. विधानसभा में बिल पेश किए जाने से पूर्व सरकार सभी लोकसेवकों को भी इसके दायरे में ले आई. अब आलम यह है कि पंच, सरपंच से लेकर विधायक तक पर सरकार की इच्छा के बिना केस दर्ज नहीं हो सकता है. अगर सरकार छह महीने तक किसी सरकारी अधिकारी या बाबू के खिलाफ मामले की जांच नहीं कराती है, तो इसे सरकार की मंजूरी समझी जाएगी. अब तक प्रावधान यह था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट के यहां परिवाद दायर कर इनके खिलाफ केस दर्ज करा सकता था.

बैकफुट पर राजे सरकार

सरकार 8 सितंबर को ही सीआरपीसी में संशोधन के लिए अध्यादेश लागू कर चुकी है. भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य सरकारें राज्य और समवर्ती सूची से जुड़े विषयों पर अध्यादेश ला सकती हैं. इस अध्यादेश की अवधि 6 महीने की होती है और इस बीच विधानसभा पटल पर इसे रखना जरूरी होता है. गौरतलब है कि 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में भाजपा के 162 विधायक हैं. सरकार को उम्मीद थी कि इस अध्यादेश को विधानसभा से पारित करा लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी. लेकिन विधानसभा में बिल पेश होते ही पूरे विपक्ष ने आक्रामक रुख अपना लिया. कांग्रेस के अलावा सत्तारूढ़ भाजपा के भी दो विधायक घनश्याम तिवाड़ी और नरपत सिंह राजवी इस बिल के विरोध में उतर गए. विपक्ष के एकजुट विरोध के कारण फिलहाल यह बिल पारित नहीं हो सका है. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस बिल पर पुनर्विचार करने के संकेत दिए हैं. वे अपने मंत्रियों के साथ इस बिल पर विचार-विमर्श कर रही हैं. खबर मिली है कि अब यह बिल सेलेक्ट कमिटी को भेज दिया गया है.

अपने-अपने तर्क

राजस्थान के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया इस बिल के समर्थन में तर्क दे रहे हैं कि ईमानदार अधिकारी सही काम करने से डरते थे. उन्हें लगता था कि कोई झूठी शिकायत देकर उन्हें फंसा सकता है. अधिकारी स्वतंत्र व निष्पक्ष माहौल में काम कर सकें, इसलिए यह अध्यादेश लाया गया है. राज्य के संसदीय मंत्री राजेंद्र राठौड़ भी कुछ ऐसी ही दलील दे रहे हैं. वे कहते हैं कि मनगढ़ंत मुकदमे दर्ज कर लोक सेवकों को हतोत्साहित किया जा रहा था. कुछ लोग गिरोह के रूप में 156 (3) धारा का दुरुपयोग कर रहे थे. सरकार को इनके खिलाफ बराबर शिकायतें मिल रही थीं. सरकार ने इसमें बस इतनी शर्त जोड़ी है कि केस दर्ज करने से पूर्व सरकार की अनुमति लेनी होगी. सरकार के लिए भी अनिवार्य होगा कि 6 माह में इस मामले का निपटारा करे. 6 माह बीतने पर इसे सरकार की स्वीकृति मानी जाएगी. सरकार यह भी बता रही है कि महाराष्ट्र में यह कानून पहले से ही है. वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट इसे भ्रष्टों को बचाने वाला कानून बता रहे हैं. राहुल गांधी ने भी ट्विट किया, मैडम चीफ मिनिस्टर, हम 21वीं सदी में रहते हैं. यह 2017 है, 1817 नहीं.

यह बिल अपराध करने का लाइसेंस है

कानूनी मामलों के विशेषज्ञ भी इस बिल के प्रावधानों को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बता रहे हैं. उनका कहना है कि यह बिल भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन है. किसी अधिकारी के भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग से संबंधित मामले की निष्पक्ष जांच का अधिकार संविधान याचिकाकर्ता को देता है. राजस्थान हाइकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एके जैन ने सामाजिक कार्यकर्ता भगवत कौर की तरफ से इस बिल के खिलाफ पीआईएल दाखिल की है. एके जैन इस बिल को अपराध करने का लाइसेंस बताते हैं. इस अध्यादेश पर मानवाधिकार संगठनों ने भी एतराज जताया है. पीपल्स यूनियन फोर सिविल लिबर्टीज की राष्ट्रीय अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव ने इस बिल को लोकतंत्र के दो स्तम्भ न्यायपालिका और मीडिया पर हमला बताया है. उन्होंने कहा, मीडिया का गला घोंटा जा रहा है. अगर अदालत को सुनवाई और जांच के आदेश से रोका जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का क्या अर्थ रह जाएगा? फिर लोग कहां फरियाद करेंगे?

एडिटर्स गिल्ड ने भी कहा कि यह अध्यादेश पत्रकारों को जेल में बंद करने की निरंकुश ताकत देता है. यह मीडिया को परेशान करने वाला, सरकारी अधिकारियों के कार्यों को छिपाने वाला और प्रेस की आजादी में बाधा डालने का हथियार है. राजस्थान सरकार का यह अध्यादेश आपातकाल की याद ताजा कराने वाला है. आम जनता व प्रेस की स्वतंत्रता व अधिकारों को कुचलने वाला यह अध्यादेश लोकतंत्र के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है.■

feedback@chauthiduniya.com

नोटबन्दी-जीएसटी-श्रम क़ानून

सरकार मज़दूरों के ख़िलाफ़ है: मज़दूर संगठन

शशि शेखर

अभी कुछ ही दिन पहले सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट आई थी, जो बताती है कि साल 2017 के पहले चार महीने, जनवरी 2017 से अप्रैल 2017 के बीच तकरीबन 1.5 मिलियन यानि 15 लाख नौकरियां समाप्त हो गईं. जाहिर है, ये नोटबंदी का असर ही था. अप्रैल 2016 में कुल नौकरियों की संख्या 401 मिलियन थी, जो दिसंबर 2016 तक बढ़कर 406.5 मिलियन हो गई. इसके बाद के 4 महीनों में ये घट कर 405 मिलियन रह गई यानि 1.5 मिलियन (15 लाख) नौकरियां खत्म हो गई. गौरतलब है कि ये वक्त नोटबंदी और नोटबंदी के बाद हालात के सामान्य होने का था. इसके बाद, जुलाई से जीएसटी लागू किए जाने के बाद एक बार फिर छोटे और मंझोले व्यापारियों का काम प्रभावित हुआ. इस वजह से अकेले सूरत जैसे शहर से एक लाख से अधिक बिहार और यूपी के मजदूरों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा. बड़ी आईटी कंपनियां और एलएंडटी जैसी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने भी काफी संख्या में अपने यहां से लोगों को काम से निकाला.

सवाल है कि देश में दर्जनों मजदूर संगठन हैं, वो क्या कर रहे हैं? ऐसे माहौल में जब मजदूरों और कामगारों का काम छूट रहा है, ये मजदूर संगठन क्या उनके लिए आवाज उठा रहे हैं? चौथी दुनिया ने इस बारे में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और भारतीय मजदूर संघ से बात की. इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसीडेंट जी संजीव रेड्डी ने चौथी दुनिया से बात करते हुए कहा कि नोटबंदी, जीएसटी के बाद मजदूरों का सबसे बड़ा दुश्मन बनने जा रहा है, श्रम कानूनों में किए जाने वाला प्रस्तावित संशोधन. उन्होंने बताया कि सरकार आने वाले सत्र में ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्री डेस्प्यूट सेटलमेंट एक्ट, लेबर लॉ आदि में संशोधन करने जा रही है. उनके मुताबिक, पहले जहां किसी कंपनी के 7 सदस्य मिल कर ट्रेड यूनियन बना सकते थे अब वहीं ये संख्या कंपनी के सदस्यों की 50 फीसदी तक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ट्रेड यूनियन बनाने की कोशिश को कमजोर किया जा सके. उसमें कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकता, प्रबन्धन बिना नोटिस दिए वेतन घटा सकता है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में प्रबन्धन अपनी मर्जी से बदलाव कर सकता है. रेड्डी मानते हैं कि अगर इस तरह का कानून पास हुआ तो आने वाले समय में मजदूरों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा बिल्कुल नहीं हो पाएगी. इंटक आगामी 9-10-11 नवंबर को संसद मार्ग पर इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन भी करने वाली है.

इंटक के नेशनल वाइस प्रेसीडेंट अशोक सिंह ने बताया कि इस प्रदर्शन में देश के सभी मजदूर संगठन एक साथ एक मंच पर आएंगे. हालांकि, उन्होंने ये भी बताया कि मजदूर संगठनों की इस एकता में आरएसएस समर्थित भारतीय मजदूर संघ शामिल नहीं है. बीएमएस क्यों शामिल नहीं है, ये पूछने पर अशोक सिंह ने कहा कि बीएमएस का गठन ही आरएसएस ने इसलिए किया, ताकि देश में मजदूर संगठन कमजोर हो जाए. बहरहाल, 26 अक्टूबर को दिल्ली के श्रमिक भवन में करीब दर्जन भर मजदूर संगठनों की बैठक हुई. इस बैठक में 9-10-11 नवंबर को होने वाले प्रदर्शन के बारे में बातचीत हुई. इस बारे में अशोक सिंह ने बताया कि हमने तय किया है कि चूंकि जंतर-मंतर पर एनजीटी ने प्रदर्शन की मनाही कर दी है, फिर भी हम सरकार से जगह मांगेंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे. भले ही हमें जगह मिले या न मिले लेकिन हम अपने 12 सूत्री मांग को लेकर अपना आन्दोलन अवश्य करेंगे. हम किसी भी परिणाम को झेलने के लिए तैयार हैं. इस बैठक में एटक की अमरजीत कौर, हिन्द मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू, सीटू के तपन सेन आदि भी शामिल हुए.

एटक की सचिव अमरजीत कौर ने चौथी दुनिया से बात करते हुए कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से छोटा सेक्टर और माइक्रो इन्डस्ट्री को काफी नुकसान हुआ जबकि ये सेक्टर 80 फीसदी से अधिक रोजगार का सृजन करते हैं. अमरजीत कौर ने बताया कि उनका संगठन नवंबर के दूसरे सप्ताह में संसद मार्ग पर धरना देगी और श्रम कानून में मजदूर विरोधी प्रावधान के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएगी. एटक ने अपनी 12 सूत्रीय मांग तैयार की है. उनका कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो अगले साल सभी मजदूर संगठन एक साथ मिल कर पूरे देश में हड़ताल करेंगे. चौथी दुनिया ने जब मजदूर संघ के महासचिव बृजेश उपाध्याय से इस बारे में बात की तो पहले तो वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि नोटबंदी या जीएसटी से मजदूरों का काम खत्म हो रहा है. वे कहते हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बल्कि इससे मजदूर को फायदा हुआ है और वे संगठित क्षेत्र में आ गए हैं. मौजूदा बेरोजगारी को वे अस्थायी फेज मानते हैं. हालांकि, वे ये मानते हैं कि नोटबंदी और जीएसटी का क्रियान्वयन और बेहतर किया जा सकता था, बशर्ते सरकार सभी हितधारकों से सलाह मशविरा करती. बहरहाल, हरेक संगठन की अपनी राजनीति होती है, लेकिन, सरकार की आर्थिक नीति और श्रम कानूनों के साथ छेड़छाड़ से निश्चित तौर पर देश के मजदूरों और श्रमिकों का भारी नुकसान हुआ है और आगे भी हो सकता है. ऐसे में ये मजदूर संगठन इन मजदूरों के हितों की कितनी रक्षा कर पाते हैं, इसका इंतजार इस देश को भी है, कामगारों को भी है. ■

चूंकि जंतर-मंतर पर एनजीटी ने प्रदर्शन की मनाही कर दी है, फिर भी हम सरकार से जगह मांगेंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे. भले ही हमें जगह मिले या न मिले लेकिन हम अपने 12 सूत्री मांग को लेकर अपना आन्दोलन अवश्य करेंगे. हम किसी भी परिणाम को झेलने के लिए तैयार हैं.

अशोक सिंह,
नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, इंटक

मजदूर संगठनों की 12 सूत्री मांग

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सार्वभौमिकरण कर मूल्य वृद्धि पर लगाम लगाया जाए. कमोडिटी बाजार में वायदा कारोबार बन्द हो.
2. रोजगार सृजन के लिए मजबूत कदम उठाते हुए बेरोजगारी घटाई जाए.
3. सभी बेसिक लेबर लॉ (श्रम कानून) का क्रियान्वयन हो. इसमें कोई अपवाद या छूट न हो और लेबर लॉ के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई हो.
4. न्यूनतम वेतन प्रति माह 18000 रूपये से कम न हो.
5. सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मिले.
6. सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम पेंशन 3 हजार रुपए हो.
7. केन्द्र और राज्य के पीएसयू में विनिवेश बन्द हो.
8. कॉन्ट्रैक्ट जॉब बन्द हो और और जो है उन्हें नियमित कर्मचारी की तरह ही समान वेतन-भत्ता मिले.
9. वेतन, बोनस, पीएफ पर सीलिंग हटे, ग्रेच्युटी की मात्रा बढाई जाए.
10. आवेदन दिए जाने के 45 दिनों के भीतर अनिवार्यतः ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन हो.
11. हम श्रम कानून संशोधन के खिलाफ है.
12. हम रेलवे, बीमा और डिफेंस में एफडीआई के खिलाफ है.

feedback@chauthiduniya.com

रमन के ख़िलाफ़ सरोज की बयानबाज़ी उल्टी पड़ गई

रूपेश गुप्ता

feedback@chauthiduniya.com

बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडेय ने अपने बयान से पलटी मार ली है. दो दिन पहले तक वो इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही थीं कि रमन सिंह चौथी बार बीजेपी की सत्ता आने पर मुख्यमंत्री शायद न हों, लेकिन दो दिन बाद ही वो पलट गईं. सरोज पांडेय ने नया बयान जारी किया कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी. उनके बारे में जो बयान पहले मीडिया में आए हैं, वो तोड़-मरोड़ के पेश किऐ गए हैं. उनके पहले और अभी के बयानों के बीच बीजेपी के अंदरखाने काफी कुछ घट गया, जो बेहद दिलचस्प है.

कोरबा में जुलाई में बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक में सरोज पांडेय ने सबसे पहले ये बयान दिया कि अगर बीजेपी की छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी होती है, तो अगले मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी की सबसे बड़ी कमेटी संसदीय बोर्ड करेगी. इस बयान के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी चिंता करने की बजाय पार्टी की जीत की चिंता करें. इसके बाद रायपुर में अक्टूबर में जब कार्यसमिति की दोबारा बैठक हुई तो उन्होंने कहा कि वे अपने बयान पर कायम हैं. उन्होंने जो बातें कही थीं, वो तथ्यों पर आधारित थीं.

लेकिन दो दिन बाद उन्हें एक ऐसा बयान जारी करना पड़ा जिससे उनकी छवि धूमिल हो गई. एक बयान जारी कर सरोज पाण्डेय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह पार्टी संगठन में हमारे सर्वमान्य और सर्वसम्मानित नेता हैं. उनके नेतृत्व में विगत चौदह वर्षों में छत्तीसगढ़ में गांव, गरीब और किसानों तथा समाज के सभी वर्गों की बेहतरी के लिए शानदार काम हुए हैं. सरोज पाण्डेय ने कहा-विकास के इन कार्यों को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिलेगा और एक बार फिर डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी. आगामी विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा.

पाण्डेय ने मीडिया में आई इन खबरों को निराधार बताया, जिसमें उनके कथित बयान के हवाले से यह लिखा गया है कि राज्य में चुनाव के बाद सीएम का चेहरा तय होगा. पाण्डेय ने कहा कि मैंने ऐसा कोई भी बयान मीडिया को नहीं दिया है. मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर प्रचारित किया गया है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ में सरकार के नेतृत्व को लेकर कोई मतभेद नहीं है और भाजपा का पूरा प्रदेश संगठन आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर चौथी बार भी डॉ. रमन सिंह की सरकार बनाने के लिए एकजुट होकर काम कर रहा है.

हालात तब बिगड़ गए, जब पैकरा ने सरोज पांडेय के सुर में सुर मिला दिया. जिस शाम सरोज पांडेय का बयान जारी हुआ, उसी दोपहर को बिलासपुर में प्रदेश के गृहमंत्री रामसेवक पैकरा ने सरोज पांडेय के सुर में सुर मिला दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में चुनाव तो रमन सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन अगला मुखिया कौन होगा, इसका फैसला आलाकमान करेगा.

प्रदेश के दोनों दिग्गज नेताओं के बयानों के आधार पर प्रदेश के एक बड़े पोर्टल ने सवाल उठाया कि क्या रमन सिंह बीजेपी की चौथी पारी में मुख्यमंत्री नहीं होंगे? क्या पार्टी ने अपना अगला मुख्यमंत्री तलाश लिया है. इस बयान के बाद बीजेपी में भूचाल आ गया. मुख्यमंत्री ने जब ये ख़बर पढ़ी तो वे बेहद नाराज़ हुए. उनकी नाराज़गी के बाद मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई. सबसे पहले गृहमंत्री रामसेवक पैकरा से बात की गई. पैकरा ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. लेकिन जब उनके बयान का वीडियो सामने आया तो पैकरा का सच सामने आ गया. चर्चाओं के मुताबिक इसे लेकर मुख्यमंत्री ने संगठन सह मंत्री सौदान सिंह और प्रभारी अनिल जैन के ज़रिए अपनी शिकायत आलाकमान तक पहुंचाई. सरोज पांडेय की शिकायत ऊपर तक हुई. रमन सिंह की ओर से कहा गया कि अगर इस तरह के बयान पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से आते रहे, तो राज्य में अगला चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा. पार्टी पहले से ही गुजरात में बुरी तरह उलझी हुई है लिहाज़ा वो छत्तीसगढ़ के झगड़े सुलझाने के चक्कर में अपनी उलझन नहीं बढ़ाना चाहती. इसलिए आलाकमान ने सरोज पांडेय को बेदह सख्त संदेश दे दिया कि वो इन हालातों में पार्टी के लिए मुश्किलें ना खड़ी करें. सरोज पांडेय को इस मामले में रमन सिंह के पक्ष में बयान जारी करने को कहा गया.

चूंकि रामसेवक पैकरा की हैसियत बहुत बड़ी नहीं है. वो रमन सिंह की कृपा पर ही मंत्री बने हुए हैं, इसलिए उन्हें समझाने का ज़िम्मा रमन सिंह को ही सौंपा गया. बताया जा रहा है कि सीएम की ओर से पैकरा से बात की गई और उन्हें जमकर फटकार लगाई गई.

दोनों नेताओं को फटकार लगाने के बाद सरोज पांडेय की तरफ से बयान जारी किया गया और विवाद को ठंडा करने की कोशिश की गई है. लेकिन सूत्र बताते हैं कि दोनों नेताओं के बीच मतभेदों को फौरी तौर पर शांत कराया गया है. चिंगारी अभी बुझी नहीं है. गुजरात चुनावों के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनने की सरोज पांडेय की महत्वाकांक्षा ज़ोर मारेगी. वे फिर से सरकार को घेरने की कोशिशों में जुट जाएंगी. लेकिन जानकार बाताते हैं कि गुजरात चुनाव के बाद हालात बदल सकते हैं. एक संभावना ये भी है कि गुजरात के नतीजे विपरीत आने पर शिवराज सिंह और रमन सिंह का कद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ सकता है, जिसके बाद अमित शाह खेमे की सरोज पांडेय कमज़ोर हो सकती हैं. ■

रमन सिंह की ओर से कहा गया कि अगर इस तरह के बयान पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से आते रहे, तो राज्य में अगला चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा. पार्टी पहले से ही गुजरात में बुरी तरह उलझी हुई है लिहाज़ा वो छत्तीसगढ़ के झगड़े सुलझाने के चक्कर में अपनी उलझन नहीं बढ़ाना चाहती. इसलिए आलाकमान ने सरोज पाडेय को बेदह सख्त संदेश दे दिया कि वो इन हालातों में पार्टी के लिए मुश्किलें ना खड़ी करें. सरोज पाडेय को इस मामले में रमन सिंह के पक्ष में बयान जारी करने को कहा गया.

आपके द्वार विधायक कार्यक्रम से पलटवार की तैयारी में राजद

सरोज सिंह

राजनीतिक और कानूनी झटके झेल रहे राजद ने जदयू और भाजपा के खिलाफ पलटवार की तैयारी तेज कर दी है. कहिए तो आपके द्वार विधायक कार्यक्रम से इसकी शुरुआत कर दी गई है. जीएसटी के खिलाफ पूरे प्रदेश में राजद ने आंदोलन की तैयारी की है. आठ नवंबर को हर जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि जीएसटी से गरीब जनता को क्या फायदा हुआ है, इसे सरकार बताए. कानून और व्यवस्था के मामले पर भी नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी है और इसे लेकर एक व्यापक आंदोलन छेड़ने की कवायद जारी है. राजद सरकार से यह पूछेगा कि अगर जंगलराज लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल में था, तो जो अब जो हो रहा है वह क्या है? लालू प्रसाद जल्द ही एक बार फिर गांधी मैदान में बड़ी रैली करने का भी प्लान बना रहे हैं.

लालू दोहरी जंग लड़ रहे हैं

दरअसल पलटवार की रणनीति लालू प्रसाद ने बहुत ही सोच समझ कर बनाई है. अपने और अपने परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से लालू प्रसाद खासे परेशान हैं. इनकी परेशानी भले ही उनके चेहरे से न झलकती हो पर सच्चाई यह है कि इस मामले ने लालू और उनके परिवार को पूरी तरह उलझा कर रख दिया है. कभी रांची तो कभी दिल्ली, कभी आईटी तो कभी ईडी की पूछताछ. इन पूछताछों से राजद के कैडरों पर भी बुरा असर पड़ रहा है. उन्हें लग रहा है कि अगर जेल जाने की नौबत आ गई तो फिर पार्टी को आगे लेकर कौन जाएगा? संकट यह है कि इस बार घेरे में केवल लालू प्रसाद ही नहीं हैं, बल्कि उनका सारा परिवार है. जानकार बताते हैं कि लालू प्रसाद हर बचे हुए वक्त का उपयोग कर लेना चाहते हैं. संगठन का चुनाव तेजी पर है और बहुत संभावना है कि आलोक मेहता को इस बार प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी जाए. लालू प्रसाद को इसमें बहुत फायदा नजर आ रहा है. आलोक मेहता तेजस्वी के खास हैं और पार्टी के अगुआ रणनीतिकार माने जाते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि कुशवाहा वोटों को अपनी ओर समेटने में आलोक मेहता राजद के लिए काफी कारगर हो सकते हैं. लालू प्रसाद आलोक मेहता जैसे युवा के कंधे पर पार्टी की जिम्मेदारी देकर युवाओं को संदेश भी देना चाहते हैं. राजद के सूत्र बताते हैं कि लालू प्रसाद नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों को निशाने पर लेकर राजद का जनाधार बढ़ाने की कोशिश में हैं. लालू अपनी हर सभा में नरेंद्र मोदी को जीएसटी और बिहार के साथ हो रहे सौतेलेपन के मुद्दे पर घेर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार और कानून व व्यवस्था के मुद्दे पर खरी खोटी सुना रहे हैं. लालू जानते हैं कि उनकी लड़ाई आसान नहीं है वह दोहरी जंग लड़ रहे हैं. उनके दोनों विरोधी दमदार हैं और वे कानूनी जाल में उलझे हैं, इसलिए लालू प्रसाद के लिए यह समय कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह दो-दो बजे रात तक सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर अपने विरोधियों को घेरने का काम कर रहे हैं. लालू प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम में खुद इस बात का खुलासा किया कि वे देर रात तक सोशल मीडिया में सक्रिय रहकर अपने विरोधियों के खिलाफ तथ्य जुटाने में लगे रहते हैं. श्री कृष्ण बाबू के जयंती समारोह में कांग्रेस ने लालू प्रसाद को अपना मुख्य अतिथि बनाया था. यह भी एक रणनीति के तहत ही हुआ. दरअसल एनडीए खेमा चाहता है कि लालू और कांग्रेस के बीच दूरी बना दी जाए. हो सके तो कांग्रेस को तोड़ भी दिया जाए. पिछले दिनों पटना से लेकर दिल्ली तक इसकी कोशिश होती रही जिसमें बलि का बकरा अशोक चौधरी को बना दिया गया. एनडीए खासकर भाजपा के रणनीतिकार चाहते हैं कि कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़े ताकि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण न होने पाए. लालू प्रसाद इस चाल को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उन्होंने बतौर अतिथि कांग्रेस के कार्यक्रम में जाना स्वीकार कर लिया. लालू कहीं से नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस और राजद के बीच कुछ दूरी दिखाई दे, इसलिए उन्होंने उस कार्यक्रम में साफ-साफ कहा कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट रखने के लिए वे कुर्बानी देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे. इसी प्लान के तहत लालू नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा नरेंद्र मोदी को भला बुरा कहते फिर रहे हैं. लालू के अलावा पार्टी के अन्य नेता भी केंद्र सरकार को लगातार घेर रहे हैं.

राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी कहते हैं कि पहली बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बैकफुट पर है. इस दफा सरकार पर निशाना लगाने वालों में सिर्फ विरोधी नहीं, बल्कि भाजपा के अपने लोग भी हैं. देश वित्तीय संकट की स्थिति में है. सब मान रहे हैं कि जिस प्रकार बगैर सोचे-समझे नोटबंदी लागू की गई, उसने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है. रही-सही कसर आनन-फानन में लागू किए गए जीएसटी के मौजूदा स्वरूप ने पूरा कर दिया है. श्री तिवारी ने आरोप लगाया कि सबसे चिंताजनक हालत रोजगार की है. कई क्षेत्रों में उद्योग बंद हुए हैं. बड़े पैमाने पर छंटनी हो रही है. आजादी के बाद पहली मर्तबा रोजगार बढ़ने के बदले घटने लगे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में निवेश नहीं हो रहा है, फिर विदेशी निवेश का सवाल कहां है? सरकार सिर्फ हवाबाजी से काम चला रही है, लेकिन हवाबाजी द्वारा हर बार जनता की आंख में धूल नहीं झोंका जा सकता है.

राजद के नेता बार-बार यह मुद्दा उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. बाढ़ राहत का पैसा भी अभी तक नहीं दिया गया. विशेष पैकेज पर तो केवल सूबे की जनता को ठगा जा रहा है. राजद प्रवक्ता निरंजन कुमार पप्पू कहते हैं कि अब तो हद हो गई है. नीतीश कुमार हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री हैं कि कुछ देने को तैयार नहीं हैं. श्री पप्पू का कहना है कि बिहार की जनता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों को पहचान गई है और आने वाले चुनावों में एनडीए को सबक सिखाएगी. श्री पप्पू का कहना है कि आपके द्वार विधायक कार्यक्रम में जिस तरह की भीड़ जुट रही है, उससे साफ है कि लोगों का राजद के प्रति झुकाव काफी बढ़ा है. बिहार की जनता का एक ही नेता है और वह है लालू प्रसाद. सामाजिक न्याय की लालू प्रसाद की लड़ाई को उनके दोनों बेटे तेजप्रताप और तेजस्वी आगे बढ़ा रहे हैं.

राजद ने भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब भ्रष्टाचार के आरोपों से ही देने की रणनीति बनाई है. यही वजह है कि सृजन घोटाले को राजद प्रमुखता से हर मंच पर उठा रहा है. पार्टी मानती है कि सृजन के छींटे नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर पड़ने तय हैं, इसलिए हर मंच से सृजन के मामले को उछाला जा रहा है. राजद इस मामले को कानूनी ढंग से भी आगे बढ़ाना चाहती है. इसके लिए संबंधित लोगों की पूरी मदद की जा रही है. जमीन पर और अदालत में दोनों ही मंच पर सृजन की गूंज नीतीश कुमार और सुशील मोदी को परेशान कर सकती है.

कुशवाहा और मांझी को साथ लाने की कोशिश

राजद ने एनडीए को भी कमजोर करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को अपने पाले में लाने की कोशिश जारी है. राजद के कुछ बड़े नेताओं को इस काम में लगाया गया है. राजद की योजना बसपा और सपा को भी साथ लाने की है. लालू प्रसाद की सोच है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद महागठबंधन केवल कहने को महागठबंधन न रह जाए, बल्कि सही मायनों में इसका दायरा काफी व्यापक हो, इसलिए दोहरी कार्ययोजना बनाई गई है. पहला एनडीए के कुछ सहयोगियों को साथ लाया जाए और दूसरा एनडीए से बाहर के दलों को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक फोल्ड पर किया जाए. लालू प्रसाद आगामी चुनावों में किसी भी हाल में वोटों का बंटवारा नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस मामले में काफी लचीला रवैया अपना रखा है. लालू प्रसाद को लगता है कि बिहार में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के भी चुनाव हो सकते हैं, इसलिए वे जल्दी में हैं और चाहते हैं कि अनुकूल समय में ही महागठबंधन को भी पूरी तहर व्यवस्थित कर दिया जाए. जीतन राम मांझी को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं है पर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर पेंच फंस रहा है. उपेंद्र कुशवाहा के लोग मुख्यमंत्री से कम में कोई बात करना ही नहीं चाहते हैं और राजद इसके लिए तैयार नहीं है. राजद के सूत्र बताते हैं कि देर सवेर उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया जाएगा. पार्टी मानती है कि एनडीए में लोकसभा टिकट के बंटवारे में घमासान होना तय है और उस समय यह काम ज्यादा आसान हो जाएगा. लालू के अलावा अब तेजस्वी और तेजप्रताप भी पार्टी और अपने पर लगाए गए आरोपों का खुल कर जवाब दे रहे हैं. ताजा उदाहरण छठ पर सुशील मोदी के टिवट् का दे सकते हैं.

भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का ज्ञान पहले सुनिए. वो फरमाते हैं, करोड़ों रुपए के माल, मिट्टी और जमीन घोटाले में फंसने पर जिनके बेटों ने तंत्र-मन्त्र और वास्तुदोष निवारण के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाये, उनकी माताश्री राबड़ी देवी अब संकट से मुक्ति के लिए छठ करने की दुविधा में हैं. यह ऑफिशियल ट्विट की भाषा बेहद अपमानजनक और उकसानेवाली है. सुशील मोदी जैसे वरिष्ठ नेता से कम से कम ये उम्मीद तो बिहार को नहीं ही रही होगी. महापर्व पर एक एक शब्द सोच समझकर बोला जाता है, यह किसी जाति या दल से सम्बद्ध नहीं है. इस महापर्व से करोड़ों बिहारियों की श्रद्धा जुड़ी है. भाजपा के भी कई नेताओं ने इस भाषा को अशालीन बताया. इस आपत्तिजनक ट्विट के जवाब में पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी ने ट्विट किया कि छठ मैया पर आपकी टिप्पणी आपके छिछोरापन, छठ मैया के प्रति आपकी घोर घृणा, अपमान और ओछी मानसिकता का परिचायक है. तेजस्वी ने फिर भी शालीनता बरती, लेकिन उनके दल के कई अन्य विधायक कहां चुप बैठने वाले थे! उनलोगों ने सुशील मोदी की पत्नी श्रीमती जेसी जॉर्ज पर ऐसे-ऐसे ट्विट किये कि छठ मैया तक कराह उठीं होगी. यहां तक कहा गया कि जेसी जॉर्ज और उनकी मां जी को अगल-बगल खड़ा कर देख लो कि कौन कितनी धार्मिक हैं! मोदी को विधर्मी और छठ पर ज्यादा ज्ञान न देने की चेतावनी तक दी गयी.

साफ है कि राजद अब अपने पर हुए हर राजनीतिक हमले का जबाव देगा और कहीं से यह संदेश नहीं जाने देगा कि तमाम परेशानियों के बावजूद पार्टी बैकफुट पर है. आक्रमण को ही हथियार बना 2019 और 2020 की जंग जीतने का संदेश लालू प्रसाद ने राजद के अपने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को दे दिया है. आने वाले दिनों में इसकी पूरी तस्वीर साफ दिखने लगे तो आश्चर्य नहीं होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड: दो घटनाओं से बनी राज्य की शर्मनाक तस्वीर

संतोषी की मां कोयली देवी का आरोप है कि राशन डीलर उसे सात माह से राशन नहीं दे रहा था. उसने ग्रामीणों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता तारामणि के माध्यम से 21 सितम्बर को सिमडेगा के उपायुक्त के जनता दरबार में यह मामला उठाया था कि उसके घर में इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह अपनी बेटी को दो वक्त का भोजन दे पाये. कारी माटी गांव के प्राथमिक स्कूल में पहले संतोषी मिड डे मिल खा लेती थी, पर कुछ दिनों से वह भी बंद था और अंतत: भूख के कारण उसने प्राण त्याग दिये. उसकी मां अपनी कातर आंखों से केवल देखती रही, पर घर में अन्न का एक दाना भी नहीं रहने के कारण कुछ भी नहीं कर पाई.

प्रशान्त शरण

मुख्यमंत्री रघुवर दास अपनी कागजी उपलब्धियों पर भले ही इतराते हों और पार्टी के आला नेताओं से पीठ थपथपाने में सफल रहते हैं, पर हाल में घटित दो घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. बारह वर्षीय बच्ची की भूख से मौत और दूसरा बारह वर्षीय लड़की जो दुष्कर्म के बाद गर्भवती हो गयी थी और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उसका गर्भपात कराया गया. भूख से हुई मौत को केन्द्र सरकार ने गंभीरता से लिया और राज्य सरकार ने पल्ला झाड़ते हुए इसे भूख से मौत नहीं बताकर मलेरिया से मौत को कारण बताया. केन्द्र जब राज्य की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई तो उसने एक उच्च स्तरीय जांच दल भेज दिया. यह दल पूरे मामले की जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी.

झारखंड में विकास कागजों पर ही होता रहता है. मुख्यमंत्री रघुवर दास यह दावा करते हैं कि राज्य में कोई बीपीएल परिवार नहीं रहेगा, पर सच्चाई इससे इतर है. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में घोर गरीबी है, जिसे देख कर रुह कांप जाती है. 47 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करती है. उन्हें एक जून का खाना भी नसीब नहीं होता है. सुदूर ग्रामीण इलाकों में अधिकांश आबादी को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है. झारखंड की भौगोलिक स्थिति, गरीबी, समाजिक असमानता बहुत ही ज्यादा है और मुख्यमंत्री भी इस बात को भली-भांति जानते हैं, पर राज्य का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास नकल में विश्वास करते हैं. केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जो भी योजना शुरू करते हैं, ठीक उसी की नकल यहां होती है. जन वितरण प्रणाली में आधार एवं पैसे के अभाव में बहुत से लोग आधार कार्ड नहीं बना पाये हैं.

... और भात-भात रटते मर गई संतोषी

सिमडेगा की कारी माटी गांव की संतोषी जिस स्कूल में पढ़ने जाती थी, वहां भी राशि के अभाव में कई महीनों से मिड डे मिल योजना बंद थी. अब संतोषी को न तो स्कूल में खाना मिल रहा था और न ही घर में. घर में राशन कार्ड और आधार कार्ड के कारण कई महीनों से जन वितरण प्रणाली की दुकान से अनाज नहीं मिल पा रहा था. घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था. परिवार के लोग किसी तरह जंगली फल, घास-फूस खाकर अपना पेट भर रहे थे. वे धीरे-धीरे मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए थे. संतोषी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकी और भात-भात मांगते हुए अपनी मां की गोद में ही प्राण त्याग दिए.

संतोषी की मां कोयली देवी का आरोप है कि राशन डीलर उसे सात माह से राशन नहीं दे रहा था. उसने ग्रामीणों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता तारामणि के माध्यम से 21 सितम्बर को सिमडेगा के उपायुक्त के जनता दरबार में यह मामला उठाया था कि उसके घर में इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह अपनी बेटी को दो वक्त का भोजन दे पाये. कारी माटी गांव के प्राथमिक स्कूल में पहले संतोषी मिड डे मिल खा लेती थी, पर कुछ दिनों से वह भी बंद था और अंतत: भूख के कारण उसने प्राण त्याग दिये. उसकी मां अपनी कातर आंखों से केवल देखती रही, पर घर में अन्न का एक दाना भी नहीं रहने के कारण कुछ भी नहीं कर पाई.

मुख्यमंत्री रघुवर दास भाजपा के एक दिवंगत नेता के श्राद्ध कार्यक्रम में सिमडेगा गये तो उन्हें भी इस बात की जानकारी हुई. उन्होंने चौबीस घंटे में जांच रिपोर्ट मांगी और पीड़ित परिवार को पचास हजार रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया. इस मामले के उजागर होते ही राजनीति शुरू हो गयी. अधिकारी भी हर दिन इस मामले में अपना बयान बदलते रहे. कभी आधार कार्ड के कारण राशन कार्ड का रद्द होना, तो कभी संतोषी की मौत बीमारी से बताना शुरू किया. यह सोचना भी दुखद है कि 21 वीं सदी में किसी की मौत भूख से हो सकती है. वह भी उस राज्य में जहां के मुख्यमंत्री लगातार यह घोषणा कर रहे हैं कि 2020 तक झारखंड में कोई बीपीएल परिवार नहीं होगा. चौबीस घंटे के भीतर राज्य के अधिकारियों ने तीन बार अपना बयान बदला. राज्य में 11 लाख राशन कार्ड रद्द किये गये थे और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने एक हजार दिनों की उपलब्धियों में इसे भी गिनाया था.

मामला जब उजागर हुआ और यह समाचार जब मीडिया की सुर्खियां बनने लगा, तब सरकार की नींद खुली. इसके बाद उस क्षेत्र के आला अधिकारियों पर भी गाज गिरना तय माने जाने लगा. इसके बाद उस क्षेत्र के दबंगों ने उस पीड़ित परिवार को ही गांव से भगा दिया. जाहिर है इसके पीछे आला अधिकारियों का ही हाथ होगा. बाद में भारी सुरक्षा के बीच उस परिवार को पुन: गांव लाया गया. जलडेगा प्रखंड के कारीमाटी गांव के संतोषी की मां कोयली देवी और उनका परिवार डरा-सहमा है. लोगों ने उनके घर में घुस कर धमकी दी और सामान भी बाहर फेंक दिया. इसके बाद तंग आकर कोयली देवी ने गांव छोड़ दिया. कोयली देवी का कहना है कि मैं और मेरा परिवार भय के माहौल में जी रहा है. गांव के कुछ दबंग लोग मेरे घर आए और गांव से भाग जाने की धमकी देने लगे. कोयली देवी का कहना है कि एक तो हमलोग भूख से परेशान हैं और उस पर लोग भी प्रताड़ित कर रहे हैं.

दरअसल प्रशासनिक महकमा का पहले कहना था कि आधार कार्ड नहीं रहने के कारण कोयली देवी का राशन कार्ड रद्द कर दिया गया था. उच्चतम न्यायालय के आदेश की जब जानकारी अधिकारियों को याद आयी, तो अधिकारियों ने अपना बयान बदलना शुरू कर दिया. इसके बाद अधिकारी संतोषी की मौत मलेरिया से होने की बात कहने लगे. संतोषी की मौत के बाद कोयली देवी को राशन कार्ड दिया गया था. गौरतलब है कि मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने यह तुगलकी फरमान जारी किया था कि बिना आधार कार्ड वाले उपभोक्ताओं का राशन कार्ड रद्द कर दिया जाए. इसके बाद ही पूरे राज्य में ग्यारह लाख राशन कार्ड रद्द कर दिये गये थे.

इधर राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय मुख्यमंत्री रघुवर दास और मुख्य सचिव को ही जिम्मेदार मानते हैं. उन्होंने कहा कि कुछ गलत निर्णय भी राज्य सरकार ले लेती है. उन्होंने कहा कि आधार नहीं रहने से राशन कार्ड से वंचित करना गलत होगा. मुख्मंत्री सचिव के आदेश पर विभाग ने आपत्ति जतायी थी. उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के उस आदेश को निरस्त कर दिया गया है और जो अधिकारी इसे नही मानेंगे, वे अधिकरी दंड के भागी होंगे. मंत्री ने कहा कि बच्ची की मौत का मामला जो भी है, पर उस परिवार को जुलाई से राशन नहीं मिल रहा था. मौत के कारणों की सही जानकारी ली जा रही है. सिमडेगा उपायुक्त की अध्यक्षता में जांच कमिटी बनायी गयी है. उन्होंने कहा कि हड़बड़ी में एक तरफा निर्णय लिये जा रहे हैं.

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां द्रेज ने तो केन्द्र की खाद्यान्न नीति को ही दोषपूर्ण बताते हुए उसमें बदलाव की मांग की है. जो भी हो, इस मौत पर राजनीति दुखद है. जहां देश एवं राज्य विकास का दावा कर रहे हैं, वहां भूख से मौत हो तो इस पर गंभीरता से विचार कर ठोस पहल करने की जरूरत है, ताकि अब भूख से कोई न मरे. ■

feedback@chauthiduniya.com

भूख से मौत के लिए सरकार की ग़लत नीतियां ज़िम्मेवार : हेमंत सोरेन

झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने सिमडेगा में 11 वर्षीय बच्ची की भूख से मौत को लेकर रघुवर सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में भूख से मौत निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार के लिए शर्मनाक है. इसकी देशभर में निंदा हो रही है. हम कहां खड़े हैं, इसके बारे में राज्य की भाजपानीत सरकार को सोचना होगा. इससे मर्माहत और हृदयविदारक घटना हो ही नहीं सकती कि ग्यारह वर्षीय बच्ची ने भात-भात कहते हुए अपनी मां की गोद में प्राण त्याग दिए. यह सरकार की गलत नीतियों के कारण ही हुआ है. आज इस घटना के बाद सबकी नींद खुली है कि यह सरकार किस तरह से चल रही है. हमारी मांग है कि राज्य के सभी गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाये. उन्होंने कहा कि जिन लोगों का आधार नहीं है, तो क्या ऐसे लोग भूखे मरेंगे. हेमंत सोरेन ने कहा कि इस घटना के बाद विभागीय मंत्री और सीएस अपना पल्ला झाड़ रहे हैं. राज्य की सभी प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है, जिसके बाद हमारे मुख्यमंत्री की नींद खुली है. हमने पहले ही आशंका जतायी थी कि पदाधिकारी भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं. गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है. राज्य के सीएम बहुराष्ट्रीय मुख्यमंत्री बन गये हैं. गरीबों से ज्यादा विदेशी कंपनियों के नुमाइंदों से मिल रहे हैं. ■

सिमडेगा में बच्ची की मौत की जांच करेगी केन्द्रीय टीम : पासवान

केंन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बुधवार को कहा कि एक केंद्रीय टीम झारखण्ड भेजी जाएगी, जो सिमडेगा की 11 वर्षीय बच्ची की भूख से हुई मौत की जांच करेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से भी इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. पासवान ने कहा कि यदि गरीब लोग भूख से मरते हैं, तो यह चिंता की बात है. इस बीच झारखंड सरकार ने भी मामले की जांच के आदेश दिए हैं और बच्चों के परिवार के लिए 50 हजार रुपए सहायता की घोषणा की है. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि बच्ची की मौत भूख से हुई है. उनका कहना है कि आधार नंबर से नहीं जोड़े जाने के कारण बच्ची के परिवार का राशन कार्ड रद्द कर दिया गया था. ■

हिन्दू धर्म ख़ुद सेकुलर सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक है

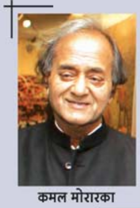

कमल मोरारका

www.kamalmorarka.com

आप चुनाव जीतिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह कोशिश मत कीजिए कि किसी को आप गाली देने के लिए खड़ा कर दें. एक संगीत सोम साहब हैं, वो गाली दे रहे हैं. गाली-गलौज या अश्लील भाषा से हिंदुत्व का कोई भला नहीं होगा. मैं सनातनी हिन्दू हूं. मैं हिन्दू की हर बात में विश्वास रखता हूं. मुझे संदेह है कि संगीत सोम जैसे लोग सनातनी हिन्दू हैं. वे राजनैतिक हिन्दू हैं. वे हिन्दुओं का वोट बैंक बनाना चाहते हैं. जैसे भाजपा के लोग कांग्रेस पर इल्जाम लगाते है कि कांग्रेस मुसलमानों का इस्तेमाल वोट बैंक की तरह करती है. इस बात में सत्यता हो सकती है, क्योंकि यदि कांग्रेस ने मुसलमानों का भला किया होता तो 70 सालों में मुसलमानों की स्थिति ठीक क्यों नहीं हुई? वे आज भी गरीब हैं. पसमांदा मुसलमानों की तो बात ही छोड़ दीजिये.

गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं. हिमाचल प्रदेश में 9 नवम्बर को और गुजरात में 9 और 14 दिसम्बर को वोट डाले जाने हैं. जब चुनाव आते हैं, तो सभी पार्टियां अपनी-अपनी बातें कहती हैं. उनमें कुछ अतिशयोक्तियां होती हैं, कुछ एक दूसरे पर लांछन लगाती हैं. गुजरात में गुजरात के लोग और पार्टी के लोग प्रचार करें, वहां तक ठीक है, लेकिन इस बार भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को गुजरात भेजा. वे उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते हैं. वो कैसे जीते हैं, वो चुनाव ठीक था या नहीं, उसे लेकर कई सवाल हैं. लेकिन उसे छोड़ दीजिए, वे जीते हुए मुख्यमंत्री हैं. उनको गुजरात भेजा गया. उनकी मीटिंग से लोग क्यों उठ कर जा रहे थे? इसलिए कि यूपी में आप हिन्दू-मुसलमान, बाबर, अकबर या ताजमहल पर प्रश्नचिन्ह लगा सकते हैं, पर गुजरात में इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा.

कोई देश यदि अपने अतीत को संजो नहीं सकता, तो वो अपने भविष्य को भी संवार नहीं सकता है. भारत का बहुत ही गौरवमयी अतीत रहा है. यदि रामायण, महाभारत और अन्य गाथाएं हैं, उनकी ऐतिहासिक सत्यता पर शक करते हुए उन्हें अलग भी कर दें, तो भी भारत का इतिहास गौरवमयी ही रहेगा. हिन्दू या मुसलमान की नज़र से उसे देखेंगे तो आपको गौरव महसूस नहीं होगा. मेरी यह मान्यता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान दुनिया के दूसरे देशों के मुसलमानों से अलग हैं, क्योंकि वे यहीं के हैं. अरब के नहीं हैं. आज मैं अपना मज़हब बदल सकता हूं. मैं हिन्दू से ईसाई बन सकता हूं, लेकिन यूरोपियन तो नहीं बन सकता. हिन्दू से मैं मुसलमान बन जाऊंगा, लेकिन अरब तो नहीं बन सकता. यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हिन्दुस्तानी है, वो हिन्दुस्तानी ही है. उसका मज़हब क्या है? वो क्या खाना खाता है? उसके राजनैतिक विचार क्या हैं? ये सब बहुत छोटी बातें हैं. दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है, जहां वामपंथी पार्टियों या कम्युनिस्ट पार्टियों को लोकतंत्र में विश्वास हो और लोकतान्त्रिक तरीके से चुनाव लड़कर सत्ता में आते हैं. इस मामले में भारत एक अनोखा देश है. अपनी इस ताक़त को संजोना है, तोड़ना नहीं है. योगी आदित्यनाथ जैसे लोग ताजमहल पर सवाल खड़े कर रहे हैं. इसका मतलब यह है कि उनकी शिक्षा में कहीं न कहीं कमी है. ताजमहल क्या है, वो समझ ही नहीं पाएंगे. ताजमहल देखने ज्यादा हिन्दू जाते हैं या मुसलमान. जाहिर है, ज्यादा हिन्दू जाते हैं, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है. ताजमहल देश का एक गहना है. अपने देश में जितने विदेशी सैलानी आने चाहिए, उसके पांच फीसद भी नहीं आते हैं. लेकिन जो भी आते हैं, उनमें से कम से कम 50 फीसद ताजमहल की वजह से आते हैं.

आप चुनाव जीतिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह कोशिश मत कीजिए कि किसी को आप गाली देने के लिए खड़ा कर दें. एक संगीत सोम साहब हैं, वो गाली दे रहे हैं. गाली-गलौज या अश्लील भाषा से हिंदुत्व का कोई भला नहीं होगा. मैं सनातनी हिन्दू हूं. मैं हिन्दू की हर बात में विश्वास रखता हूं. मुझे संदेह है कि संगीत सोम जैसे लोग सनातनी हिन्दू हैं. वे राजनैतिक हिन्दू हैं. वे हिन्दुओं का वोट बैंक बनाना चाहते हैं. जैसे भाजपा के लोग कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों का इस्तेमाल वोट बैंक की तरह करती है. इस बात में सत्यता हो सकती है, क्योंकि यदि कांग्रेस ने मुसलमानों का भला किया होता तो 70 सालों में मुसलमानों की स्थिति ठीक क्यों नहीं हुई? वे आज भी गरीब हैं. पसमांदा मुसलमानों की तो बात ही छोड़ दीजिए. ये क्विक-फिक्स मामला नहीं है, इसलिए ये लोग जो कर रहे हैं (चाहे ये इनके खास लोग हों या हाशिये के तत्व हों या फिर आरएसएस से दिशानिर्देश मिलता हो), इससे किसी का भला नहीं होने वाला है. देश का तो बिल्कुल नहीं होगा. हिदू धर्म का तो बिल्कुल ही नहीं होगा.

इसमें एक और विडम्बना है. मेरी राय में हिन्दू दर्शन (और इसमें मैं पक्षपातपूर्ण हो सकता हूं क्योंकि मैं हिन्दू परिवार में पैदा हुआ हूं) इतना विशाल है कि संगीत सोम जैसे दो चार लोग इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते. बदनाम भी नहीं कर सकते. उसका उत्थान करना तो इनके लिए नामुमकिन है. आप कौन हैं उसका उत्थान करने वाले? मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी हमारी आलोचना से परे हैं. आज ये इलेक्शन जीतने के लिए नेहरू के खिलाफ बोलते हैं. नेहरू एक ऐसे शख्स थे, जो दस साल जेल में रहे. उन्हें पता नहीं था कि हिंदुस्तान आज़ाद होगा कि नहीं, प्रधानमंत्री बनने का ख्याल तो बिल्कुल ही नहीं था. ट्विटर पर लोग लिखते हैं कि नेहरू परिवार का हर आदमी बिना मेहनत किये प्रधानमंत्री बना गया है. ये कैसे अनपढ़ लोग हैं? कहां आ गए हैं हम लोग?

पहले आप तय कीजिए कि आपके आदर्श क्या हैं? क्या आपका आदर्श पाकिस्तान बनना है या आपका आदर्श संकीर्ण बनना है या फिर आपका आदर्श अपने देश का उत्थान करना है, जो दुनिया में एक मिसाल बने. आपका लक्ष्य क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है. मैं समझता हूं कि इसमें हमलोग कहीं भटक गए हैं. पिछले तीन साल में भटक गए हैं. संविधान बनाने वाले बाबा साहेब अंबेडकर हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे मौलाना आजाद हों, उन्होंने एक दर्शन दिया था, जो लम्बे अर्से तक सबको साथ में लेकर चलेगा. बीच-बीच में त्रुटियां आईं. इंदिरा जी ने संविधान का 42वां संशोधन किया, उससे भी नुकसान हुआ. 44वें संशोधन में, उसे ठीक कर लिया गया. लोकतंत्र में ऐसा होता है. एक बार जो स्थिति आती है, तो उस परिस्थिति से जनता को निपटना पड़ता है.

आप इलेक्शन को एक लक्ष्मण रेखा मान लीजिए. चूंकि आपको चुनाव जीतना है और मतदाताओं को प्रभावित करना है, इसलिए व्यक्तिगत हमलों को यहीं तक सीमित रखिए. लेकिन इतिहास को झुठलाना और ऐसी बातें करना, जैसे हिंदुत्व का ईजाद आपने ही किया है, यह गलत होगा.

एक और बात कहना चाहता हूं. सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी, ये तीन शब्द आजकल प्रचलन में नहीं हैं. लोग नाराज़ हैं. सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द इन्हें पसंद नहीं है. लेकिन विडम्बना यह है कि हिन्दू धर्म सेकुलर है. हिन्दू धर्म सोशलिस्ट है. हिन्दू धर्म डेमोक्रेटिक है. अब आप पूछेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं? हमने जो हिन्दू परिवार देखे हैं, उसमें बड़े बुज़ुर्गों का निर्णय आखिरी होता है. लेकिन जब बुज़ुर्ग फैसले लेते हैं तो बच्चों और छोटों से पूछ कर लेते हैं. वोट नहीं होता, लेकिन यह एक डेमोक्रेटिक तरीका है. सोशलिज्म में सब लोग मिल बांट कर रहते हैं. संयुक्त परिवार का सिस्टम सोशलिज्म नहीं तो फिर और क्या है? किसके कितने बच्चे हैं? परिवार में किसी के दो बच्चे हैं, किसी के पांच बच्चे हैं, लेकिन सबको बराबर की नज़र से देखा जाता है. संयुक्त परिवार सोशलिज्म की एक मिसाल है. हिन्दू धर्म तो सेकुलर है. पांच हज़ार साल पुराना धर्म है. उसमें यह बोलने की गुंजाइश नहीं है कि जो बुतपरस्त हैं, वे ठीक हैं और जो बुतपरस्त नहीं हैं, वे ठीक नहीं हैं. ये तो बाद के मज़हबों में आया कि बुतपरस्ती ख़राब है. ये उनकी समस्या है.

पहले आप तय कीजिए कि आपके आदर्श क्या हैं? क्या आपका आदर्श पाकिस्तान बनना है या आपका आदर्श संकीर्ण बनना है या फिर आपका आदर्श अपने देश का उत्थान करना है, जो दुनिया में एक मिसाल बने. आपका लक्ष्य क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है. मैं समझता हूं कि इसमें हमलोग कहीं भटक गए हैं. पिछले तीन साल में भटक गए हैं. संविधान बनाने वाले बाबा साहेब अंबेडकर हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे मौलाना आजाद हों, उन्होंने एक दर्शन दिया था, जो लम्बे अर्से तक सबको साथ में लेकर चलेगा. बीच-बीच में त्रुटियां आईं. इंदिरा जी ने संविधान का 42वां संशोधन किया, उससे भी नुकसान हुआ. 44वें संशोधन में, उसे ठीक कर लिया गया. लोकतंत्र में ऐसा होता है. एक बार जो स्थिति आती है, तो उस परिस्थिति से जनता को निपटना पड़ता है. लेकिन अब तीन साल से जो हो रहा है, उसमें कहीं किसी को गलतफहमी है. यदि आरएसएस ऐसा सोचती है कि वह भारत पर अपनी कल्पना का हिन्दू दर्शन थोप देगी, तो वह गलतफहमी में हैं. हिन्दू दर्शन इतना विशाल है कि उनका भी मत गिना जाएगा. वीर सावरकर, जिनको ये लोग अपना सबसे बड़ा नेता मानते हैं, वो कहते थे कि हिंदुत्व कल्चरल नेशनलिज्म है. उन्होंने कभी इसको धर्म से नहीं जोड़ा. वो खुद नास्तिक थे. वीर सावरकर मंदिर नहीं जाते थे. भगवन की पूजा में उन्हें विश्वास नहीं था.

अब योगी आदित्यनाथ इसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं. अयोध्या में पहली बार दिवाली उस समय मनाई गई थी, जब राम वनवास से वापस आए थे. राम जिस अयोध्या में वापस आये थे, वो ये अयोध्या है क्या? इसका कोई प्रमाण है? बनारस में दिवाली की रात एक लाख दिए जलते हैं, तो अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने डेढ़ लाख दिए जलाए. क्या वे नरेन्द्र मोदी से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं?

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है. योगी आदित्यनाथ पर मोदी जी को नज़र रखनी चाहिए. यदि उत्तर प्रदेश में गड़बड़ हो गया, तो देश को संभालना बहुत मुश्किल होगा. उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में प्रतिशत के लिहाज़ से मुसलमानों की ज्यादा तादाद है. मध्य प्रदेश और हरियाणा में बहुत कम है. गुजरात के मुसलमान व्यवसायी हैं. इनमें मुख्य रूप से कच्छी मेमन या बोहरे शामिल हैं. वहां आपस में इतना विद्वेष नहीं है. इसलिए जब योगी यहां आये तो उनकी सभा में लोगों की उपस्थिति कम थी. हिन्दू मुस्लिम के बीच में दूरी पैदा करना गुजरातियों को बिल्कुल पसंद नहीं है. इसलिए देश को संभालिये.

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बेढंगा बिल लेकर आईं. कोई भी व्यक्ति इसे देखा कर कहेगा कि यह संविधान के खिलाफ है. इस बिल के मुताबिक, पुलिस तफ्तीश नहीं करेगी. तफ्तीश के बाद पुलिस कहे कि सच्चाई नहीं है, तो यह अलग बात है. तफ्तीश करने के लिए सरकार का आदेश चाहिए, ये बिल्कुल गलत है. जनता ने इसका विरोध किया. सरकार को अक्ल आई और उसने इस बिल को सेलेक्ट कमिटी को भेज दिया. मुझे लगता है कि मामला ख़त्म हुआ. लेकिन सवाल ये है कि इस तरह का बिल लाने की सरकार की हिम्मत कैसे हुई? यह सब अपने आप हो रहा है या अमित शाह के इशारे पर हो रहा है. मैं नहीं मानता कि मोदी जी का इन बातों के लिए इशारा हो सकता है, क्योंकि वे सरकार चला रहे हैं और खुद भी जानते हैं कि सरकार चलाने में कितनी समस्याएं आती हैं?

मैं हिन्दू धर्म के खिलाफ हो ही नहीं सकता, लेकिन कोई भी काम जनता को साथ लेकर करिए. आप दुराव फैला कर, मुसलमानों को कुचल कर, उन्हें जलील कर इस देश को बड़ा बना देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता. देश इस तरह कभी बड़ा नहीं बनेगा. कोशिश कर के देख लीजिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

गुजरात चुनाव से जनता के सवाल ग़ायब हैं

गुजरात चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ओपिनियन पोल आने लगे. ओपिनियन पोल के ऊपर मीडिया में खासकर टेलीविजन चैनल पर बहस भी शुरू हो गयी. हर टेलीविजन चैनल का यही विषय है कि कौन जीतेगा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी. किसी भी टेलीविजन चैनल ने ये सवाल नहीं उठाया कि गुजरात चुनाव का मुद्दा क्या है? गुजरात के लोग अगर वोट देंगे तो वोट किसके आधार पर देंगे. शायद इसलिए ये मुद्दा नहीं उठ रहा है, क्योंकि अगर ये मुद्दा उठेगा तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को अपने विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश करना पड़ेगा और दूसरी तरफ कांग्रेस को अपने भविष्य की योजनाओं का सटीक खाका लोगों के सामने रखना होगा, जो शायद दोनों के पास तैयार नहीं है. यह चुनाव भी बंदर के तमाशे में तब्दील होने वाला है या कहें कि होता जा रहा है. सवालों के ऊपर दिमाग न लगे और एक नकली वाद-विवाद में दिमाग लगे, लोगों की ये कोशिश टेलीविजन चैनलों की भी है और शायद राजनीतिक पार्टियों को भी ये रणनीति पसंद आ रही है.

वैसे गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास भी कमजोरियां हैं और कांग्रेस में भी कमजोरियां हैं. भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है कि उसके पास नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई भी ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं उभरा, जो चुनाव को अपने कंधे पर उठा ले और प्रचार करे और भीड़ आए. इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार-बार गुजरात जाना पड़ा और फ्लाईओवर के उद्घाटन तक के फीते काटने पड़े. ये अलग बात है कि इसे अखबारों और मीडिया ने नहीं दिखाया. कई जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी की सभा में अपेक्षित भीड़ नहीं हुयी. सोशल मीडिया में उसके फोटोग्राफ, उसके बारे में टिप्पणियां काफी देखने को मिलीं. दूसरी तरफ कांग्रेस के पास एक स्थापित नेता था शंकर सिंह वाघेला, जिसे कांग्रेस ने पार्टी से हटने के लिए विवश कर दिया. कांग्रेस के बाकी नेता, जिनमें शक्ति सिंह, अर्जुन मोडवाडिया, भरत सोलंकी और सिद्धार्थ पटेल, इनमें से किसी की ऐसी स्थिति नहीं बन पायी कि वो अकेले घूमकर गुजरात में कांग्रेस के चुनाव की नाव पार लगा सके. इसलिए बार-बार राहुल गांधी को गुजरात चुनाव में लाया जा रहा है और सारा चुनाव राहुल गांधी के चेहरे और उनकी भाषा के आस-पास कांग्रेस केंद्रित कर रही है. कांग्रेस ने पिछले तीन साल में गुजरात में आंदोलनों के तीन नेताओं हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश को अपने खेमे में सफलतापूर्वक मिला लिया, जिसने भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी परेशानी में डाल दिया. लेकिन तीनों नेताओं के आने से क्या तीनों नेताओं के वो वर्ग जहां से ये आते हैं, कांग्रेस के पास आ पाएंगे ये एक बड़ा सवाल है. अगर पाटीदारों को रिजर्वेशन का वायदा कांग्रेस ने किया है तो अल्पेश ठाकुर के पिछड़े समाज का क्या होगा? पाटीदार नेता ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि हम नहीं जानते किसका रिजर्वेशन काट कर हमें मिलेगा, लेकिन हमें रिजर्वेशन चाहिए. क्या इस अंतर्विरोध के आगे बढ़ने से कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा, ये आकलन की बात है.

भारतीय जनता पार्टी के पास पाटीदारों के बीच फूट डालने की पहली चाल उन्होंने सफलतापूर्वक चली और पाटीदार आंदोलन के दो नेताओं को अपने पक्ष में मिला लिया. भारतीय जनता पार्टी के विकास के ऊपर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, पर पार्टियों के सवालों से ज्यादा आवश्यक है कि लोगों के सवाल सतह पर आएं, लोगों की मांग सतह पर आए, लोगों की इच्छाएं सतह पर आएं जिन्हें पूरी तरह अनदेखा करने की कोशिश गुजरात का मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया कर रहा है. इसीलिए मुझे लगता है कि गुजरात का चुनाव कुछ अप्रत्याशित नतीजे भी ला सकता है.

9 दिसंबर और 14 दिसंबर को चुनाव है. आप देखेंगे गुजरात का चुनाव ठीक वैसे ही लड़ा जाएगा, जैसे दिल्ली का चुनाव प्रधानमंत्री रहते हुए नरेन्द्र मोदी ने लड़ा था. उत्तर प्रदेश का चुनाव भी इसी तरह लड़ा गया था, बिहार का भी चुनाव इसी तरह लड़ा गया और अब गुजरात का चुनाव भी इसी तरह लड़ा जाने वाला है. इसलिए गुजरात का चुनाव मनोरंजक तो होगा लेकिन गुजरात के चुनाव में भरपूर ये कोशिश होगी कि जनता के सवाल चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे वो नए उद्योगों का सवाल हो, किसानों की आत्महत्या का सवाल हो, फसल को सही दाम मिलने का सवाल हो, ये सारे सवाल जितना संभव होगा दबाए जाएंगे और सवालों का दबना ही गुजरात चुनाव को प्रासंगिक या अप्रासंगिक बनाने वाला है.

कांग्रेस ने किसी को भी मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं घोषित किया है. शायद इसलिए क्योंकि उनके साथ आए तीनों नेता हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश, वक्त आने पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं. दूसरी तरफ कांग्रेस के चारों स्थापित नेता सिद्धार्थ पटेल, जो चिमनभाई पटेल के बेटे हैं, भरत सोलंकी, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी के बेटे हैं, अर्जुन मोडवाडिया कांग्रेस के बड़े ठेकेदार नेता हैं और शक्ति सिंह गोहिल, जिनकी साख नेताओं के बीच पैठ बनाने को लेकर है, ये चारों भी मुख्यमंत्री पद के लिए अपने मन में आशा संजोए बैठे हैं. किसी की आशा पार्टी को नुकसान न पहुंचाए, शायद इसलिए पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है.

इसके बावजूद दो बिंदु ऐसे हैं, जो दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं. पहला नाम है शंकर सिंह वाघेला का. शंकर सिंह वाघेला ने कोशिश की है कि जितने भी दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ समझौता करने में विफल रहे हैं, उन सबको इकट्ठा कर वो गुजरात में चुनाव लड़ें. वे लगभग पचास सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़कर कम से कम तीस सीटें जीतना चाहेंगे, ताकि वो किंग मेकर का रोल प्ले कर सकें. इसके अलावा आम आदमी पार्टी गुजरात की लगभग 150 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है. आम आदमी पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी, ये तो नहीं कहा जा सकता लेकिन बहुत गला काट चुनाव होने वाला है, इसलिए 2000 वोट भी किसी को जिताने और हराने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे. अगर आम आदमी पार्टी ने दो-दो तीन-तीन हजार वोट भी गुजरात चुनाव में अपने पास खींचने में सफलता हासिल की तो फिर ये चुनाव किसी भी पक्ष का हो सकता है.

ये सारे अंतर्विरोध हैं, लेकिन इन अंतर्विरोधों के बावजूद चुनाव में अभी तक जनता का कोई पहलू सामने नहीं आया है. यही गुजरात है, जहां 28 दिन तक सूरत बंद रहा, लेकिन देश के अखबारों में कोई खबर नहीं आयी. यही गुजरात है जहां से देश के एक बड़े नेता की अर्थी निकालने की शुरुआत हुई और यही गुजरात है जहां से सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी और उसके बड़े नेताओं के खिलाफ गुस्से के प्रचार के अभियान की शुरुआत हुई.

एक रहस्य सामने ये आ रहा है कि गुजरात चुनाव की कमान अमित शाह को नहीं थमाई गयी है. इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि गुजरात में अमित शाह की बहुत साख नहीं है. जनता के बीच, जिसे वोट देना है और या फिर अमित शाह के बेटे जय शाह का 50 हजार से 80 करोड़ कमाने का जो मसला चारों तरफ छाया हुआ है, उसने शायद अमित शाह को बैकफुट पर ला दिया है और प्रधानमंत्री ने गुजरात चुनाव की कमान अपने हाथ में रखी है. अच्छा होता प्रधानमंत्री गुजरात चुनाव की कमान अपने हाथ में नहीं रखते और गुजरात का चुनाव वहां की पार्टी को लड़ने देते. लेकिन प्रधानमंत्री का भी एक मनोविज्ञान है. वो चाहते हैं कि सारे देश में जहां भी चुनाव हों वो इतना घूमें कि लोगों को लगे कि सिर्फ और सिर्फ अगर जीत होती है तो नरेंद्र मोदी की वजह से होती है और हार होती है तो पार्टी कार्यकर्ताओं की वजह से होती है. यही मनोविज्ञान प्रधानमंत्री का गुजरात में भी काम कर रहा है. वो बिहार की तरह हर गली चौराहे में जाने की योजना बना रहे हैं.

इसका ये मतलब नहीं है कि गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खास परेशानी होगी, क्योंकि कांग्रेस को जो रणनीति अपनानी चाहिए थी कि जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ पाए हैं उन सबको अपने साथ जोड़े और सबको थोड़ी थोड़ी सीटें देकर संतुष्ट करे, वो काम कांग्रेस ने नहीं किया. अब या तो हो सकता है कि राहुल गांधी की ये रणनीति हो कि कांग्रेस को अकेले सत्ता पर काबिज कर इतिहास में नाम कमाना है और अपने को जननेता साबित करना है या फिर ये हो सकता है कि कोई कांग्रेस के साथ ना आया हो. सच्चाई क्या है, अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगी. 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को चुनाव है. आप देखेंगे गुजरात का चुनाव ठीक वैसे ही लड़ा जाएगा, जैसे दिल्ली का चुनाव प्रधानमंत्री रहते हुए नरेन्द्र मोदी ने लड़ा था. उत्तर प्रदेश का चुनाव भी इसी तरह लड़ा गया था, बिहार का भी चुनाव इसी तरह लड़ा गया और अब गुजरात का चुनाव भी इसी तरह लड़ा जाने वाला है. इसलिए गुजरात का चुनाव मनोरंजक तो होगा लेकिन गुजरात के चुनाव में भरपूर ये कोशिश होगी कि जनता के सवाल चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे वो नए उद्योगों का सवाल हो, किसानों की आत्महत्या का सवाल हो, फसल को सही दाम मिलने का सवाल हो, ये सारे सवाल जितना संभव होगा दबाए जाएंगे और सवालों का दबना ही गुजरात चुनाव को प्रासंगिक या अप्रासंगिक बनाने वाला है. ■

editor@chauthiduniya.com

क्या ताजमहल वास्तव में मुसलमान है?

शुजात बुख़ारी

दुनिया के सात आश्चर्यों में से एक ताजमहल फिर से विवाद के केंद्र में है. अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित, ताजमहल पर्यटकों, खासकर विदेशियों के लिए आकर्षण का केन्द्र है. उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित ताजमहल ने इस बार उत्तर प्रदेश की दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, लेकिन किसी सकारात्मकता के लिए नहीं. जब उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ताजमहल को पर्यटक आकर्षण सूची से हटा दिया, तब विपक्ष ने प्रतिक्रिया की. सरकार रक्षात्मक हुई लेकिन इसका उद्देश्य स्पष्ट था, क्योंकि योगी ने कहा था कि वह भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है.

पिछले दिनों यूपी विधानसभा के सदस्यों में से एक, संगीत सोम ने एक मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी के प्रेम के लिए बनाया गया ये खूबसूरत ताज भारतीय संस्कृति पर एक धब्बा है, क्योंकि यह उन गद्दारों द्वारा बनाया गया था जिन्होंने हिंदुओं को मारा था. सोम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और 2014 के संसदीय चुनाव से ठीक पहले मुजफ्फरपुर हिंसा से राजनीति में उभरे थे. उनके बयान पर काफी प्रतिक्रिया हुई. लोगों ने गुस्सा दिखाया और जाहिर है ये गुस्सा मुसलमानों, लेफ्ट लिबरल्स और कांग्रेस की तरफ से आया. यद्यपि भाजपा ने सोम के वक्तव्य से कुछ दूरी बनाए रखने की कोशिश की है. इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है. उन लोगों के खिलाफ ऐसी किसी कार्रवाई की गुंजाइश भी नहीं दिखती है, जिन्होंने बेजान स्मारकों का अपमान करना सही समझा, वो भी इसलिए क्योंकि वे मुसलमानों द्वारा बनवाए गए थे. भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली ने इस कथन के उलट बयान दिया और कहा कि ताजमहल हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है. यह अतुलनीय भारत का हिस्सा है. इतिहास में जो कुछ हुआ है, वह मिट नहीं सकता, परन्तु कम से कम यह अच्छी तरह से लिखा हुआ इतिहास हो सकता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी सरकार ने पिछले तीन सालों में, मुसलमानों से संबंधित किसी भी चीज को बदनाम करने और बीफ़ आदि के नाम पर उन्हें निशाना बनाने की नीति स्पष्ट हुई है. काऊ विजिलेंट पर हालांकि मोदी ने एक बार इन कार्यों की निंदा की, लेकिन जमीन पर होता हुआ कुछ नहीं दिखा. हिंदुओं और सबसे बड़े अल्पसंख्यक मुसलमानों के बीच जो विभाजन रेखा खींचने की कोशिश की जा रही है, वो आधिकारिक स्वीकृति से ताकत हासिल कर रहा है, जैसे कि योगी आदित्यनाथ सरकार. भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में दिखाना, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मुसलमानों को अन्य की श्रेणी में रखा जाता है. यह सब पिछले तीन वर्षों में सख्ती से अपनाया गया.

मुसलमानों को लेकर भाजपा की नीति स्पष्ट है. एक तरह से भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मुसलमानों का रैंक में कोई स्थान नहीं है और पार्टी में कुछ शोपीस भर हैं. आज भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में केवल दो मुस्लिम चेहरे हैं. भारत में 15 प्रतिशत मुस्लिम होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य के चुनाव में भाजपा को कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिला. मंत्री के रूप में एक कम ज्ञात चेहरे को शामिल किया गया.

इसलिए, ताज पर हमला कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि नफरत का माहौल पहले से ही बनाया गया है. हालांकि, ये अलग बात है कि कई लोगों की प्रतिक्रिया काफी तीव्र रही. सोशल मीडिया के मुताबिक, संगीत सोम के दावे की तुलना बमियान में बुद्ध की मूर्तियों को ध्वस्त करने के साथ की गई. वर्तमान में भारत की धर्मनिरपेक्ष और विविध पहचान को जो चीज नुकसान पहुंचा रही है, वो है माइंड सेटअप. भाजपा और उसके सहयोगी बहुसंख्य भारतीयों को इस मानसिकता में ढालने में सफल हुए हैं कि वे लोग धर्मनिरपेक्षतावादियों, जो मुस्लिमों को खुश करने वाले हैं, से हिन्दू भारत छीन चुके हैं और यह एक कीमत पर मिला है. वो कीमत ये है कि दुनिया में भारत की छवि अब एक असहिष्णु राष्ट्र की है, न कि सभी धर्मों और विचारों से मिलकर बने एक विविधता वाले देश की.

मुगल सम्राट इस उन्माद का लक्ष्य रहा है और उनके बारे में ये तथ्य बुना गया कि वे हिंदुओं के उत्पीड़क हैं. हालांकि, इसके विपरीत यह भी तथ्य है कि उन्होंने मंदिरों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. ताज जैसी स्मारकों के निर्माण से अलग उन्होंने हिंदू धार्मिक स्थानों के लिए जमीन और धन दान किया है. दिलचस्प है कि गोरखनाथ, योगी आदित्यनाथ जिसके महंत हैं, की जमीन नवाब आसिफ-उद-दौला ने दी थी. नवाब आसिफ-उद-दौला 1790 के आसपास गोरखपुर गए थे. चूंकि आसिफ-उद-दौला शिया थे, इसलिए वह इमामबाड़ा के पीर रोशन अली से मिलना चाहते थे. रोशन अली ने आसिफ-उद-दौला से जमीन गोरखनाथ को दान करने के लिए कहा. अक्टूबर 17 को इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि 19वीं सदी में, यह कहा जाता था कि गोरखपुर का आधा हिस्सा रोशन अली के इमामबाड़ा और आधा हिस्सा गोरखनाथ का था.

इसी तरह, सबसे अधिक निंदा पा चुके मुगल शासक औरंगजेब, जिनके नाम पर एक सड़क का नाम लुटियंस जोन में था और जिसे भाजपा सरकार ने बदल कर भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया. हालांकि, अमेरिका के रटगर्स यूनिवर्सिटी के इतिहासकार ऑड्रे ट्रुस्के ने अपनी हालिया किताब औरंगजेब: द मैन एंड दी मिथ में शासक के बारे में कई धारणा को खत्म किया. उन्होंने गहन शोध किया और तर्क दिया कि औरंगजेब एक सहिष्णु सम्राट था, जो धार्मिक स्वतंत्रता का पैरोकार था और एक हद तक शासन के मामलों में धर्मनिरपेक्ष नीति की भी वकालत करता था. निश्चित रूप से, उन्होंने अपने लंबे शासन के दौरान कुछ ऐसे काम भी किए, जिसे ठीक नहीं माना जा सकता. लेखक के शब्दों में, औरंगजेब अपने समय के आदमी थे. उन्हें एक तानाशाह के रूप में बताना गलत है. अगर चीजें संदर्भ में देखी जाएं, तभी उनके साथ न्याय कर सकते हैं. लेखक के किताब की समीक्षकों ने आलोचनात्मक समीक्षा की, लेकिन ये अंतर्निहित स्वीकृति थी कि औरंगजेब एक निरंकुश शासक नहीं थे.

पिछले तीन सालों में दोनों समुदायों के बीच बढ़ते हुए मतभेद में तेजी आई है. ताज जैसी यूनेस्को विरासत स्थल को भी लक्ष्य बनाने का काम जब सोम और उसके समान लोग करते हैं, तो उसके पीछे एक अंतर्निहित असहिष्णुता होती है. चूंकि यूपी सरकार ने स्मारक की ओर उदासीनता दिखायी है, आगंतुकों की संख्या में भी गिरावट शुरू हो गई है. 2016 में इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 में कुल 6200000 पर्यटक ताजमहल और 2200000 आगरा किले को देखने आए, जबकि 2015 में ये संख्या क्रमश: 6513000 और 2344000 थी. ये यूपी सरकार का नवीनतम आंकड़ा है. यह स्मारक सरकार के लिए आय का स्रोत साबित हुआ है. पर्यटन मंत्री महेश शर्मा के मुताबिक, ताज ने 2013 से 2016 तक तीन साल में 75 करोड़ रुपये कमाए.

एक स्मारक के खिलाफ लड़ाई, केंद्र में भाजपा सरकार के खिलाफ लोगों के मोहभंग से रास्ता भटकाने की कोशिश के रूप में भी देखी जा सकती है. 2019 के चुनावों के चलते ध्रुवीकरण का माहौल बना कर अभी की स्थिति से उबरने में मदद मिल सकती है. न्यू इंडिया की खोज कहां जा रही है, पता नहीं. ऐसे में भाजपा निश्चित रूप से अपने वोट बैंक को साधने के लिए कुछ करेगी. ऐसे में इस तरह के काम मदद कर सकते हैं, हालांकि वे एक देश के रूप में भारत की छवि खराब ही करते हैं. लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे हर कीमत पर भारत विजय करना चाहते हैं. ■

-लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

सरकारी वकीलों की नई लिस्ट पहले से और रद्दी, बेमानी साबित हुई सारी कवायद

फिर बैतलवा उसी डाल पर

इस भ्रष्टाचार पर क्यों ढीले पड़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर?

प्रभात रंजन दीन

सरकारी वकीलों की नियुक्ति में ईमानदारी, पारदर्शिता, नैतिकता और न्यायप्रियता की मंच पर खूब नौटंकी हुई और पर्दे के पीछे इन नैतिक शब्दों को खूब फाड़ा गया. भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल ने अपने गुर्गों के साथ मिल कर समाजवादी शासनकाल के अधिकांश सरकारी वकीलों को योगी सरकार के मत्थे जड़ दिया. उत्तर प्रदेश सरकार के कानूनी मसलों का बंसल ने बंटाधार करके रख दिया. बंसल की सांगठनिक प्रतिबद्धता की यह मिसाल बेमिसाल है. इसके बाद जब विवाद ने तूल पकड़ा तब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दायित्व से पल्ला झाड़ लिया. प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने अनभिज्ञ बता कर खुद को 'इन्नोसेंट' साबित करने का प्रहसन खेला. महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह इस नियोजित-नौटंकी के सबसे चतुर-सुजान पात्र निकले. उन्होंने अपने लोगों की नियुक्ति भी करा ली और यह भी कह दिया कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति में उन्हें पूछा ही नहीं गया. फिर बड़े ही नियोजित तरीके से इस मामले को हाईकोर्ट पहुंचाया गया और हाईकोर्ट ने उसी अपेक्षा के मुताबिक तल्ख टिप्पणियां कीं, सरकारी वकीलों की नियुक्ति को रेवड़ी-वितरण प्रक्रिया बनाने पर सरकार की खिंचाई की और लिस्ट पर शीघ्र पुनर्विचार कर पुनर्नियुक्ति करने का फरमान जारी किया. हाईकोर्ट ने पुनर्नियुक्ति के लिए एक तरफ सरकार (महाधिवक्ता) को सख्त समय-सीमा में बांधने का उपक्रम किया लेकिन दूसरी तरफ सरकार को समय भी खूब दिया. महेंद्र सिंह पवार की जिस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट त्वरित सुनवाई कर रही थी, उस कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह नहीं पूछा कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए वे खुद आवेदक थे या नहीं? यदि यह सवाल उसी समय पूछ लिया जाता तो जनहित याचिका स्वीकृत होने के पहले ही कानून की कसौटी पर ढेर हो जाती. खैर, यह नौबत ही नहीं आने दी गई. सारा स्टेज जैसे पहले से सेट था. बड़े इत्मिनान से सारे गोट-बिसात, दांव-पेंच सोच समझ कर बिछाए गए और सरकारी वकीलों की पुनर्विचारित सूची फिर से जारी की गई. इस पुनर्विचारित सूची ने भ्रष्टाचार-गुटबाजी-भाई-भतीजावाद को पुनर्स्थापित कर दिया. अब हाईकोर्ट भी मौन है. जबकि सारी कवायद ही बेमानी साबित हुई है. पुरानी सूची को फिर से जारी किया गया. पसंद के खास-खास नए नाम शामिल किए गए. नापसंद के खास-खास नाम हटाए गए. अयोग्यों को ऊंचे पद दिए गए और योग्य से ऊंचे पद छीन लिए गए. व्यक्तिगत रंजिशें साधी गईं और अदालत को घटिया राजनीति का नुक्कड़ बना दिया गया. अदालत-क्षेत्र में आप यह चर्चा सरेआम सुनेंगे कि योगी सरकार के सरकारी वकील बंसल-राघवेंद्र प्राइवेट-लिमिटेड के मुलाजिम हैं. यह बंसल और राघवेंद्र की सांगठनिक प्रतिबद्धता का ही 'कमाल' है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मंत्री सुनील बाजपेयी और कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता जगदीश प्रसाद मौर्य को अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता बना दिया जाता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवाक देखते रह जाते हैं!

सरकारी वकीलों के नियुक्ति-प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो ढक्कन हो गया. संघ का यह मुगालता दूर हुआ कि सरकार संघ के बूते चलती है. संघ से जुड़े अधिवक्ता परिषद ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति में भ्रष्टाचार और गुटबाजी की आधिकारिक शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है. अधिवक्ता परिषद ने कहा है कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति के दुष्प्रयोग के कारण महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में सरकार हार रही है और उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है. महाधिवक्ता द्वारा की गई अवमानना के मामले से उबरने के लिए सरकार को लाखों रुपए खर्च करने पड़े. अदालत में सरकार का पक्ष लेने के बजाय महाधिवक्ता सरकार के विरोध में खड़े होकर अपनी योग्यता का परिचय देते हैं और सरकार की नाक कटवाते हैं. अधिवक्ता परिषद ने मुख्यमंत्री से कहा है कि महाधिवक्ता ने अपने ही जूनियर से रिट दाखिल करवाकर सरकारी वकीलों की नियुक्ति का एकाधिकार हासिल करने का रास्ता निकाला और कर्मठ कार्यकर्ताओं और योग्य अधिवक्ताओं को मनमाने ढंग से हटाकर अपमानित किया. अधिवक्ता परिषद का आरोप है कि महाधिवक्ता ने 'बार' के चुनाव में उनका समर्थन न करने या उनकी चाटुकारिता नहीं करने वाले वकीलों को सरकारी अधिवक्ता के पदों से हटाया. इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख कर सपा और बसपा के कार्यकाल में सरकारी वकील रह चुके अधिवक्ताओं की टीम बनाकर अपना गुट खड़ा कर लिया. महाधिवक्ता के इस आचरण के खिलाफ प्रदेशभर में संघ और संगठन के कार्यकर्ता अधिवक्ताओं में काफी नाराजगी है और वे प्रदेशभर में व्यापक आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं. इससे सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है और न्यायालय में काम करने का माहौल भी नष्ट हो रहा है. अधिवक्ता परिषद का कहना है कि राघवेन्द्र सिंह ऐसे नायाब महाधिवक्ता हैं जिन्हें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की नोटिस देकर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित कराया गया और अटॉर्नी जनरल के माफी मांगने के बाद ही छोड़ा गया.

बहरहाल, तमाम विवाद और बदनामियों के बावजूद सरकारी वकीलों की जो पुनरीक्षित सूची जारी की गई, वह पुरानी सूची से और भी गई-गुजरी है. प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों 234 सरकारी वकीलों की पुनरीक्षित सूची जारी की, उसमें भी सपा और बसपा सरकारों में सरकारी वकील रहे अधिवक्ताओं की भरमार है. नई सूची में तो उन्हें और भी महिमामंडित किया गया और उन्हें तरक्की दी गई. अधिवक्ता परिषद के प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं योग्य अधिवक्ता श्रीप्रकाश सिंह को मुख्य स्थाई अधिवक्ता (प्रथम) के पद से हटा दिया गया और उन्हें सूची में कहीं भी जगह नहीं दी गई. इसी तरह संघ और अधिवक्ता परिषद से जुड़े नितिन माथुर, विनोद कुमार शुक्ला, अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनिल चौबे और अमर बहादुर सिंह को एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के पद से डिमोट कर स्टैंडिंग काउंसिल बना दिया गया. दिनेशचंद्र त्रिपाठी, सर्वेश मिश्रा और मनोज कुमार त्रिवेदी को स्टैंडिंग काउंसिल के पद से डिमोट करके ब्रीफ होल्डर बना दिया गया. कई ऐसे नामों को फिर से सूची में स्थान दे दिया गया, जिन्हें (सात जुलाई को बनी) पिछली लिस्ट से हटा दिया गया था. भाजपा और संघ की विचारधारा से सम्बद्ध दर्जनों सरकारी वकीलों को पुनरीक्षण के नाम पर हटा दिया गया और कुछ लोगों को अपमानित कर नीचे के पदों पर खिसका दिया गया. नई सूची में तीन मुख्य स्थाई अधिवक्ता, 32 अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता, 58 स्टैंडिंग काउंसिल, 99 वाद धारक सिविल मामलों और 42 वाद धारक क्रिमिनल मामलों के लिए नियुक्त किए गए हैं. मुख्य स्थाई अधिवक्ता के तीन पदों में विनय भूषण को शामिल किया गया है. वे सपा सरकार में अपर स्थाई अधिवक्ता थे. इसके अलावा अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता के 32 पदों पर आधे से अधिक सपा या बसपा के समय रहे सरकारी वकीलों को जगह दी गई है. इनमें अभिनव एन त्रिपाठी, रणविजय सिंह, पंकज नाथ, देवेश चंद्र पाठक, विवेक शुक्ला, दीपशिखा, अजय अग्रवाल, अमिताभ कुमार राय, आलोक शर्मा, मंजीव शुक्ला, एचपी श्रीवास्तव, जगदीश प्रसाद मौर्या, हेमेंद्र कुमार भट्ट, शत्रुघ्न चौधरी, पंकज खरे और राहुल शुक्ला वगैरह शामिल हैं. इन नामों पर भाजपा और संघ में घोर विरोध था, लेकिन महाधिवक्ता ने इसे दरकिनार कर इन्हें नियुक्त कर दिया.

स्टैंडिंग काउंसिल के पद पर पहले की सरकारों में तैनात रहे अनिल कुमार चौबे, प्रत्युश त्रिपाठी, अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, आनंद कुमार सिंह, पारुल बाजपेयी, शोभित मोहन शुक्ला, मनु दीक्षित, मनीष मिश्रा, अनुपमा सिंह, आशुतोष सिंह, कमर हसन रिजवी, संजय सरीन, विनायक सक्सेना, विनय कुमार सिंह, प्रफुल्ल कुमार यादव, शरद द्विवेदी, पुष्कर बघेल, ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव और अनिल कुमार सिंह विशेन को फिर जगह दी गई है. वाद धारक (ब्रीफ होल्डर) के पद पर भी काफी संख्या में उन्हीं वकीलों को जगह मिली जो पिछली सरकार में सरकारी वकील थे. उल्लेखनीय है कि योगी सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद जुलाई महीने में जब सरकारी वकीलों की नियुक्ति हुई थी तब 'चौथी दुनिया' ने उन वकीलों के नाम प्रकाशित किए थे, जो समाजवादी पार्टी सरकार में सरकारी वकील थे या

शेष पृष्ठ 11 पर

मुख्यमंत्री के आदेश को भी ठेंगा दिखाने में कोई झिझक नहीं

महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश की भी कोई परवाह नहीं की. मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश था कि एचपी श्रीवास्तव को एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के पद से हटाया जाए. लेकिन इस आदेश को महाधिवक्ता ने ताक पर रख दिया और पुनरीक्षित सूची में भी एचपी श्रीवास्तव को एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के बतौर शामिल कर लिया. प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण कानूनी मामले में सरकार की किरकिरी कराने के कारण मुख्यमंत्री ने श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया था. सत्ता गलियारे के शीर्ष सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री का आदेश सरकार के विधि परामर्शी (एलआर) के दफ्तर में दबा दिया गया है. यहां फिर से जिक्र करना जरूरी है कि यूपी सरकार के अपर विधि परामर्शी (एडिशनल एलआर) रणधीर सिंह के सगे भाई रणविजय सिंह को महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल बना दिया है. स्वाभाविक है कि राघवेंद्र ने यह सब सोच-समझ कर ही किया होगा. राघवेंद्र और एचपी श्रीवास्तव के बड़े पुराने गहरे सम्बन्ध रहे हैं. सरकारी वकील होते हुए भी एचपी श्रीवास्तव अपने मित्र राघवेंद्र के लिए अपनी पेशेगत-प्रतिबद्धता को ताक पर रखते रहे हैं. ■

सरकारी वकीलों के नियुक्ति-प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो ढक्कन हो गया. संघ का यह मुगालता दूर हुआ कि सरकार संघ के बूते चलती है. संघ से जुड़े अधिवक्ता परिषद ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति में भ्रष्टाचार और गुटबाजी की आधिकारिक शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है. अधिवक्ता परिषद ने कहा है कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति के दुष्प्रयोग के कारण महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में सरकार हार रही है और उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है. महाधिवक्ता द्वारा की गई अवमानना के मामले से उबरने के लिए सरकार को लाखों रुपए खर्च करने पड़े.

ये उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हैं या बंसल-राघवेंद्र प्राइवेट लिमिटेड के मुलाजिम?

भठजोड़ गठजोड़ बेजोड़

सरकारी वकीलों की नियुक्ति ले डूबी योगी की साख, प्रदेशभर में आंदोलन की तैयारी

पृष्ठ 10 का शेष

समाजवादी पार्टी के सक्रिय समर्थक थे. दूसरी बार 'चौथी दुनिया' ने फिर उन नामों को प्रकाशित किया जो यूपी के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह की चौकड़ी के सदस्य थे. महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह के लोगों के नाम का प्रकाशन इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वे यह आधिकारिक तौर पर कह चुके थे कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था. नियुक्ति प्रकरण के तूल पकड़ने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में जब महाधिवक्ता तलब किए गए थे, तब उन्होंने क्षेत्रीय प्रचारक शिवनारायण के समक्ष यही कहा था कि उन्हें नियुक्तियों के बारे में कुछ नहीं पता.

पुनरीक्षण के बाद जो नई सूची बनी उसमें भी राघवेंद्र के लोग भरे हुए हैं. महाधिवक्ता के तीन खास लोग तो एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के पद पर स्थापित किए गए हैं. इनमें रणविजय सिंह, प्रदीप कुमार सिंह और डॉ. उदयवीर सिंह शामिल हैं. पक्षपात का कानूनीकरण इस कदर किया गया कि रणविजय सिंह, जो पहली सूची में स्थाई अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसिल) नियुक्त हुए थे, उन्हें इन्हीं तीन महीने के अंदर तरक्की देकर एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल बना दिया गया. चतुर खिलाड़ी राघवेंद्र सिंह ने इसका खास तौर पर ध्यान रखा कि रणविजय सिंह प्रदेश सरकार के अपर विधि परामर्शी (एडिशनल एलआर) रणधीर सिंह के सगे भाई हैं. लिहाजा, यह 'गोट' राघवेंद्र के लिए जरूरी था. इस प्रभाव-वाद में कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों की इस कदर धज्जियां उड़ाई गईं कि पुनरीक्षण कमेटी का सदस्य नहीं होने के बावजूद रणविजय सिंह को सारी बैठकों में शामिल किया जाता रहा. जबकि महाधिवक्ता की अध्यक्षता वाली पुनरीक्षण कमेटी में न्याय विभाग के प्रमुख सचिव उमेश कुमार, गृह विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल सदस्य थे.

नव-नियुक्त सरकारी वकीलों की लिस्ट में शुमार शैलेंद्र कुमार सिंह मुख्य स्थाई अधिवक्ता (तृतीय), रामप्रताप सिंह चौहान अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता, राजेश तिवारी स्थाई अधिवक्ता, आनंद कुमार सिंह स्थाई अधिवक्ता, कुलदीप सिंह स्थाई अधिवक्ता, देवी प्रसाद सिंह स्थाई अधिवक्ता, राजेश कुमार सिंह स्थाई अधिवक्ता, अनुपमा सिंह स्थाई अधिवक्ता, आशुतोष सिंह स्थाई अधिवक्ता, जयवर्धन सिंह वाद-धारक (ब्रीफ-होल्डर), संजय कुमार सिंह वाद-धारक, सोमा रानी वाद-धारक, वीरेंद्र सिंह वाद-धारक, दीपक कुमार सिंह वाद-धारक, संतोष कुमार सिंह वाद-धारक, शिशिर सिंह चौहान वाद-धारक, धीरज राज सिंह वाद-धारक, सभाजीत सिंह वाद-धारक, श्याम बहादुर सिंह वाद-धारक और अंशुमान वर्मा वाद-धारक प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह के कोटे वाले सरकारी अधिवक्ता हैं. महाधिवक्ता ने अपने खास

> **पुनरीक्षण के बाद जो नई सूची बनी उसमें भी राघवेंद्र के लोग भरे हुए हैं. महाधिवक्ता के तीन खास लोग तो एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के पद पर स्थापित किए गए हैं. इनमें रणविजय सिंह, प्रदीप कुमार सिंह और डॉ. उदयवीर सिंह शामिल हैं. पक्षपात का कानूनीकरण इस कदर किया गया कि रणविजय सिंह, जो पहली सूची में स्थाई अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसिल) नियुक्त हुए थे, उन्हें इन्हीं तीन महीने के अंदर तरक्की देकर एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल बना दिया गया. चतुर खिलाड़ी राघवेंद्र सिंह ने इसका खास तौर पर ध्यान रखा कि रणविजय सिंह प्रदेश सरकार के अपर विधि परामर्शी (एडिशनल एलआर) रणधीर सिंह के सगे भाई हैं. लिहाजा, यह 'गोट' राघवेंद्र के लिए जरूरी था.**

आदमी उदयवीर सिंह को स्थाई अधिवक्ता के पद से प्रमोट करते हुए उन्हें अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता बना दिया, जबकि उदयवीर सिंह की योग्यता पर अदालत परिसर में चुटकुल चला करते हैं. भाजपा लीगल सेल के कुलदीप पति त्रिपाठी सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए संगठन की तरफ से लिस्ट बनाने के काम में लगे थे, वे खुद अपर महाधिवक्ता बन बैठे. कुलदीप पति त्रिपाठी पर वकीलों ने घूस लेने और घूस की रकम संदीप बंसल तक पहुंचाने के आरोप लगाए हैं. 2001 बैच के वकील कुलदीप पति त्रिपाठी को इतने महत्वपूर्ण पद पर बिठाए जाने का कोई न कोई ठोस कारण तो रहा ही होगा. सरकारी वकीलों की पहली सूची में शामिल रहीं शिखा सिन्हा को महज इसलिए हटा दिया गया कि वे महाधिवक्ता की चाटुकार-चौकड़ी में शामिल नहीं थीं. सपा सरकार के समय से तैनात अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता राहुल शुक्ला, अभिनव एन. त्रिपाठी, देवेश पाठक, पंकज नाथ और विवेक शुक्ला को ताजा सूची में भी जारी रखा गया है. स्टैंडिंग काउसिंल के पदों पर भी सपा सरकार के समय से तैनात सरकारी वकीलों को फिर से जारी रखा गया है. इनमें शोभित मोहन शुक्ला, नीरज चौरसिया, मनु दीक्षित वगैरह के नाम प्रमुख हैं. ब्रीफ होल्डर के पद पर भी सपाई वकीलों को जारी रखा गया है. आपको याद ही होगा कि रामजन्म भूमि मुकदमे से जुड़ी वकील रंजना अग्निहोत्री ने बंसल-राघवेंद्र गठजोड़ के खिलाफ सरकारी वकील के पद से इस्तीफा दे दिया था. भाजपा की प्रदेश मीडिया प्रभारी रह चुकीं अनीता अग्रवाल ने भी सरकारी वकील के पद पर अपनी ज्वाइनिंग देने से इंकार कर दिया था. उन्होंने कहा था कि वे भाजपा से पिछले 30 साल से जुड़ी रही हैं. उनकी उपेक्षा कर उनसे काफी जूनियर वकीलों को अपर महाधिवक्ता बना दिया गया है. ऐसे में वह स्टैंडिग काउंसिल के पद पर कार्य नहीं कर सकतीं. अधिवक्ता परिषद की डॉ. दीप्ति त्रिपाठी ने भी परिषद के वकीलों और महिला वकीलों की अनदेखी किए जाने के कारण सरकारी वकील का पद अस्वीकार कर दिया था.

सरकारी वकीलों की नियुक्ति में जज-आश्रितों को किस तरह आश्रय दिया गया, उसका ब्यौरा भी देखते चलें. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण के भाई विनय भूषण को मुख्य स्थाई अधिवक्ता (द्वितीय) बनाया गया. विनय भूषण समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता थे. अब इन्हें तरक्की देकर स्थाई अधिवक्ता नियुक्त कर दिया गया है. इसी तरह जस्टिस बीके नारायण के बेटे एनके सिन्हा नारायण और बहू आनंदी के नारायण दोनों को सरकारी वकील नियुक्त कर दिया गया. इनके अलावा जस्टिस केडी शाही के बेटे विनोद कुमार शाही को अपर महाधिवक्ता बनाया गया है. जस्टिस आरडी शुक्ला के बेटे राहुल शुक्ला अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता, स्व. जस्टिस एएन त्रिवेदी के बेटे अभिनव त्रिवेदी अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता, जस्टिस रंगनाथ पांडेय के रिश्तेदार देवेश चंद्र पाठक अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता, जस्टिस शबीहुल हसनैन के रिश्तेदार कमर हसन रिजवी अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता, जस्टिस एसएन शुक्ला के रिश्तेदार विवेक कुमार शुक्ला अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता, जस्टिस रितुराज अवस्थी के रिश्तेदार प्रत्युष त्रिपाठी स्थाई अधिवक्ता और जस्टिस राघवेंद्र कुमार के पुत्र कुमार आयुष वाद-धारक नियुक्त किए गए हैं. नई सूची में जस्टिस यूके धवन के बेटे सिद्धार्थ धवन और जस्टिस एसएस चौहान के बेटे राजीव सिंह चौहान को एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल बनाया गया है. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट को अपर महाधिवक्ता बनाया गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलीप बाबा साहेब भोसले के बेटे करन दिलीप भोसले को अखिलेश सरकार ने नियुक्त किया था, योगी सरकार ने भ्ज़ी उसे जारी रखने की 'अनुकम्पा' कर दी. ऐसे उदाहरण कई हैं. सरकारी वकीलों की नियुक्ति से सरकार की साख इतनी गिर गई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के दोनों परिसरों इलाहाबाद और लखनऊ में जजों के रिश्तेदारों को जज-आश्रित कह कर बुलाया जाता है और तमाम कटाक्ष हो रहे हैं. नियुक्ति प्रसंग में जज भी खूब रुचि ले रहे थे. सरकारी वकीलों की लिस्ट में जज-आश्रितों की खासी संख्या इस बात की आधिकारिक सनद है.

आपको फिर से याद दिलाते चलें कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए योग्य वकीलों की लिस्ट बनाने का जिम्मा प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल ने संभाली थी. उनका साथ दे रहे थे उन्हीं की टीम के खास सदस्य अशोक कटारिया. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से अलग से लिस्ट बनाई जा रही थी. अधिवक्ता परिषद की तरफ से भी योग्य वकीलों की लिस्ट बनाई जा रही थी. दूसरी तरफ कानून विभाग के प्रमुख सचिव रंगनाथ पांडेय भी रंगीन खिचड़ी पका रहे थे, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी. लेकिन नियुक्ति के बाद जो लिस्ट बाहर आई उसने बंसल और प्रमुख सचिव की पोल खोल कर रख दी. यह उजागर हुआ कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति में पैरवी और घूसखोरी जम कर चली जिसका परिणाम यह हुआ कि संगठन और सरकार की प्रतिष्ठा को ताक पर रख कर तमाम पैरवी-पुत्रों, जज-आश्रितों, मंत्री और महाधिवक्ता के गुट के लोगों और समाजवादी सरकार के समय के अधिकांश सरकारी वकीलों को फिर से नियुक्त कर दिया गया. योग्यता का मापदंड बहुत पीछे छूट गया. सरकारी वकीलों की लिस्ट में जजों के बेटे और नाते-रिश्तेदारों को शामिल कर कानून विभाग के प्रमुख सचिव रंगनाथ पांडेय खुद जज बन गए और बड़ी बुद्धिमानी से पर्दे के पीछे चले गए. अधिवक्ता सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव ने रंगनाथ पांडेय की करतूतों का पूरा कच्चा चिट्ठा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजा था. इसकी प्रतिलिपि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी भेजी गई थी. पीएमओ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस मामले की गहराई से जांच कराने को भी कहा था. लेकिन यह सब ढाक के तीन पात ही साबित हुआ. श्रीवास्तव की शिकायत में यह स्पष्ट लिखा है कि विधि विभाग के प्रमुख सचिव रंगनाथ पांडेय पद का दुरुपयोग कर और विधाई संस्थाओं को अनुचित लाभ देकर हाईकोर्ट के जज बने हैं. पांडेय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच में सरकारी वकीलों की नियुक्ति को अपनी तरक्की का जरिया बनाया. नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मानकों की पूरी तरह अनदेखी की. खुद जज बनने के लिए सारी सीमाएं लांघीं. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिश्तेदारों को सरकारी वकीलों की लिस्ट में शामिल किया और एवज में जज का पद पा लिया. रिश्वतखोरी की यह नायाब घटना है.

जिस तरह सरकारी वकीलों की नियुक्ति चर्चा और विवादों में है, उसी तरह प्रदेश का महाधिवक्ता चुनने में भी तमाम किस्म की सियासी नौटंकियां हुई थीं. प्रदेश सरकार का उहापोही चरित्र महाधिवक्ता के चयन में उजागर हो गया था. कभी शशि प्रकाश सिंह यूपी के महाधिवक्ता बनाए जा रहे थे तो कभी महेश चतुर्वेदी. अंदर-अंदर राघवेंद्र सिंह भी लगे थे और उन्होंने सुनील बंसल को पकड़ रखा था. एक समय तो यह भी आया, जब राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर कह दिया कि हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह प्रदेश के महाधिवक्ता होंगे. 27 मार्च 2017 को यह फैसला हुआ और कहा गया कि 28 मार्च को इसकी बाकायदा घोषणा होगी. तमाम अखबारों में शशि प्रकाश सिंह के महाधिवक्ता बनने की खबरें और उनकी तस्वीरें भी छप गईं. लेकिन सरकार ने औपचारिक घोषणा नहीं की. शशि प्रकाश सिंह को संघ का समर्थन प्राप्त था. वे संघ के अनुषांगिक संगठन अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और परिषद की यूपी इकाई के अध्यक्ष रहे हैं. लेकिन महाधिवक्ता की नियुक्ति में भी संघ की नहीं चली. विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे पूर्व सांसद राघवेंद्र सिंह को पार्टी ने विधायकी का टिकट नहीं दिया था. सुनील बंसल ने इसके एवज में उन्हें प्रदेश का महाधिवक्ता बनाने में भूमिका अदा की. इसीलिए अधिवक्ता जगत में चर्चा है कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति सुनील बंसल और राघवेंद्र सिंह की आपसी समझदारी और साठगांठ से हुई है. महाधिवक्ता पद के लिए कतार में खड़े महेश चतुर्वेदी और रमेश कुमार सिंह जैसे वरिष्ठों को अपर महाधिवक्ता का पद लेकर संतुष्ट होना पड़ा. महेश चतुर्वेदी बसपा सरकार में मुख्य स्थाई अधिवक्ता थे. रमेश सिंह राजनाथ सिंह के शासनकाल में प्रदेश के अपर महाधिवक्ता थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

सुनील बंसल

एडवोकेट जनरल राघवेन्द्र सिंह

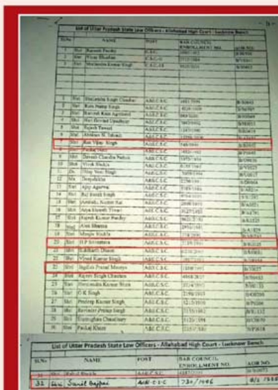

सीएम ने जिसे हटाने का आदेश दिया उसे (20) ही एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त कर दिया गया. रणविजय सिंह (7) को भी ऐसे ही नहीं मिली तरक्की. कांग्रेस नेता सुनील वाजपेयी (32) और कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता जगदीश मौर्या (23) को भी एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल बना दिया गया.

जब महाधिवक्ता ने भरी अदालत में कटाई योगी सरकार की नाक

उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने भरी अदालत में योगी सरकार की किरकिरी कराई तो उनकी योग्यता को लेकर तमाम सवाल उठने लगे. मामला वर्ष 2007 में गोरखपुर में हुए एक दंगे को लेकर था और खुद योगी आदित्यनाथ उसके घेरे में थे. इस मामले में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट में महाधिवक्ता की हरकतों के कारण प्रदेश सरकार की खूब फजीहत हुई.

सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठा था कि अगर सरकार किसी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इंकार कर दे तो क्या सरकार के फैसले को दरकिनार कर कोई मजिस्ट्रेट मामले की सुनवाई कर सकता है? उत्तर प्रदेश के अपर महाधिवक्ता (एडिशनल एडवोकेट जनरल) मनीष गोयल और सरकार की तरफ से पैरवी के लिए आए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अजय कुमार मिश्र सरकार के पक्ष में दलील दे रहे थे. बहस के दौरान ही महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) राघवेंद्र सिंह खड़े हो गए और उन्होंने अपने ही सहयोगियों की दलील को काटना शुरू कर दिया. महाधिवक्ता के इस रवैये से पूरी कोर्ट सकते में आ गई. सुनवाई कर रहे न्यायाधीश कृष्ण मुरारी और एसी शर्मा भी हैरत में आ गए और उन्होंने महाधिवक्ता से पूछ ही लिया कि कोर्ट सरकार की तरफ से आए एडिशनल एडवोकेट जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वकील की बात सही मानें या फिर एडवोकेट जनरल की बात को सही माना जाए! हाईकोर्ट ने कटाक्ष करते हुए कहा, 'आप दोनों पहले फैसला कर लें कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं. आप लोग खुद ही एक राय नहीं हैं.' अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता को 'महत्वपूर्ण और गंभीर मामले में' अदालत में हाजिर नहीं रहने के लिए फटकार भी लगाई. हाईकोर्ट ने सरकार के वकीलों के बरताव से नाराज होते हुए कहा था, 'हम एडवोकेट जनरल के खिलाफ रिस्ट्रेंट ऑर्डर पास कर रहे हैं. आपकी राय अपने सहयोगी वकीलों से अलग है, जबकि यह बेहद गंभीर मामला है. आप ज्यादातर समय लखनऊ में रहते हैं जबकि एडवोकेट जनरल का मुख्य कार्यालय इलाहाबाद में है.' अदालत ने इस बात को संज्ञान में लिया था कि यूपी सरकार के वकीलों के पास मूल याचिका में बदलाव के विरोध में कोई 'ठोस सबूत' नहीं है. ■

पुलिस व विभाग से मिल माफ़िया कर रहे बालू का अवैध खनन

मुखिया ने बताया कि बालू माफिया प्रतिदिन सुबह तीन बजे से ही ट्रकों और ट्रैक्टरों से अवैध रूप से बालू की ढुलाई कराते हैं. इस मामले में पूरे जिले की पुलिस संदेह के घेरे में है. गया जिला के नक्सल प्रभावित शेरघाटी अनुमंडल की पुलिस तो खुले आम बालू लदे ट्रकों से राशि की वसूली कर रही है. गया शेरघाटी रोड में विधायक डॉ. विनोद कुमार यादव के घर के निकट ही बालू लदे ट्रक के चालक से अवैध वसूली करते फोटो वायरल होने के बाद पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के भी होश उड़ गए. बताया जाता है कि जीटी रोड स्थित शेरघाटी थाना के सामने से प्रतिदिन बालू लदे सैकड़ों ट्रक गुजरते हैं. ये सभी ट्रक अवैध रूप से बालू का उठाव माफिया के संरक्षण में करते हैं.

सुनील सौरभ

झारखंड के अलग होने के बाद से बिहार में खनिज पदार्थों के नाम पर सिर्फ बालू ही बचा है. बालू से ही राज्य सरकार को एक बड़ी राशि राजस्व के रूप में आती है. काम लायक बालू भी दक्षिण बिहार के नदियों से ही आता है. सोन, फल्गू के साथ-साथ करीब दो दर्जन छोटी बड़ी अन्य नदियों से राज्य सरकार ने बालू उत्खनन का निर्देश दिया है. बालू का कटाव या उत्खनन नदियों के निर्धारित घाटों से ही करना है, लेकिन बालू माफिया, खनन विभाग और पुलिस की सांठ-गांठ से अवैध रूप से नदियों से बालू का बड़े पैमाने पर उठाव कर सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचा रहे हैं. बरसात में चार महीने तक नदियों से बालू उत्खनन की रोक के बाद एक अक्टूबर 2017 से कुछ नदियों से सरकारी स्तर से बालू उठाव के लिए सरकारी नीतियां बनायी गईं. अवैध रूप से उत्खनन को रोकने के लिए भी खनन विभाग को विशेष निर्देश दिया गया है. इसके बावजूद बालू माफिया खुलेआम अवैध रूप से बालू का कटाव कर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा राज्य से बाहर भी धड़ल्ले से बालू भेज रहे हैं. इस बात का खुलासा

तब हुआ जब गया जिले के जिला पदाधिकारी कुमार रवि फल्गु-निरंजना और सरस्वती नदी के संगम पर छठ घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे. जिला पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों को देख संगम घाट से अवैध रूप से बालू का उठाव कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई. हालांकि इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की लेकिन वे सब पकड़े नहीं जा सके. बालू के अवैध उत्खनन को देख जिला पदाधिकारी कुमार रवि काफी गंभीर हो गए और इस संबंध में स्थानीय मुखिया और पुलिस से पूछताछ की.

मुखिया ने बताया कि बालू माफिया प्रतिदिन सुबह तीन बजे से ही ट्रकों और ट्रैक्टरों से अवैध रूप से बालू की ढुलाई कराते हैं. इस मामले में पूरे जिले की पुलिस संदेह के घेरे में है. गया जिला के नक्सल प्रभावित शेरघाटी अनुमंडल की पुलिस तो खुले आम बालू लदे ट्रकों से राशि की वसूली कर रही है. गया शेरघाटी रोड में विधायक डॉ. विनोद कुमार यादव के घर के निकट ही बालू लदे ट्रक के चालक से अवैध वसूली करते फोटो वायरल होने के बाद पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के भी होश उड़ गए. बताया जाता है कि जीटी रोड स्थित शेरघाटी थाना के सामने से प्रतिदिन बालू लदे सैकड़ों ट्रक गुजरते हैं. ये सभी ट्रक अवैध रूप से बालू का उठाव माफिया के संरक्षण में करते हैं. बताया जाता है कि पुलिस के चढ़ावे के बिना कोई भी ट्रक आगे नहीं बढ़ पाता है. बालू माफिया की तरफ से पुलिस को प्रति महीने एक मोटी रकम दी जाती है. एक ओर जहां पुलिस और खनन विभाग अवैध रूप से बालू खनन को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी भूमि से मिट्टी खनन करने पर भी राशि की मांग करते हैं. खनन विभाग द्वारा अपनी ही भूमि से मिट्टी खनन करने के काम में लगे ट्रैक्टर चालक पर जुर्माना ठोक दिया गया. रॉयल्टी एवं अन्य कर के तौर पर एक लाख रुपये का जुर्माना कर दिये जाने से आक्रोशित लोगों ने जब बोधगया में गया डोभी रोड जाम कर दिया, तब पुलिस व खनन विभाग के कारनामे का पता चला. सैकड़ों की संख्या में लोगों द्वारा खनन विभाग के काले कारनामों को लेकर सड़क जाम करने के बाद संबंधित सरकारी पदाधिकारियों की नींद खुली और अपनी भूमि से मिट्टी खनन करने वाले लोगों से मामला वापस लिया गया. पुलिस व खनन विभाग के इन कारनामों के खुलासे के बाद भी गया जिले के नदियों से अवैध रूप से सैकड़ों ट्रक बालू का उठाव प्रतिदिन किया जा रहा है, जिससे सरकारी राजस्व की बड़े पैमाने पर क्षति हो रही है. हाल के दिनों में सरकार ने बालू खनन के लिए नई नीति बनाई है, जिसके तहत निजी कम्पनी को ठेका नहीं देकर सरकारी स्तर से निर्धारित घाटों से बालू उठाव करने और राजस्व की वसूली विभाग द्वारा कराने का निर्णय लिया है. इसी के बाद से बालू माफिया अवैध उत्खनन में सक्रिय हो सरकारी राजस्व को बड़े पैमाने पर हानि पहुंचा रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

साधना व तंत्र पेंटिंग्स का भी केन्द्र है दरभंगा

चौथी दुनिया ब्यूरो

मिथिलांचल और खासकर दरभंगा में तंत्र पेंटिंग्स की दुनिया से अभी बहुत लोग अनजान हैं. तंत्र पेंटिंग्स में शरीर पर तंत्र के प्रभाव को दर्शाया गया है. मिथिला की अघोषित राजधानी दरभंगा में तंत्र पेंटिंग्स के दर्जनों ऐसे कलेक्शन मौजूद हैं, जिन्हें देखकर यह कहा जा सकता है कि साधना के साथ-साथ इस विद्या को कागजों पर लोगों ने उकेरने का काम किया. प्राचीन काल से ही इस भूमि को तंत्र भूमि के नाम से जाना जाता है. कालांतर में तंत्र साधना का यह केन्द्र धीरे-धीरे कम होता चला गया. तांत्रिक दरभंगा के बजाय बंगाल के तारापीठ व असम के कामाख्या मंदिर का रुख करने लगे. हालांकि अब भी मिथिलांचल के कुछ हिस्सों में तांत्रिक यहां सिद्धि करते नजर आते हैं.

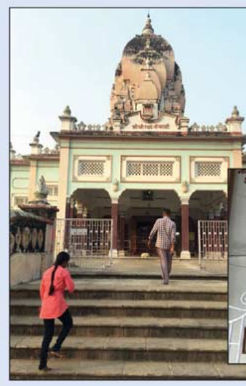

दरभंगा स्थित चंद्रधारी म्यूजियम में करीब सौ वर्ष से अधिक पुराने ऐसे ही कलेक्शन मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए तंत्र साधक आज भी यहां पहुंचते हैं. कोलकाता से पहुंचे तंत्र साधक गौतम सरकार ने बताया कि जब इन्हें इस बात की जानकारी मिली कि दरभंगा में तंत्र विद्या से संबंधित कुछ पेंटिंग्स मौजूद हैं, तो वे अपना सारा काम-काज छोड़ दरभंगा आ गए. यहां आकर इन्हें तंत्र विद्या के बारे में कुछ अहम जानकारी मिली. वहीं स्थानीय तंत्र साधक सुभाष दास, प्रवीण आदि ने बताया कि इन्हें इसकी जानकारी कुछ पुराने तांत्रिकों से मिली, जो तंत्र पेंटिंग्स के दरभंगा में होने की बात कहते थे. चंद्रधारी म्यूजियम में जो तंत्र पेंटिंग्स मौजूद हैं, इनमें से ज्यादातर पंडित लक्ष्मी नारायण झा की है. इनके पुत्र मित्रनाथ झा ने बताया कि उनके पिता तंत्र विद्या के ज्ञाता थे. वे कागजों पर तंत्र के प्रभावों को उकेरा करते थे. बाद में इनकी पेंटिंग्स को चंद्रधारी म्यूजियम को दे दिया गया. हालांकि इसमें से कई पेंटिंग्स रख-रखाव के अभाव में नष्ट हो गई. लेकिन बाद में इसके संरक्षण की दिशा में काम कर कई दुर्लभ पेंटिंग्स को बचा लिया गया. अब इसे संरक्षित कर चंद्रधारी म्यूजियम में दर्शकों को देखने के लिए लगाया जाएगा.

चंद्रधारी म्यूजियम के क्यूरेटर डॉ. सुधीर कुमार यादव ने बताया कि म्यूजियम में बहुत सारी ऐसी दुर्लभ चीजें हैं, जिन्हें नष्ट होने से बचाने की जरूरत है. इन्हीं में से दर्जनों की संख्या में मौजूद तंत्र पेंटिंग्स एक हैं. इन्होंने बताया कि जब इनकी पोस्टिंग यहां हुई, तो बहुत सारी चीजें जर्जर अवस्था में मिलीं. जानकार लोगों से संपर्क कर इनकी अहमियत के बारे में पता लगाया गया. इसके बाद एक-एक कर चीजों को संरक्षित करने की दिशा में कार्य शुरू किया गया. वे बताते हैं कि यूं तो म्यूजियम में देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तंत्र पेंटिंग्स की इतनी कलेक्शन बिहार में शायद ही कहीं हो. चौथी दुनिया से खास बातचीत के क्रम में वे बताते हैं कि तंत्र पेंटिंग्स को देखने खासतौर पर तंत्र साधक यहां आते हैं. बिहार के अलावा बंगाल, ओड़ीशा, असम, नेपाल आदि से लोग यहां इसको जानने व समझने आते हैं. इन्होंने बताया कि जर्जर तस्वीरों को संरक्षित कर इसे काफी हद तक बचा लिया गया है. वे बताते हैं कि पेंटिंग्स को संरक्षित करने के बाद इसके जानकारों की मदद से तस्वीरों पर उकेरी गई चीजों के बारे में बताने का प्रयास भी किया जाएगा.

स्वयं महाराज रामेश्वर सिंह तंत्र साधक के रूप में विख्यात रहे हैं. मिथिला विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो अजय नाथ झा बताते हैं कि दरभंगा, बंगाल, ओड़ीसा व असम का तंत्र विद्या के केन्द्र के रूप में रहा है. यहां एक से बढ़कर एक तांत्रिक साधना के लिए जुटते थे. इन्होंने बताया कि मिथिलांचल के कई गांव कालांतर में तंत्र साधना के रूप में जाने जाते रहे हैं. इनमें मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड अंतर्गत सरिसहपाही, लखनौर आदि प्रसिद्ध रहा है. यहां आज भी लोग तंत्र साधना करते हैं.

दरभंगा व आसपास के कई इलाकों में स्थित कई प्राचीन मंदिरों में तंत्र पर आधारित पेंटिंग्स देखने को मिल जाती है. दरभंगाा राज किला के अंदर स्थित कंकाली मंदिर की दीवारों पर आज भी प्राचीन समय में तंत्र पर की गई पेंटिंग्स लोगों के लिए आकर्षण के केन्द्र हैं. इसके अलावा मधुबनी व आसपास के इलाकों में भी तंत्र पर आधारित कई चीजें देखने को मिल रही हैं.■

केंद्रीय मानव संसाधन विभाग और अधिशासी परिषद् कटघरे में

कुलपति को हटाने की मांग पर डटे आन्दोलनकारी

राकेश कुमार

महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव कमिटी ने दो बर्खास्त सहायक प्राध्यापकों की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए पुनः बहाल कर दिया. ज्ञात हो कि विगत 28 सितम्बर को महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अरविन्द अग्रवाल ने सहायक प्राध्यापक डॉ. शशिकान्त रे और अमित आनन्द को बर्खास्त कर दिया था. बर्खास्तगी के बाद दोनों शिक्षक विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना पर बैठ गये थे. इसकी जानकारी मिलते ही विभिन्न छात्र संगठन भी आन्दोलित हो गये. छात्रों के अनुसार दोनों ही शिक्षक योग्य, अनुशासित और शिक्षण के प्रति संवेदनशील हैं.

क्यों आन्दोलन की आंच में झुलस रहा विश्वविद्यालय- दिन-ब-दिन आन्दोलन तेज होता गया. शुरू में छात्रों की मुख्य मांग थी कि बर्खास्त शिक्षकों को वापस लाया जाये, लेकिन आन्दोलन जैसे-जैसे बढ़ता गया, नये-नये खुलासे होने लगे. शिक्षकों के साथ तानाशाही, छात्रों को भयाक्रान्त रखना, बिहारी होने को छोटा बताते हुये बिहारियों को विश्वविद्यालय से बाहर करने की साजिश, नियुक्ति घोटाला, वित्तीय घोटाला, पुस्तक खरीद में अनियमितता, अपने साथ हिमाचल और अन्य राज्यों से लाये लोगों को मनमानी की छूट जैसे तमाम आरोप लगने लगे. सबसे अहम था विश्वविद्यालय में कतिपय कर्मियों का चारित्रिक पतन. आरोपों की लिस्ट बढ़ती जा रही थी और आन्दोलन उग्र होता जा रहा था. आन्दोलन की आंच देश के विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालय से होते हुये विदेशों तक भी पहुंच गई. शिक्षकों के अकारण या जबरन दोष मढ़ कर बर्खास्त करने के विरोध में हॉर्वर्ड विश्वविद्यालय के भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने भी प्रदर्शन किया. चारों तरफ से केवल कुलपति और उनके कुछ चहेतों पर आरोप लग रहे थे.जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और सांसद पप्पू यादव भी आन्दोलनकारी छात्रों के समर्थन में मोतिहारी पहुंचे और विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्रों को सम्बोधित किया. हालांकि श्री यादव ने छात्र आन्दोलन को राजनीति से जोड़ते हुये स्थानीय सांसद सह केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिह को ही जिम्मेवार ठहरा दिया. आन्दोलन के शुरू होते ही वो सभी जो कुलपति और उनके चहेतों से त्राहिमाम कर रहे थे, मुखर हो गये. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, छात्र राजद, एनएसयूआई, जन अधिकार पार्टी की छात्र ईकाई द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन में खुलकर विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक शामिल हो गये. केविवि के छात्रों ने बिहारी के नाम पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया.

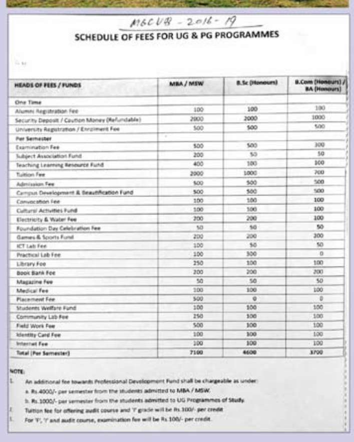

MGCUB - 2016-17

SCHEDULE OF FEES FOR UG & PG PROGRAMMES

HEADS OF FEES / FUNDS	MBA / MSW	B.Sc (Honours)	B.Com (Honours) / BA (Honours)
One Time			
Alumni Registration Fee	100	100	100
Security Deposit / Caution Money (Refundable)	2000	2000	1000
University Registration / Enrolment Fee	500	500	500
Per Semester			
Examination Fee	500	500	300
Subject Association Fund	200	50	50
Teaching Learning Resource Fund	400	100	100
Tuition Fee	2000	1000	700
Admission Fee	500	500	500
Campus Development & Beautification Fund	500	500	500
Convocation Fee	100	100	100
Cultural Activities Fund	100	100	100
Electricity & Water Fee	200	200	100
Foundation Day Celebration Fee	50	50	50
Games & Sports Fund	200	200	200
ICT Lab Fee	100	50	50
Practical Lab Fee	100	300	0
Library Fee	250	100	100
Book Bank Fee	200	200	200
Magazine Fee	50	50	50
Medical Fee	100	100	100
Placement Fee	500	0	0
Students Welfare Fund	100	100	100
Community Lab Fee	250	100	100
Field Work Fee	500	100	100
Identity Card Fee	100	100	100
Internet Fee	100	100	100
Total (Per Semester)	7100	4600	3700

NOTE:
1. An additional fee towards Professional Development Fund shall be chargeable as under:
a. Rs.4000/- per semester from the students admitted to MBA / MSW.
b. Rs.1000/- per semester from the students admitted to UG Programmes of Study.
2. Tuition fee for offering audit course and 'I' grade will be Rs.100/- per credit
3. For 'F', 'I' and audit course, examination fee will be Rs.100/- per credit.

न बर्खास्तगी का कारण बताया, न जवाब तलब किया- बर्खास्तगी को लेकर शिक्षकों का कहना था कि उनसे पूर्व में कोई कारण नहीं पूछा गया, न ही किसी प्रकार की चेतावनी या जवाब तलब किया गया. हम पर क्या आरोप लगा है, यह भी नहीं बताया गया. 28 सितम्बर को कुलपति के विशेष कार्य पदाधिकारी ने बुलाया और बर्खास्तगी का पत्र दे दिया, जिसमें अधिशासी परिषद् द्वारा बर्खास्त करने की बात कही गई थी. जबकि दोनों शिक्षकों के एक वर्ष के प्रोवेशन की अवधि अक्टूबर में ही पूरी होने वाली थी. पत्रकारों ने जब कुलपति डॉ. अरविन्द अग्रवाल से शिक्षकों को हटाये जाने के बारे में पूछा तो उनका जवाब था कि यह गोपनीय है और अन्दर की बात है. नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया से गुजर कर कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद के लिये चयनित होता है और बिना कारण बताये, बिना जवाब-तलब किये हटा दिया जाना आश्चर्यजनक था. जब इसकी तह में जाकर जानकारी ली गई तो आश्चर्यजनक खुलासे हुये. कुलपति महोदय ने पूर्व में भी एक शिक्षक डॉ. संदीप कुमार को बाहर का रास्ता दिखाया था. उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया था, बल्कि भयाक्रांत करके उनका इस्तीफा ले लिया गया था. डॉ. संदीप द्वारा दिये गये जवाब के अनुसार उनसे जबरन इस्तीफा लिया गया. कहा गया कि अगर इस्तीफा नहीं देते हो तो किसी महिलाकर्मी से दुर्व्यवहार का आरोप लगवाकर निकाल दिया जायेगा, तब चरित्र के आधार पर कहीं भी नौकरी के लायक नहीं रह जाओगे. विवि प्रशासन द्वारा मनमानी करने पर डॉ. संदीप द्वारा विरोध का यह प्रतिफल मिला. अधिशासी परिषद् के तेवर को देखते हुये और स्थिति को भांपकर कुलपति के सबसे नजदीकी माने जाने वाले और विवादों से घिरे प्रो. आशुतोष प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया और पुनः हिमाचल प्रदेश विवि में लौटने की बात कही है. प्रो. प्रधान और उनकी पत्नी रश्मिता रे, जो सहायक शिक्षका हैं, पर भी कई गम्भीर आरोप हैं.

अधिशासी परिषद् पर प्रश्नचिन्ह-आखिर कैसे कुलपति द्वारा अधिशासी परिषद् की बैठक में दो शिक्षकों के बर्खास्तगी पर सदस्यों ने मुहर लगा दी. अधिशासी परिषद् ने इतने बड़े मुद्दे पर कोई बहस नहीं की. जबकि अधिशासी परिषद् विवि के संचालन के लिये सबसे सशक्त माना जाता है. परन्तु विद्वान सदस्यों ने भी कुलपति पर पूरा विश्वास कर लिया और इस अनैतिक कार्य के सहभागी बन गये. 16 अक्टूबर को पटना में हुये अधिशासी परिषद् की बैठक में सदस्यों को यह समझ में आया कि कुलपति द्वारा दिग्भ्रमित करके दोनों शिक्षकों की बर्खास्तगी को अनुमोदित करा लिया गया.

अधिशासी समिति पर विवि को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी होती है. खास कर विवि के स्थापना काल में गठित पहले अधिशासी परिषद् के विद्वान विशेषज्ञों का दायित्व महत्वपूर्ण होता है. परिषद् की बैठक केवल कागजी अनुमोदन तक सीमित नहीं होती, उसका दायित्व है कि छात्रों, शिक्षकों और विवि प्रशासन की कमियों को देखे और असुविधाओं का निराकरण करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अधिशासी परिषद् के विद्वान सदस्यों से जिसमें तीन-तीन कुलपति भी हैं, से भारी चूक हो गयी. इस पूरे प्रकरण के बाद बर्खास्तगी को वापस करने के बाद अधिशासी परिषद् ने माना कि कुलपति द्वारा मनमानी की गई है.

शुल्क संरचना में भारी अन्तर- महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की शुल्क संरचना भी अन्य केविवि से ज्यादा और असामान्य है, जो शिक्षा विभाग और अधिशासी परिषद् पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है. गरीब बच्चों की शिक्षा के निमित्त स्थापित केविवि की शुल्क संरचना सभी विवि से ज्यादा है जिसे चुकाने में गरीब बच्चे और अविभावक असमर्थ नजर आते हैं. साउथ बिहार केविवि में जहां पीजी का शुल्क 1800 से 3600 है, वहीं महात्मा गांधी केन्द्रीय विवि में 18 हजार से 20 हजार है.

अधिशासी परिषद् की अगली बैठक में होगा शुल्क संरचना पर फैसला- यहां भी कुलपति की मनमानी का उदाहरण मिलता है. अधिशासी समिति के विद्वान सदस्य डॉ. कर्मात्मा पाण्डेय ने बताया कि विचार हेतु शुल्क संरचना का प्रस्ताव अधिशासी समिति के समक्ष लाया ही नहीं गया. अलबत्ता सिलेबस के निर्धारण के लिये प्रस्ताव लाया गया था, जबकि यह विद्वत् परिषद् का विषय था. डॉ. पाण्डेय ने कहा कि शुल्क संरचना अन्यायपूर्ण है और अधिशासी परिषद् की अगली बैठक में शुल्क संरचना पर संजीदगी से विचार विमर्श कर फैसला लिया जाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

पांडुलिपियों में छिपे हैं मिथिला के कई रहस्य

विभाष

मिथिला के कई अनसुलझे प्राचीन रहस्य आज भी उन पांडुलिपियों में छिपे हुए हैं, जो अभी भी शिक्षण संस्थाओं के अलावा कई घरों में कैद हैं. इन पांडुलिपियों में प्राचीन कालीन इकोलॉजी पर आधारित जीवन के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष शास्त्र सहित कई ऐसी ज्ञान संबंधित बातों का रहस्य सारगर्भित है, जिसकी तलाश में शोधार्थी के अलावा कई विशेषज्ञों की टीम जुटी हुई हैं. मिथिला शुरू से ही ज्ञान की भूमि के रूप में विश्वविख्यात रही है. महाकवि विद्यापति से लेकर मंडन मिश्र तक ना जाने कितने ही विद्वानों के रचनाओं व जीवनी का जिक्र इन पांडुलिपियों में छिपा हुआ है. हजारों वर्ष पुरानी मिली प्राचीन पांडुलिपियों से ऐसी-ऐसी जानकारी मिली है, जो आधुनिक युग में भी शोधार्थियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. न केवल देश, बल्कि विदेशों से भी दर्जनों की संख्या में प्रतिवर्ष शोधकार्य करने के लिए विद्यार्थी मिथिला की अघोषित राजधानी दरभंगा आते हैं. एक जानकारी के मुताबिक, दरभंगा में केवल हजारों की संख्या में दुर्लभ पांडुलिपियों का कलेक्शन है. इसके अलावा हजारों की संख्या में कई प्राचीन पांडुलिपियां कई विद्वानों के घर विरासत के तौर पर मौजूद हैं. हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर पांडुलिपियों के संरक्षण की दिशा में काम किया जा रहा है. जानकारों की मानें तो इनमें से कई पांडुलिपि रख-रखाव के अभाव में नष्ट हो चुके हैं. कुछ आंशिक रूप से खराब हो चुके थे, जिन्हें नष्ट होने से बचाने की मुहिम चल रही है. दरभंगा में दो विश्वविद्यालय के अलावा कई ऐसे शिक्षण संस्थान हैं, जहां दुर्लभ पांडुलिपियों का कलेक्शन है. राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की ओर से इनके संरक्षण की दिशा में काम किया जा रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि इन पांडुलिपियों से मिथिला के कई रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा. जो अब तक लोगों के सामने नहीं आए. केवल बुजुर्ग लोगों की जुबानी ही सुनते आए हैं.

मिथिला शोध संस्थान में हैं 16 हजार पांडुलिपियां - बागमती के तट पर कबडाघाट स्थित मिथिला शोध संस्थान की स्थापना 16 जून 1951 को तत्कालीन देश के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने की थी. इस संस्थान में ऑन रिकॉर्ड करीब साढ़े बारह हजार प्राचीन दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रह है. इनमें से ज्यादातर संस्कृत, मैथिली, उड़िया आदि भाषाओं में हैं. इनमें वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, काव्य साहित्य, तंत्र, योग, सांख्य, वेदांत, न्याय आदि मुख्य रूप से शामिल हैं. यहां जापान, मलेशिया, ऑस्ट्रिया, इंडोनेशिया आदि देशों से शोधार्थी प्रतिवर्ष आते हैं. हालांकि समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण इन शोधार्थियों को बाहर होटलों में अपने खर्च पर रहना पड़ता है. जानकारों की मानें तो न्याय पर लिखी कई पांडुलिपियों का यहां भरपूर कलेक्शन है. इतना पूरे देश में शायद ही कहीं मिले. संस्थान के पांडुलिपि विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ मित्रनाथ झा की मानें तो संस्थान में 1000 साल से अधिक पुरानी पांडुलिपियों का संग्रह है. उचित रख-रखाव के अभाव में इनमें से कुछ आंशिक रूप से नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई थीं. श्री झा के मुताबिक यहां संस्कृत भाषा में लिखी हजारों पांडुलिपियों का दुर्लभ संग्रह है. जो भी शोधार्थी यहां शोध करने आते हैं, उन्हें पांडुलिपि की फोटो कॉपी या फिर उनकी फोटो खींचने की इजाजत नहीं होती. अपना दर्द और पांडुलिपियों से बेहद लगाव के कारण वे भावुक अंदाज में कहते हैं कि पांडुलिपियों के संरक्षण की दिशा में भवन के शिलान्यास के बाद सरकार की ओर से कोई मदद नहीं दी गई. हालांकि संस्थान के निदेशक डॉ देवनारायण यादव के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान में उनके आने के बाद काफी कुछ बदलाव आया. उनके प्रयास से कुछ चीजें काफी हद तक तेजी से बदलीं. चाहे वह संरक्षण की दिशा में किया गया प्रयास हो, या फिर कुछ और. राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की ओर से इसके संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को उन्होंने काफी सराहा.

कई पांडुलिपियों की हुई चोरी - उचित देख-रेख के अभाव में या यूं कहें तो कर्मचारियों की उदासीनता के कारण दरभंगा के मिथिला शोध संस्थान से तकरीबन 26 दुर्लभ पांडुलिपियों की चोरी 28 मार्च 2003 को चोरों ने कर ली. हालांकि चोरी की प्राथमिकी थाने में दर्ज की गई, लेकिन इस दिशा में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने से चोरी की गई पांडुलिपियां अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग सकीं. इतना ही नहीं, कई संस्थाओं से पांडुलिपियों को कर्मचारियों की मिलीभगत से गायब भी कर दिया गया. उदासीनता कहें या नीयत में खोट, संस्थान से जो भी पांडुलिपि गायब या चोरी हुई कभी नहीं मिली.

पांडुलिपियों का संग्रह विभिन्न संस्थाओं में - एक रिकॉर्ड के मुताबिक, दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के पास तकरीबन 94, चंद्रधारी म्यूजियम के पास करीब पांच हजार, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पास पांच हजार, मिथिला शोध संस्थान के पास तकरीबन ऑन रिकॉर्ड 12500, महरानी कल्याणी फांउडेशन के पास एक हजार व रसायनशास्त्र के भूतपूर्व शिक्षक आईएस झा के पास 2315 फोलियो पांडुलिपियां हैं. इनमें से श्री झा ने अपनी पास रखी सभी पांडुलिपियों को बिहार राज्य अभिलेखागार पटना को दानस्वरूप दे दिया. इसके अलावा कई लोगों के पास आज भी हजारों की संख्या में दुर्लभ पांडुलिपियां हैं, जो उनके पास विरासत के तौर पर रखी हुई हैं. सरकार कहीं इनको अपने पास ना ले ले, इस डर से भी कई लोग इस बात को छिपाकर रखे हुए हैं. एक आंकड़े के मुताबिक यहां के चंद्रधारी म्यूजियम में नेवारी भाषा में लिखी व चित्रित पांडुलिपि मौजूद है. ये काफी संख्या में अभी तक पाई गई हैं. इसके अलावा तिरहुत, मैथिली, देवनागरी, उड़िया, तिब्बती, आसामी, बांग्ला आदि भाषाओं में लिखी पांडुलिपि मौजूद हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

वैचारिकी का ओवरडोज़

अनंत विजय

वर्ष 2017 के लिए जब मैन बुकर प्राइज अमेरिकी लेखक जॉर्ज सैंडर्स को उनके उपन्यास लिंकन इन द बार्डो को दिया गया तो एक बार फिर से जूरी के सदस्यों ने पुरस्कार के उच्च मानदंडों को मजबूत किया. पांच लेखक इस पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट थे, जिनमें से जॉर्ज सैंडर्स को ये पुरस्कार दिया गया. मैन बुकर प्राइज को लेकर पूरी दुनिया में एक उत्सुकता का माहौल रहता है और माना जाता है कि इसकी जूरी उसी कृति का चुनाव करती है जिसने सचमुच साहित्य की दुनिया में नई जमीन तोड़ी है. नया भाषागत प्रयोग, नया फॉर्म, नया विषय या नया ट्रीटमेंट वाले लेखक ही मैन बुकर प्राइज हासिल कर पाते हैं. इस वर्ष के जूरी के सदस्यों ने भी इस परंपरा को कायम रखा और अपने बयान में कहा कि सैंडर्स का उपन्यास उनके सामने एक चुनौती की तरह था. उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था कि मैन बुकर प्राइज किसी और को दिया जाए. जूरी की अध्यक्ष ने इस कृति को असाधारण करार दिया. तीन साल पहले इस पुरस्कार को अमेरिकी लेखकों के लिए भी खोला गया था और उसके बाद से दो अमेरिकी लेखकों को ये पुरस्कार मिल चुका है. पॉल बेयटी को भी उनके उपन्यास पर पचास हजार डॉलर का मैन बुकर प्राइज मिल चुका है. अगर हम जॉर्ज सैंडर्स के उपन्यास को देखें तो इसका विषय और उस विषय का ट्रीटमेंट भी अलग है. जॉर्ज सैंडर्स का उपन्यास लिंकन इन द बार्डो एकदम नए विषय और सही घटना पर आधारति है. लिंकन इन द बार्डो में उपन्यासकार ने 1862 में अब्राहम लिंकन के ग्यारह वर्षीय बेटे की मौत के बाद वाशिंगटन डीसी के कब्रिस्तान में दफनाने की घटना से उठाया है. मैन बुकर प्राइज मिलने के बाद सैंडर्स ने बताया कि अब्राहम लिंकन के बेटे के दफनाने की घटना को जब उन्होंने सुना और उनको पता चला कि लिंकन बार बार कब्रगाह जाया करते थे तो उनके जेहन में इस उपन्यास ने आकार लेना शुरू कर दिया था. लेकिन उसको लेखन में काफी वक्त लगा और लंबे अंतराल के बाद जब ये उपन्यास प्रकाशित हुआ तो अपनी विषयगत नवीनता को लेकर पाठकों और आलोचकों का ध्यान अपनी ओर खींचा. लेखक ने डर को और फिर उस डर से निबटने के मनोविज्ञान और स्थितियों को अपने इस उपन्यास का केन्द्रीय थीम बनाया है. पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने स्वीकार भी किया कि हम एक अजीबोगरीब समय में रह रहे हैं जहां डर से छुटकारा पाने के लिए या तो हम हिंसा की ओर जाते हैं या फिर बहिष्कार का रास्ता अपनाते हैं. सैंडर्स को लगता है कि जिस तरह से पहले डर को प्यार से जीतने की कोशिश होती थी वो अब नहीं हो रही है. अपने डर को लोग दूसरों को डराकर या हराकर दूर करना चाहते हैं. तमाम तरह की ऐसी घटनाएं उनके उपन्यास में प्रतिबिंबित होती हैं. लिंकन के बेटे की कब्र से कहानी को उठाकर लेखक बौद्ध धर्म में वर्णित मृत्यु और उसके बाद पुनर्जन्म के बीच के काल को समेटता चलता है. उपन्यास का कालखंड वो है जब अब्राहम लिंकन अमेरिका में अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहे थे. लिंकन के समय का संघर्ष भी इस उपन्यास में बार बार लौट कर आता है. लिंकन इन द बार्डो में सैंडर्स ने कई पुरानी घटनाओं का, पत्रों का, इतिहास की पुस्तकों का हवाला भी दिया है. यह उपन्यास अमेरिकी साहित्य जगत में मील का पत्थर साबित होगा.

जब गॉड ऑफ स्माल थिंग्स के प्रकाशन के बीस साल बाद अरुंधति का दूसरा उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस छपा था तब से इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि उनके नए उपन्यास को मैन बुकर प्राइज मिल सकता है. अरुंधति राय ने पिछले दो दशकों में अपने एक्टिविज्म से एक अलग ही तरह का वैश्विक पाठक वर्ग तैयार किया है. अरुंधति राय का पहला उपन्यास गॉड ऑफ स्माल थिंग्स 1997 में आया था, जिसपर उन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिला था. यह भारत में रहकर लेखन करने वाले किसी लेखक को पहला बुकर था. पूरी दुनिया में अरुंधति राय के नए उपन्यास का इतंजार था, भारत में भी उनके पाठकों को और उनकी विचारधारा के लोगों को भी. दो उपन्यासों के प्रकाशन के अंतराल के बीच अरुंधति ने कश्मीर समस्या, नक्सल समस्या, भारतीय जनता पार्टी खासकर नरेन्द्र मोदी के उभार पर बहुत मुखरता से अपने विचार रखे थे. उनके इस तेवर को आधार बनाकर ही उनके समर्थकों ने उनको वैश्विक स्तर का विचारक करार दिया. अरुंधति का अपना एक पक्ष है, उनके अपने तर्क हैं, जिससे सहमति या असहमति एक अलहदा मुद्दा है लेकिन वो बहुधा विचारोत्तेजक होते हैं. इस वैचारिक मुखरता की वजह से उनकी एक रचनात्मक लेखक के रूप में उपस्थिति थोड़ी कमजोर पड़ गई. जितनी मुखरता से वो भारत की उपरोक्त समस्याओं पर अपने विचारों को प्रकट करती रही हैं, तो यह लाजमी था कि ये सब विचार किसी ना किसी रूप में उनके उपन्यास में आएं. आए भी हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के पात्रों की पृष्ठभूमि इन्हीं इलाकों से है. पात्रों के संवाद के केन्द्र में भी बहुधा इन समस्याओं को लेखिका जगह देती चलती हैं.

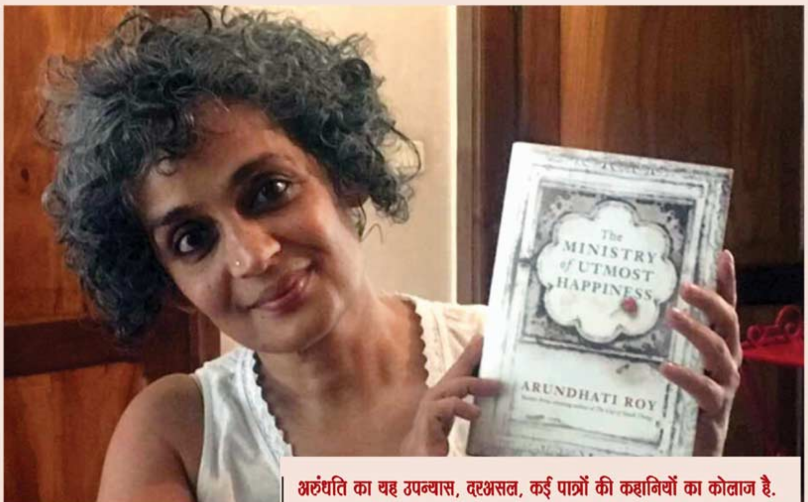

अरुंधति का यह उपन्यास, दरअसल, कई पात्रों की कहानियों का कोलाज है. शुरुआत होती है अंजुम के किन्नर समुदाय में शामिल होने से. उसके बाद कई कहानियां एक के बाद एक पाठकों के सामने खुलती जाती हैं. केरल की महिला तिलोत्तमा की कहानी जो अपनी सीरियन क्रिश्चियन मां से अलग होकर दुनिया को अपनी नजरों से देखती है. इस पात्र को देखकर अरुंधति के पहले उपन्यास गॉड ऑफ स्माल थिंग्स की ममाची की याद आ जाती है क्योंकि दोनों पात्र रंगरूप से लेकर हावभाव और परिवेश तक में एक है. अपने उपन्यास में अरुंधति ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह परिस्थितियों के चलते कश्मीरी युवक आतंकवादी बन जाते हैं. यहां पर एक बार फिर से संवाद के जरिए कश्मीर की ऐतिहासिकता को लेकर अरुंधति के विचार प्रबल होने लगते हैं. पाठकों पर जब इस तरह के विचार लादने की कोशिश होती है तो उपन्यास बोझिल होने लगता है, उसके विषय का ट्रीटमेंट गड़बड़ाने लगता है. एक बार फिर से यह बात पुख्ता हुई कि फिक्शन में ज्यादा वैचारिकी चलती नहीं है.

अरुंधति का यह उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस रोचक तरीके से शुरू होता है. शुरुआत एक लड़के की कहानी से होती है कि किस तरह से उसके अंदर स्त्रैण गुण होता है और अंततः वो किन्नरों के समूह में शामिल हो जाता है. अगर हम जॉर्ज सैंडर्स की उपन्यास से इस उपन्यास की तुलना करें तो शुरुआत में दोनों में एक मजबूत टक्कर दिखाई देती है, लेकिन जॉर्ज सैंडर्स अपने ऊपर अपने विचारों को हावी नहीं होने देते हैं, जबकि अब्राहम लिंकन के वक्त अमेरिका में काफी उथल पुथल थी, वैचारिक टकराहट भी जमकर हो रहे थे. लेकिन सैंडर्स की तुलना में अरुंधति ने अपने उपन्यास में वैचारिकी को हावी होने दिया. नतीजा यह हुआ कि अरुंधति का एक्टिविस्ट उनके लेखक पर हावी होता चला गया. किन्नरों के बीच के संवाद में यह कहा जाता है कि दंगे हमारे अंदर हैं, जंग हमारे अंदर है, भारत-पाकिस्तान हमारे अंदर है आदि आदि. अब इस तरह के बिंबों के बगैर भी बात की जा सकती थी, रोचक और दिलचस्प तरीके से किन्नरों के अंदर और बाहर का संघर्ष दिखाया जा सकता था. लेकिन कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है तो लेखक पर एक्टिविस्ट पूरी तरह हावी हो जाता है. फिक्शन की आड़ लेकर जब अरुंधति कश्मीर के परिवेश में घुसती हैं तो उनकी भाषा बेहद तल्ख हो जाती है, बहुधा फिक्शन की परिधि को लांघते हुए वो अपने सिद्धांतों को सामने रखती नजर आती हैं. कश्मीर के हालात और कश्मीरियों के दुखों का विवरण देते हुए वो पाठकों को उस भाषा से साक्षात्कार करवाती हैं जिस भाषा से कोफ्त हो सकती है क्योंकि पाठक फिक्शन समझ कर इस पुस्तक को पढ़ रहा होता है. कश्मीर के परिवेश की भयावहता का वर्णन करते हुए वो लिखती हैं मौत हर जगह है, मौत ही सबकुछ है, करियर, इच्छा, कविता, प्यार मोहब्बत सब मौत है. मौत ही जीने की नई राह है. जैसे जैसे कश्मीर में जंग बढ़ रही है वैसे वैसे कब्रगाह भी उसी तरह से बढ़ रहे हैं जैसे महानगरों में मल्टी लेवल पार्किंग बढ़ते जा रहे हैं. इस तरह की भाषा बहुधा वैचारिक पुस्तकों या लेखों में पढ़ने को मिलती है. यहीं आकर जॉर्ज सैंडर्स आगे बढ़ते चले गए और प्राथमिक सूची में आने के बावजूद अरुंधति का उपन्यास अंतिम पांच में भी जगह नहीं बना पाया.

अरुंधति का यह उपन्यास, दरअसल, कई पात्रों की कहानियों का कोलाज है. शुरुआत होती है अंजुम के किन्नर समुदाय में शामिल होने से. उसके बाद कई कहानियां एक के बाद एक पाठकों के सामने खुलती जाती हैं. केरल की महिला तिलोत्तमा की कहानी जो अपनी सीरियन क्रिश्चियन मां से अलग होकर दुनिया को अपनी नजरों से देखती है. इस पात्र को देखकर अरुंधति के पहले उपन्यास गॉड ऑफ स्माल थिंग्स की ममाची की याद आ जाती है क्योंकि दोनों पात्र रंगरूप से लेकर हावभाव और परिवेश तक में एक है. अपने उपन्यास में अरुंधति ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह परिस्थितियों के चलते कश्मीरी युवक आतंकवादी बन जाते हैं. यहां पर एक बार फिर से संवाद के जरिए कश्मीर की ऐतिहासिकता को लेकर अरुंधति के विचार प्रबल होने लगते हैं. पाठकों पर जब इस तरह के विचार लादने की कोशिश होती है तो उपन्यास बोझिल होने लगता है, उसके विषय का ट्रीटमेंट गड़बड़ाने लगता है. एक बार फिर से यह बात पुख्ता हुई कि फिक्शन में ज्यादा वैचारिकी चलती नहीं है. यही हाल हिंदी के भी ज्यादातर उपन्यासों का है जहां वैचारिकी फिक्शन पर हावी होने लगती है. ■

anant.ibn@gmail.com

सूचना के अधिकार से जुड़े सामान्य सवाल

चौथी दुनिया ब्यूरो

मुझे सूचना कौन देगा, मैं आवेदन किसे जमा करूं?

सभी सरकारी विभागों के एक या एक से अधिक अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है. आपको अपना आवेदन उन्हें ही जमा करना है. यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे आपके द्वारा मांगी गई सूचना विभाग की विभिन्न शाखाओं से इकट्ठा करके आप तक पहुंचाएं. इसके अलावा बहुत से अधिकारी सहायक लोक सूचना नियुक्त किए गए हैं. इनका काम सिर्फ जनता से आवेदन लेकर उसे सम्बंधित जन सूचना अधिकारी के पास पहुंचाना है.

क्या कोई जन सूचना अधिकारी मेरा आवेदन यह कह कर अस्वीकार कर सकता है कि आवेदन या उसका कोई हिस्सा उससे सम्बंधित नहीं हैं?

नहीं वह ऐसा नहीं कर सकता. अनुच्छेद 6(3) के अनुसार वह सम्बंधित विभाग के पास आपके आवेदन को भेजने और इसके बारे में आपको सूचित करने के लिए बाध्य है.

यदि किसी विभाग ने लोक सूचना की नियुक्ति न की हो तो क्या करना चाहिए?

अपना आवेदन लोक सूचना अधिकारी द्वारा विभाग प्रमुख के नाम से नियत शुल्क के साथ सम्बंधित सरकारी अधिकारी को भेज दें. आप अनुच्छेद 18 के तहत राज्य के सूचना आयोग से भी शिकायत कर सकते हैं. सूचना आयुक्त के पास ऐसे अधिकारी पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाने का अधिकारी है. जिसने आपका आवेदन लेने से इनकार किया है. शिकायत करने के लिए आपको सिर्फ सूचना आयोग को एक साधारण पत्र लिखकर यह बताना है कि फलां विभाग ने अभी तक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है. और उस पर जुर्माना लगना चाहिए.

क्या लोक सूचना अधिकारी मुझे सूचना देने से मना कर सकता है?

लोक सूचना अधिकारी सूचना के अधिकारी कानून के अनुच्छेद 8 में बताए गए विषयों से सम्बंधित सूचनाएं देने से मना कर सकता है. इसमें विदेशी सरकारों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं, सुरक्षा अनुमानों से सम्बंधित सूचनाएं, रणनीतिक, वैज्ञानिक या देश के आर्थिक हितों से जुड़े मामले, विधानमंडल के विशेषाधिकार हनन सम्बंधित मामले से जुड़ी सूचना शामिल हैं. अधिनियम की दूसरी अनुसूची में ऐसी 18 एजेंसियों की सूची दी गई है जहां सूचना का अधिकार लागू नहीं होता है. फिर भी यदि सूचना भ्रष्टाचार के आरोपों या मानवाधिकारों के हनन से जुड़ी हुई है तो इन विभागों को भी सूचना देनी पड़ेगी.

क्या इसके लिए कोई शुल्क भी लगेगा?

हां, इसके लिए शुल्क निम्नवत है-

आवेदन शुल्क- 10 रुपये

सूचना देने का खर्च- 2 रुपये प्रति पृष्ठ

दस्तावेजों की जांच करने का शुल्क- जांच के पहले घंटे का कोई शुल्क नहीं पर उसके बाद हर घंटे का पांच रुपये शुल्क देना होगा. यह शुल्क केन्द्र व कई राज्यों के लिए ऊपर लिखे अनुसार है लेकिन कुछ राज्यों में यह इससे अलग है. इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए यहां किल्क करें.

मैं शुल्क कैसे जमा कर सकता है?

आवेदन शुल्क के लिए हर राज्य की अपनी अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं. आम तौर पर आप अपना शुल्क निम्नलिखित तरीकों से जमा करा सकते हैं-

स्वयं नकद जमा करा के (इसकी रसीद लेना न भूले), डिमाण्ड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर से (कुछ राज्यों में लागू), बैंकर्स चैक से केन्द्र सरकार से मामलों में इसे एकाउंट ऑफिसर्स (Account Officer) के नाम देय होने चाहिए.

कुछ राज्य सरकारों ने इसके लिए निश्चित खाते खोले हैं. आपको उस खाते में शुल्क जमा करना होता है. इसके लिए स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में नकद जमा करके उसकी रसीद आवेदन के साथ नत्थी करनी होती है. या आप उस खाते के पक्ष में देय पोस्टल ऑर्डर या डीडी भी आवेदन के साथ संलग्न कर सकते हैं.

कुछ राज्यों में, आप आवेदन के साथ निर्धारित मूल्य का कोर्ट की स्टैम्प भी लगा सकते हैं. पूरी जानकारी के लिए कृपया सम्बंधित राज्यों के नियमों का अवलोकन करें.

मैं अपना आवेदन कैसे जमा कर सकता हूं?

आप व्यक्तिगत रूप से, स्वयं लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास जाकर या किसी को भेजकर आवेदन जमा करा सकते हैं. आप इसे लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के पते पर डाक द्वारा भी भेज सकते हैं. केन्द्र सरकार के सभी विभागों के लिए 629 डाकघरों को केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है. आप इनमें से किसी भी डाकघर में जाकर आवेदन और शुल्क जमा कर सकते हैं. वहां जाकर जब आप सूचना का अधिकारी काउंटर पर आवेदन जमा करेंगे तो वे आपको रसीद और एक्नॉलेजमेंट देंगे और यह उस डाकघर की जिम्मेदारी है कि तय समय सीमा में आपका आवेदन उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी तक पहुंचाया जाए. इन डाकघरों की सूची www.indiapost.gov.in/rtimanual116a पर उपलब्ध है.

यदि लोक सूचना अधिकारी या सम्बंधित विभाग मेरा आवेदन स्वीकार नहीं करता तो मुझे क्या करना चाहिए?

आप इसे पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं. अधिनियम की धारा 18 के अनुसार आपको सम्बंधित सूचना आयोग में शिकायत भी करनी चाहिए. सूचना आयुक्त के पास उस अधिकारी के खिलाफ 25000 रुपये तक जुर्माना लगाने का अधिकारी है. जिसने आपका आवेदन लेने से मना किया है. शिकायत में आपको सूचना आयुक्त को सिर्फ एक पत्र लिखना होता है, जिसमें आप आवेदन जमा करते समय पेश आने वाली परेशानियों के विषय में बताते हुए लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाने का निवेदन कर सकते हैं.

क्या सूचना प्राप्त करने की कोई समय सीमा है?

हां, यदि आपने जन सूचना अधिकारी के पास आवेदन जमा कर दिया है तो आपको हर हाल में 30 दिनों के भीतर सूचना मिल जानी चाहिए. यदि आपने आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास डाला है तो यह सीमा 35 दिनों की है. यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतन्त्रता को प्रभावित कर सकती है तो सूचना 48 घंटों में उपलब्ध करायी जाती है. द्वितीय अनुसुची में शामिल संगठनों के लिए यह सूचना 45 दिनों में, तथा तृतीय पक्ष में 40 दिनों में उपलब्ध कराने का प्रावधान है. ■

feedback@chauthiduniya.com

अगर आपके पास आरटीआई से संबंधित कोई ख़बर या सवाल है, तो हमें इमेल करें: rti@chauthiduniya.com

जन्मदिन : 7 नवंबर, 1858
पुण्यतिथि : 20 मई, 1932

जयंती विशेष

एक क्रांतिकारी, एक सुधारक बिपिन चंद्र पाल

बिपिन चंद्र पाल एक भारतीय क्रांतिकारी, शिक्षक, पत्रकार व लेखक थे. पाल उन महान विभूतियों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की बुनियाद तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई. वे मशहूर लाल-बाल-पाल (लाला लाजपत राय, बालगंगाधर तिलक एवं विपिनचन्द्र पाल) तिकड़ी का हिस्सा थे. इस तिकड़ी ने अपने तीखे प्रहार से अंग्रेजी हुकुमत की चूलें हिला दी थी.

चौथी दुनिया ब्यूरो

बिपिन चंद्र पाल एक भारतीय क्रांतिकारी, शिक्षक, पत्रकार व लेखक थे. पाल उन महान विभूतियों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की बुनियाद तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई. वे मशहूर लाल-बाल-पाल (लाला लाजपत राय, बालगंगाधर तिलक एवं विपिनचन्द्र पाल) तिकड़ी का हिस्सा थे. इस तिकड़ी ने अपने तीखे प्रहार से अंग्रेजी हुकुमत की चूलें हिला दी थी. विपिनचंद्र पाल राष्ट्रवादी नेता होने के साथ-साथ एक शिक्षक, पत्रकार, लेखक व बेहतरीन वक्ता भी थे. उन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक भी माना जाता है.

विपिनचंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को अविभाजित भारत के हबीबगंज जिले में (अब बांग्लादेश में) पोइल नामक गांव में एक संपन्न घर में हुआ था. उनके पिता रामचंद्र पाल एक पारसी विद्वान और छोटे ज़मींदार थे. उन्होंने चर्च मिशन सोसाइटी कॉलेज (अब सेंट पौल्स कैथेड्रल मिशन कॉलेज) में अध्ययन किया और बाद में पढ़ाया भी. यह कॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध था.

बहुत छोटी आयु में ही बिपिन ब्राम्हण समाज में शामिल हो गए थे और समाज के अन्य सदस्यों की भांति वे भी सामाजिक बुराइयों और रुढ़िवादी परंपराओं का विरोध करने लगे. उन्होंने बड़ी छोटी उम्र में ही जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाया और अपने से ऊंची जाति वाली विधवा से विवाह किया, जिसके पश्चात उन्हें अपने परिवार से नाता तोड़ना पड़ा. पाल धुन के पक्के थे इसलिए पारिवारिक और सामाजिक दबाओं के बावजूद कोई समझौता नहीं किया.

ब्राम्हण समाज के काम वो बहुत निष्ठा से करते थे. कटक, मैसुर और सिल्हेट इस जगह उन्होंने शिक्षक की नौकरी की थी. भारतीय समाज की प्रगती शिक्षा की वजह से होगी, ऐसा उनका मानना था. 1880 में बिपिनचंद्र ने सिल्हेट में परिदर्शक नाम से एक बंगाली साप्ताहिक प्रकाशीत किया, वैसे ही कोलकाता आने के बाद उनको वहां के बंगाल ओपिनियन के संपादक मंडल में लिया गया. 1887 में बिपिनचंद्र पाल ने राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में पहली बार हिस्सा लिया. शस्त्रबंदी कानून के खिलाफ उनका भाषण उत्तेजनापूर्ण और प्रेरक रहा. 1887-88 में उन्होंने लाहौर के ट्रिप्यून का संपादन किया. 1900 में बिपिनचंद्र पाल पाश्चात्य और भारतीय तत्वज्ञान का तुलनात्मक अभ्यास करने के लिए इंग्लैंड गए. वहां के भारतीयों के लिए स्वराज्य नाम का मासीक निकाला. 1905 में इंग्लैंड के कोलकाता आने के बाद वो न्यू इंडिया नाम का अंग्रेजी साप्ताहिक चलाने लगे. 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया. लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय के साथ उन्होंने इस विभाजन का विरोध किया. जिससे लाल बाल पाल इन त्रिमूर्तीयों का उदय हुआ.

सन 1886 में वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए. सन 1887 में कांग्रेस के मद्रास सत्र में उन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा लागू किये गए शस्त्र अधिनियम तत्काल हटाने की मांग की क्योंकि यह अधिनियम भेदभावपूर्ण था. वे मशहूर लाल-बाल-पाल (लाला लाजपत राय, बालगंगाधर तिलक एवं विपिनचन्द्र पाल) तिकड़ी का हिस्सा थे. इन तीनों ने क्रांतिकारी भावनाओं को हवा दी और खुद भी क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया. पाल और अरविंदो घोष ने एक ऐसे राष्ट्रवाद का प्रवर्तन किया जिसके आदर्श थे पूर्ण स्वराज, स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा.

बिपिन चन्द्र पाल ने स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय आन्दोलन को आगे बढ़ाया. उनका मानना था कि ऐसा करने से गरीबी और बेरोज़गारी दूर होगी. अंग्रेजी हुकुमत में उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और उनका मानना था कि विनती और असहयोग जैसे हथियारों से विदेशी ताकत को पराजित नहीं किया जा सकता. इसी कारण गांधी जी के साथ उनका वैचारिक मतभेद था. अपने जीवन के अंतिम कुछ सालों में वे कांग्रेस से अलग हो गए.

राष्ट्रीय आंदोलन के शुरूआती सालों में गरम दल की महत्वपूर्ण भूमिका रही क्योंकि इससे आंदोलन को एक नई दिशा मिली और इससे लोगों के बीच जागरुकता बढ़ी. बिपिनचंद्र पाल ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आम जनता में जागरुकता पैदा करने में अहम भूमिका निभाई. उनका मानना था कि नरम दल के हथियार प्रेयर-पीटिशन से स्वराज नहीं मिलने वाला है बल्कि स्वराज के लिए विदेशी हुकुमत पर करारा प्रहार करना पड़ेगा. इसी कारण उन्हें स्वाधीनता आन्दोलन में क्रांतिकारी विचारों का पिता कहा जाता है.

उन्होंने 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन बड़ा योगदान दिया जिसे बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला. लाल-बाल-पाल की इस तिकड़ी ने महसूस किया कि विदेशी उत्पादों से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है और लोगों का काम भी छिन रहा है. अपने गरम विचारों के लिए मशहूर पाल ने स्वदेशी आन्दोलन को बढ़ावा दिया और ब्रिटेन में तैयार उत्पादों का बहिष्कार, मैनचेस्टर की मिलों में बने कपड़ों से परहेज तथा औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल आदि हथियारों से ब्रिटिश हुकुमत की नींद उड़ा दी.

पाल ने बंग-भंग के समय कई सभाओं को सम्बोधित किया. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए तीव्र आन्दोलन चलाया. पाल ने क्रांतिकारी पत्रिका बन्दे मातरम की स्थापना भी की थी. 1907 में वन्दे मातरम पत्र के माध्यम से अंग्रेस विरोधी जनमत तैयार करने पर उनके खिलाफ राजद्राह का मुकदमा चलाकर जेल में ठूंस दिया गया. रिहा होते ही अपना आन्दोलन और तेज कर दिया.

तिलक की गिरफ्तारी और स्वदेशी आन्दोलन के बाद अंग्रेजों की दमनकारी नीति के बाद वे इंग्लैंड चले गए. वहां जाकर वे क्रांतिकारी विचारधारा वाले इंडिया हाउस (जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी) से जुड़ गए और स्वराज पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया. जब क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने सन 1909 में कर्जन वाइली की हत्या कर दी तब स्वराज का प्रकाशन बंद कर दिया गया और लंदन में उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा. इस पर प्रतिबन्ध लगने पर वे भारत लौट आये. यहां हिन्दू रिव्यू पत्र प्रारम्भ किया. वे ब्रिटिश सरकार के सामने गिड़गिड़ाने में विश्वास नहीं रखते थे. उनके क्रांतिकारी विचारों से बंगाल की पीढ़ी उनके साथ हो ली थी. इस घटना के बाद बिपिनचंद्र पाल ने अपने आप को उग्र विचारधारा से अलग कर लिया.

वंदे मातरम राजद्रोह मामले में उन्होंने अरबिन्दो घोष के खिलाफ गवाही देने से इंकार कर दिया जिसके कारण उन्हें छः महीने की सजा हुई. उन्होंने कई मौकों पर महात्मा गांधी जैसे नेताओं की आलोचना भी की और उनके विचारों का विरोध भी किया. सन 1921 में गांधीजी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था, आप के विचार तार्किक नहीं बल्कि जादू पर आधारित हैं. 20 मई 1932 को इस महान क्रांतिकारी का कोलकाता में निधन हो गया. वे लगभग 1922 के आस-पास राजनीति से अलग हो गए थे और अपनी मृत्यु तक अलग ही रहे. ■

feedback@chauthiduniya.com

मलेरिया के लक्षण, कारण, बचाव और उपचार क्या हैं

चौथी दुनिया ब्यूरो

मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है, जिसमें ठंड लगकर तेज बुखार आता है, लेकिन ये लक्षण रोग फैलाने वाले प्लाजमोडियम के प्रकार के अनुसार बदल भी सकते हैं. कई मामलों में बुखार एक दिन छोड़कर आता है. यह एक संक्रमक बुखार है जिसमें निश्चित समय के अंतर से ठंड के साथ बुखार चढ़ता है और पसीना आकर उतर जाता है. इस रोग का जीवाणु प्लाजमोडियम प्रमुख रूप से दो प्रकार का होता है. एक, प्लाजमोडियम वाइवेक्स और दूसरा, प्लाजमोडियम फेल्सीपारम. ये रोगाणु परजीवी होते हैं मतलब ये अपना पोषणा इंसान के रक्त से लेते हैं. जब मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया से ग्रस्त रोगी का रक्त चूसती है तो खून के साथ मलेरिया रोग के बहुत से परजीवी मच्छर के पेट में पहुंच जाते हैं और यह मच्छर जब किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो मलेरिया के परजीवी लार द्वारा उसके रक्त में मिल जाते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं.

मलेरिया के लक्षण

शरीर में मलेरिया रोग के जीवाणुओं के पहुंचने के बाद 14 से 21 दिन के अंदर उसे मलेरिया बुखार आता है. जब परजीवी रक्त कोशिकाओं को तोड़कर बाहर निकलते हैं तो रोगी को कपकपी या ठंड महसूस होती है. तेज बुखार के बाद पसीना आता है तथा रोगी कमजोरी महसूस करता है. बाद में उसे गरमी भी लगती है.

मलेरिया के प्रमुख लक्षणों में बुखार आने के पहले जी मिचलाहट, उलटी आना, सिर दर्द, बदन दर्द, हाथ-पैर में कपकपी, प्यास लगना, फिर तेज ठंड लगकर बुखार 103-104 डिग्री तक चढ़ना, रोगी का छटपटाना और बड़बड़ाना, फिर पसीना आकर बुखार उतरना और आराम मिलना होते हैं. लंबे समय तक चलने वाले बुखार में रोगी की तिल्ली (प्लीहा) और जिगर (लिवर) बढ़ जाते हैं.

मलेरिया की जांच

रोग की पहचान चिकित्सक लक्षणों के आधार पर करने के अलावा इसके लिए रक्त-पट्टिका बनवाकर पैथोलॉजी विशेषज्ञ से सूक्ष्मदर्शी जांच भी करवाते हैं. इसमें दोनों प्रकार के जीवाणुओं (वाइवेक्स एवं फेल्सीपारम) का पता चल जाता है. इसके अतिरिक्त एक नई जांच पद्धति भी उपलब्ध है, जिसमें फेल्सीपारम या वाइवेक्स प्रजाति का पता एक स्ट्रिप या कार्ड पर रोगी का रक्त डालकर चल जाता है. इसमें समय भी कम लगता है, लेकिन यह जांच कुछ महंगी होती है.

मलेरिया का इलाज और मलेरिया की दवा

कुनैन साल्ट की क्लोरोक्वीन मलेरिया के इलाज में काम आती रही है. अन्य दवाओं में प्रिमाक्वीन, हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन, पैमाक्वीन आदि का प्रयोग किया जाता है जो किसी चिकित्सक के बताये अनुसार लेनी चाहिए.

मलेरिया से बचाव के उपाय

मच्छरो से बचें. वहां सोएं जहां मच्छर न हों या कपड़ा ओढ़कर सोएं. बच्चों को मच्छरदानी या महीन (पतले) कपड़े के नीचे सुलाएं. एरीर पर सरसों का तेल लगाएं. इससे मच्छर नहीं काटते. मच्छरों और लार्वा को खत्म कर दें. मच्छर रुके हुए पानी में पैदा होते हैं. आस-पास के टूटे हुए बरतनों को हटा दें. तालाब या दलदल को साफ करें या उन पर थोड़ा सा तेल डालें. घर के आसपास गड्ढों तथा पानी के इकट्ठा होने वाले स्थानों को पाट दें. छत की टंकी, टेंक, कूलर इत्यादि का पानी बदलते रहें. सप्ताह में एक बार जरूर बदलें. इससे भी मच्छरों के प्रजनन पर रोक लगाई जा सकती है. खुले स्थानों पर जहां पानी हटाना संभव न हो वहां जला हुआ खनिज तेल या मिट्टी का तेल डालें. इससे मच्छर के लार्वा उत्पन्न नहीं होंगे. पानी की निकासी की सही व्यवस्था करें. जहां तक संभव हो अंडर ग्राउंड निकासी की व्यवस्था करें. खिड़की-दरवाजों पर मच्छर जालियां लगवाएं. नीम की पत्तियों का धुआं या नीम का तेल जलाकर मच्छरों को दूर रखें. पाइरेथम के धुएं से भी मच्छर नष्ट हो जाते हैं.

> मलेरिया रोग का जीवाणु प्लाजमोडियम प्रमुख रूप से दो प्रकार का होता है. एक, प्लाजमोडियम वाइवेक्स और दूसरा, प्लाजमोडियम फेल्सीपारम. ये रोगाणु परजीवी होते हैं मतलब ये अपना पोषणा इंसान के रक्त से लेते हैं. जब मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया से ग्रस्त रोगी का रक्त चूसती है तो खून के साथ मलेरिया रोग के बहुत से परजीवी मच्छर के पेट में पहुंच जाते हैं और यह मच्छर जब किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो मलेरिया के परजीवी लार द्वारा उसके रक्त में मिल जाते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं.

मलेरिया में क्या खायें

जब बुखार उतरे तब अरारोट, साबूदाने की खीर, बालों, चावल का मांड, बिदाना, अंगूर, सिंघाड़ा जैसी हलकी सुपाच्य चीजें खाएं. जिस दिन बुखार आने वाला हो, उस दिन पुराने चावल का भात, सूजी की रोटी, थोड़ा दूध या मछली का शोरबा पिएं. कच्चा केला, परवल, बैगन, केले के फुल की सब्जी खाएं. गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर स्वादानुसार चीनी मिलाकर 2-3 बार पिएं. प्यास लगने पर थोड़ा-थोड़ा छाछ पिएं. बुखार में गरम पानी और बाद में गर्म किया ठंडा पानी ही पिएं.

मलेरिया में क्या न खाएं

भारी, गरिष्ठ, तले, मिर्च-मसालेदार चीजें भोजन में न खाएं. मांस, मछली, अंडा न खाएं. फ्रिज का ठंडा पानी, आइसक्रीम, ठंडी तासीर की चीजें सेवन न करें. शराब न पिएं. शरीर को ठंड न लगने दें. अधिक मेहनत वाला कार्य न करें. ■

feedback@chauthiduniya.com

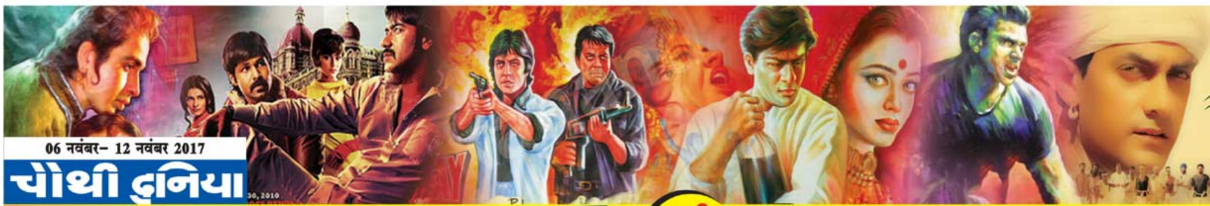

फिल्म में दिखेगा इरफ़ान का अलग अंदाज़

मूवी प्रिव्यू

क़रीब क़रीब सिंगल

यह साल छोटी बजट की फिल्मों के लिए बेहतरीन साबित होता जा रहा है. ख़ास बात यह भी है कि इन फिल्मों में बड़ी स्टारकास्ट ना होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फिल्में ख़ूब चल रही हैं, जिसका उदाहरण फिल्म न्यूटन, बरेली की बर्फी, शुभ मंगलम सावधान, लिपस्टिक अंडर माई बुर्क़ा, हिंदी मीडियम, नाम शबाना आदि हैं.

इन सभी फिल्मों को देखते हुए अब उम्मीद लगाई जा सकती है कि 10 नवंबर को इरफान खान की आने वाली फिल्म *करीब करीब सिंगल* भी बॉक्स ऑफिस पर जरूर कमाल दिखाएगी. यह फिल्म एक ट्रैवेल रोमांटिक लव स्टोरी है. फिल्म में इरफान खान और साउथ की एक्ट्रेस पार्वती मुख्य भूमिका में हैं. पार्वती इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रही हैं. फिल्म को तनुजा चंद्रा डायरेक्ट कर रही हैं.

फिल्म की कहानी दो ऐसे लोगों की है जो एक साथ अपने-अपने प्यार को ढूंढने निकलते हैं और इस तरह एक-दूसरे को प्यार से खोजते हुए दोनों के बीच काफी कुछ होता है, जो फिल्म को मजेदार बनाते हैं. फिल्म *करीब करीब सिंगल* की शूटिंग हरियाणा में हुई है. कई उन जगहों पर भी शूटिंग हुई है, जहां पर तीर्थस्थल हैं. फिल्म का कैप्शन है, साथ जीने मरने वाली स्टोरी नहीं है हमारी. इससे साफ है कि यह एक कॉमेडी लव स्टोरी है. इससे पहले इरफान खान इस साल सुपरहिट फिल्म हिंदी मीडियम दे चुके हैं.■

● फिल्म- क़रीब क़रीब सिंगल ● कलाकार- इरफ़ान खान, पार्वती ● डायरेक्टर- तनुजा चंद्रा ● शैली- रोमांटिक कॉमेडी ● रिलीज- 10 नवंबर, 2017

गोलमाल कर के हिट हुए अजय देवगन

समय के साथ-साथ अजय ने खुद को भी काफी बदला है. अजय भी जानते हैं कि अगर बॉलीवुड में टिके रहना है तो हर किरदार को बख़ूबी निभाना होगा. आज वह एक्शन और गंभीर किरदारों के अलावा अच्छी कॉमेडी भी कर लेते हैं. वैसे तो अजय ने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन आज के दौर में नई पीढ़ी को पटखनी देकर टॉप 10 के अभिनेताओं में जगह बनाना कोई छोटी बात नहीं है.

प्रवीण कुमार

अजय देवगन ने करियर की शुरुआत ही *फूल और कांटे* के जरिए एक एक्शन हीरो के रूप में की थी. फिल्म सुपरहिट रही और अजय की गाड़ी पटरी पर चल पड़ी. उनकी यह एक्शन छवि बॉलीवुड में आज भी जानी जाती है. लेकिन समय के साथ-साथ अजय ने ख़ुद को काफी बदला है. अजय भी जानते हैं कि अगर बॉलीवुड में टिके रहना है तो हर किरदार को बख़ूबी निभाना होगा. आज वे एक्शन और गंभीर किरदारों के अलावा अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं. वैसे तो अजय ने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन आज के दौर में नई पीढ़ी को पटखनी देकर टॉप 10 के अभिनेताओं में जगह बनाना कोई छोटी बात नहीं है.

अजय देवगन कुछ साल पहले बहुत अच्छे दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि उनकी बॉक्स ऑफिस पर आई लगभग सभी फिल्में सफल होती जा रही थीं. इन फिल्मों में *वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई, राजनीति, गोलमाल-1,2,3, सिंघम, सिंघम रिटर्न, बोल बच्चन, सन ऑफ सरदार और दृश्यम* फिल्में शामिल थीं. लेकिन पिछले 3-4 साल में अजय देवगन का स्टारडम थोड़ा कम होने लगा था. इसके दो कारण थे. एक तो उन्होंने फिल्में कम कीं और जो कि वह भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक से सफल ना हो सकीं.

अजय का करियर ख़ासतौर पर 2014 में आई फिल्म *एक्शन-जैक्सन* से बिगड़ने लगा. फिल्म का जब ट्रेलर लॉन्च किया गया तो यू-ट्यूब पर रिकॉर्डतोड़ लोगों ने देखा. लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो एक ही कहावत याद आई, खोदा पहाड़ निकली चुहिया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी और अजय का बुरा टाइम शुरू हो गया. यह सिलसिला यहीं नहीं थमा और पिछले दो-तीन साल में फिल्म *दृश्यम* और *शिवाय* को अगर छोड़ दिया जाए जो लगभग सेमी हिट थी तो उनकी *हिम्मतवाला, सत्याग्रह, एक्शन-जैक्सन* और *बादशाहो* बॉक्स ऑफिस पर असफल रही है.

इस साल अजय की दो फिल्में रिलीज हुईं *बादशाहो* और दिवाली के मौके पर *गोलमाल अगेन*. बादशाहो तो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन अजय देवगन ने रोहित शेट्टी के साथ मिलकर दिवाली पर जो गोलमाल किया है, उससे अजय का करियर एक बार फिर से उंचाइयों को छूने लगा है. *गोलमाल अगेन* ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करते हुए सिर्फ 4 दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. इतना ही नहीं यह फिल्म अजय देवगन के करियर के लिए भी किसी जीवनदान से कम नहीं था. जहां एक तरफ उनकी पिछली फिल्में असफल होती जा रही थीं और दूसरे अभिनेता उनसे आगे निकलते जा रहे थे, वहीं अब *गोलमाल अगेन* की रिकॉर्डतोड़ सफलता ने उन्हें एक बार फिर से इस रेस में आगे खड़ा कर दिया. यह फिल्म अजय देवगन के करियर की *7वीं* ऐसी फिल्म भी बनी जिसने सौ करोड़ का कारोबार किया. इससे पहले उनकी *गोलमाल-3, बोल बच्चन, सिंघम, सन ऑफ सरदार, सिंघम रिटर्न* और *शिवाय* सौ करोड़ के क्लब का हिस्सा बन चुकी हैं. फिलहाल आने वाले समय में अजय देवगन कई ऐसे प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं, जो फिल्में हिट हो सकती हैं.■

गोलमाल 5 का आना तय

अजय देवगन की गोलमाल अगेन इस साल की बाहुबली: द कन्क्लूजन के बाद सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. फिल्म सिर्फ 4 दिनों में सौ करोड़ क्लब का हिस्सा बन चुकी है और तेजी से कई रिकॉर्ड अपने नाम करती जा रही है. फिल्म की अपार सफलता से उत्साहित होकर फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने गोलमाल अगेन की टीम तब्बू, कुनाल खेमू, तुषार कपूर और श्रेयस तलपड़े के साथ मिलकर गोलमाल-5 के आने के भी संकेत दे दिए हैं. उन्होंने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें ये पांचों इस बात का संकेत देते नज़र आ रहे हैं. उन्होंने फुल मस्ती के साथ गोलमाल-5 की ओर इशारा किया है. ट्वीट में लिखा है: फिल्म को मिले रिस्पॉन्स से रोमांचित है गैंग! अपना प्यार यूं ही लुटाते रहें और वे दोबारा लौटेंगे...

दिलचस्प यह है कि रोहित शेट्टी अजय देवगन को लेकर गोलमाल सीरीज के चार पार्ट बना चुके हैं और सभी सुपरहिट रहे हैं. अब इस बात पर नजर रहेगी कि रोहित शेट्टी अगली फिल्म की घोषणा कब करते हैं और इसमें अब वे क्या नया लेकर आएंगे.■

अजय देवगन की वे फिल्में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सौ करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया

गोलमाल अगेन 150-155*+ करोड़
नोट: फिल्म का केवल दस दिनों का कारोबार बताया गया है.

गोलमाल-3 107 करोड़

सिंघम 100 करोड़

बोल बच्चन 102 करोड़

सन ऑफ सरदार 105.3 करोड़

सिंघम रिटर्न 141 करोड़

शिवाय 100.35 करोड़

feedback@chauthiduniya.com

नवंबर माह में आने वाली फिल्में

अक्टूबर में दिवाली के मौके पर दो बड़ी फिल्में अजय देवगन की *गोलमाल अगेन* और आमिर खान की *सीक्रेट सुपरस्टार* की चमक से बॉक्स ऑफिस काफी समय बाद मालामाल हुआ है और अब आशा है कि नवंबर के महीने में भी ये सिलसिला चलता रहेगा. ख़ैर यह तो समय ही बताएगा कि नवंबर में रिलीज हुई फिल्मों से बॉक्स ऑफिस को कितना फायदा होता है. नवंबर महीना शुरू हो चुका है और महीने के शुरू में ही 3 नवंबर को सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा और अक्षय खन्ना की फिल्म इत्तेफ़ाक़ रिलीज हो चुकी है. देखते हैं कि यह फिल्म आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है.

इसके अलावा इस माह चार फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. ये सभी फिल्में लगभग छोटे बजट की हैं, लेकिन इन सभी फिल्मों में नामी चेहरे आपको दिखाई देंगे. वैसे भी यह साल छोटे बजट की फिल्मों के लिए काफी अच्छा साबित होता जा रहा है. आइए जानते हैं कि वह कौन सी फिल्में हैं, जो इस माह रिलीज होने जा रही हैं?

नोट: फिल्म की डेट ऑफ रिलीज कभी भी बदली जा सकती है.

10 नवंबर 2017

क़रीब क़रीब सिंगल

कलाकार : इरफ़ान खान और पार्वती

डायरेक्टर : तनूजा चंद्रा

शादी में ज़रूर आना

कलाकार : राजकुमार रॉव, कृति खरबंदा

डायरेक्टर : विनोद बच्चन

जूली-2

कलाकार : राय लक्ष्मी, रवि किशन और अतंत जोग

डायरेक्टर : दीपक शिवदसानी

17 नवंबर 2017

तुम्हारी सुलु

कलाकार : विद्या बालन, मानव कौल और नेहा धूपिया

डायरेक्टर : सुरेश त्रिवेणी